रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042022-235166
CG-DL-E-16042022-235166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 296(अ).—नागर विमानन मंत्रालय, संधि दायित्वों के निर्वहन तथा संधि में भारतीय एक्सेश का पूरा लाभ उठाने की दृष्टि से, मोबाइल उपकरण ("कन्वेंशन") तथा विशेषतः विमान उपकरण ("प्रोटोकॉल") से संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन में स्वीकृत प्रावधानों को लागू करने के लिए, विमान आबजेक्ट विधेयक, 2022 में, हितों के संरक्षण एवं प्रवर्तन प्रस्तुत को शामिल करने का प्रस्ताव करता है।

पूर्व-विधायी परामर्श के हिस्से के रूप में, व्याख्यात्मक नोट, कन्वेंशन का पाठ, प्रोटोकॉल का पाठ तथा कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत की गई संबंधित घोषणाओं के पाठ सहित, निम्नलिखित मसौदा विधेयक इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख के 30 दिन के पश्चात की तारीख, जब उसकी प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कारवाई जाती है, को उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, उन्हें श्री अनूप पंत, अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं अथवा soa.moca@nic.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले, उक्त मसौदा विधेयक के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण टिप्पणी

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) और निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (यूएनआईडीआरओआईटी) के तत्वावधान में, नवंबर, 2001 में केप टाउन में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में, दो अंतरराष्ट्रीय कानून लिखतों को अंगीकार किया गया था, नामतः मोबाइल उपकरण में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन (केप टाउन कन्वेंशन) और विशेषतः विमान उपकरण से संबंधित मामलों में कन्वेंशन पर प्रोटोकॉल (केप टाउन प्रोटोकॉल)। कन्वेंशन का स्वरूप सामान्य है और इसे तीन क्षेत्रों पर लागू किया जाना है, यथा: विमानन, रेलवे और अंतरिक्ष उपकरण। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग प्रोटोकॉल अपनाया गया है, और क्षेत्र विशिष्ट प्रोटोकॉल के साथ कन्वेंशन को मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए कानूनी व्यवस्था का गठन होता है। बेस कन्वेंशन के साथ-साथ, 2001 में केप टाउन में ही एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया था, जबकि रेलवे और अन्तरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रोटोकॉल को बाद में अपनाया गया था।

2. कन्वेंशन/प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य के मोबाइल उपकरणों, जैसे एयरफ्रेम, हेलीकॉप्टर और इंजन के कुशल वित्तपोषण को प्राप्त करना है, ताकि प्रचालन को यथासंभव लागत प्रभावी और वहनीय बनाया जा सके। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

(क) विमान वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय हित का सृजन जिसे करार में शामिल सभी देशों में मान्यता दी जाएगी;

(ख) अंतरराष्ट्रीय हितों के पंजीकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना करना, जिसकी एच+24 आधार पर ऑनलाइन पहुंच होगी और किसी विशेष विमान वस्तु के संबंध में प्रमाण पत्र की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को, उस विमान वस्तु के संबंध में, विभिन्न पंजीकृत हितों का प्राथमिकता वार विवरण देते हुए एक खोज प्रमाण पत्र प्रदान करेगा;

(ग) त्वरित अंतरिम राहत के उपाय के रूप में, लेनदार के लिए कुछ बुनियादी डिफ़ॉल्ट उपायों का प्रावधान, जैसे वि-पंजीकरण और विमान का निर्यात;

(घ) एक कानूनी व्यवस्था का सृजन जो सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और विवाद के मामले में दोनों पक्षों को न्याय प्रदान करता है; और

(ड.) इन माध्यमों से, इच्छुक लेनदारों/पट्टेदारों के लिए जोखिम के स्तर को कम करना, जिससे विमान वित्तपोषण/पट्टे की लागत में कमी आती है और अंततः प्रचालन की लागत में कमी आती है। परिणामस्वरूप लाभ, अंतिम उपयोगकर्ता यानी यात्री और/या शिपर तक पहुँचेगा।

3. भारत ने दिनांक 31.03.2008 को घोषणाओं के साथ-साथ डिपाजिटरी (UNIDROIT) वाला इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेसेशन जमा किया और कन्वेंशन के अनुच्छेद 49 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XXVIII के अनुसार दिनांक 01.07.2008 को केप टाउन कन्वेंशन/प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया। नागर विमानन मंत्रालय ने हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि भारत में कन्वेंशन/प्रोटोकॉल के पूर्ण कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए, अलग कानून की आवश्यकता है क्योंकि कन्वेंशन/प्रोटोकॉल के कुछ प्रावधान, कुछ अन्य कानूनों के प्रावधान के विरोध में हैं, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 2008, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 जो नागर विमानन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अलग कानून की आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश के केप टाउन कन्वेंशन/प्रोटोकॉल में शामिल होने को उचित महत्व नहीं दे रहे हैं जब तक इसके साथ एक कार्यान्वयन कानून की अलग व्यवस्था न हो। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने एक मानदंड निर्धारित किया है कि केप टाउन कन्वेंशन/प्रोटोकॉल के किसी भी पक्षकार देश की एयरलाइनों को विमान प्राप्त करने हेतु ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क में 10% की छूट दी जाएगी, बशर्ते उस देश द्वारा एक कार्यान्वयन कानून पारित किया गया हो।

4. इसके अतिरिक्त, संसद का एक अधिनियम, इच्छुक देनदारों में अधिक विश्वास पैदा करेगा तथा जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण और लीज पर लेनदेन पर लागू जोखिम में कमी आएगी। जोखिम में कमी के परिणामस्वरूप विमानन ऋण की लागत में कमी आएगी और लीज के किराये में भी कमी आएगी। इससे भारतीय विमानन उद्योग को काफी सहायता मिलेगी। इससे यात्रियों और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को भी कीमतों में कटौती और बेहतर सेवा स्तरों के रूप में लाभ प्राप्त होगा।

5 अत : विमान ऑबजेक्ट विधेयक, 2022 में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन शीर्षक से एक विशिष्ट विधान अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है ताकि संधि दायित्वों के निर्वहन और संधि में भारतीय एक्सेशन का लाभ पाने की दृष्टि से भारत में केप टाउन कन्वेंशन/प्रोटोकॉल को लागू किया जा सके। विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के प्रावधानों और उसके तहत भारत द्वारा जमा की गई संबंधित घोषणाओं को, भारत में कानून की शक्ति दी गई है और इन्हें विधेयक में क्रमश: प्रथम और द्वितीय अनुसूची के रूप में और कन्वेंशन के अनुच्छेद 39 के तहत भारत द्वारा घोषित गैर-सहमति अधिकारों या हित के रूप में और कन्वेंशन के अनुच्छेद 40 के तहत भारत द्वारा घोषित पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकारों या हित को तीसरी अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि भारत में लागू किसी अन्य कानून के साथ टकराव के मामले में, तात्कालिक कानून के प्रावधानों को प्राथमिकता देगा। यह केंद्र सरकार को, भारत में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए, यदि आवश्यक हो, नियम बनाने का अधिकार देता है।

विधेयक के प्रस्तावित मसौदे

अध्याय I

प्रारंभिक

खंड

1. लघु शीर्ष, सीमा और प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय II

अंतर्राष्ट्रीय हित की प्रयोज्यता और मान्यता

3. प्रयोज्यता
4. किसी अंतर्राष्ट्रीय हित की मान्यता और वैधता
5. बिक्री और संभावित बिक्री की प्रयोज्यता
6. प्रतिनिधि क्षमताएं
7. प्रतिस्पर्धी हितों की प्राथमिकता।
8. पंजीकरण के बिना प्राथमिकता वाले अधिकार।
9. पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित।

अध्याय III

चूक और उपचार

10. 'चूक' का अर्थ और घोषित डिफॉल्ट।
11. 'उपचार'/सुधार का प्रयोग करने का तरीका
12. प्रभारिती के उपचार।
13. सुरक्षा हित और मोचन की संतुष्टि में विमान वस्तु का निहित होना।
14. सशर्त विक्रेता या पट्टेदार के उपचार।

15. विमानों का विपंजीकरण और निर्यात

16. वाणिज्यिक औचित्य की आवश्यकता।

17. अंतिम निर्धारण के लंबित रहते राहत।

18. दिवालियापन के प्रभाव।

19. दिवालियापन पर उपचार।

20. किसी लेनदार के लिए उपलब्ध अतिरिक्त उपाय।

21. करार से अपवर्जन और संशोधन।

अध्याय IV

समुनदेशन और प्रत्यासन

22. संबद्ध अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय हित का समनुदेश।

23. संबद्ध अधिकारों और उनके प्रभावों का प्रत्यासन।

अध्याय V

देनदार के अधिकार और कर्तव्य

24. देनदार के अधिकार और कर्तव्य

अध्याय VI

क्षेत्राधिकार और विधि का चुनाव

25. क्षेत्राधिकार

26. विधि का चुनाव

27. दिवालिया कार्यवाही का बहिष्करण

अध्याय VII

विविध

28. नामित प्रवेश बिंदु।

29. कठिनाइयों को दूर करना।

30. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने और अभिसमय और प्रोटोकॉल की घोषणा करने और उनके कार्यान्वयन की शक्ति।

31. अन्य कानूनों का अधिरोहण करने के लिए इस अधिनियम की व्यावृत्ति और प्रावधान।

प्रथम अनुसूची - अभिसमय के तहत भारत गणराष्ट्र द्वारा दर्ज मोबाइल उपस्करों और संबंधित घोषणाओं में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय का पाठ

दूसरी अनुसूची - प्रोटोकॉल के तहत भारत गणराष्ट्र द्वारा दर्ज किए गए विमान उपस्करों और प्रासंगिक घोषणाओं के लिए विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्करों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के लिए प्रोटोकॉल का पाठ

तीसरी अनुसूची - भाग (क) - अभिसमय के अनुच्छेद 39 (1) (क)) के तहत विशिष्ट घोषणा के अनुसार गैर-सहमति अधिकार या हितों की श्रेणियां

भाग (ख) - अभिसमय के अनुच्छेद 40 के तहत घोषणा के अनुसार पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हितों की श्रेणियां

विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2022

विमान वस्तुओंमें हितों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक तंत्र मुहैया कराने, और केप टाउन में दिनांक 16 नवंबर, 2001को हस्ताक्षरित और भारत गणराष्ट्र द्वारा 31 मार्च 2008 को (प्रवेश प्रवर्तित 1 जुलाई 2008) स्वीकृत की गई सीमा तक, मोबाइल उपस्करों पर अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय और विमान उपस्करों के लिए विनिर्दिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्करों में अंतराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय पर प्रोटोकॉल के प्रावधानों को विधि का प्रवर्तन प्रदान करने के लिए अधिनियम

भारत गणराष्ट्र के तिहत्तरवें वर्ष में संसद में नियमानुसार अधिनियमित किया जाए:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष, सीमा और प्रारंभ होना— (1) इस अधिनियम को विमान वस्तुओंमें हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2022 कहा जाए।

(2) यह पूरे भारत तक में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवर्तित होगा जैसा कि केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए, ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी सदर्भ को उस प्रावधान के प्रारंभ होने का संदर्भ माना जाएगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का आशय निम्नानुसार यथा-निर्धारित होगा —

(1) "करार" का अर्थ है एक सुरक्षा करार, एक स्वत्व आरक्षण करार या एक पट्टा करार;

(2) "विमान" का अर्थ शिकागो अभिसमय के प्रयोजनों के लिए परिभाषित विमान से है जो या तो एयरफ्रेम हैं जिसमें विमान इंजन संस्थापित हैं, या हेलीकॉप्टर्स है;

(3) "विमान इंजन" का अर्थ जेट प्रोपल्शन या टर्बाइन या पिस्टन तकनीक द्वारा संचालित विमान इंजन (फौज, सीमा शुल्क या पुलिस सेवा में प्रयुदत्त होने वाले विमान इंजनों से भिन्न) से है :

(क) जेट प्रपल्शन विमान इंजन के मामले में, जो कम से कम 1750 एलबी जोर या इसके समतुल्य है; तथा

(ख) टरबाइन-संचालित या पिस्टन-संचालित विमान इंजनों के मामले में, कम से कम 550 रेटेड टेक-ऑफ शाफ्ट हॉर्सपावर या इसके समकक्ष,

सभी मॉड्यूल और अन्य संस्थापित, समाविष्ट या संबद्ध सहायक उपकरण, पुर्जे और उपकरण और उससे संबंधित सभी डेटा, मैनुअल और रिकॉर्ड के साथ विमान इंजन (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले के अतिरिक्त) से है;

(4) "विमान वस्तुओं" का अर्थ है एयरफ्रेम, विमान के इंजन और हेलीकॉप्टर;

(5) "विमान रजिस्टर" का अर्थ शिकागो अभिसमय के उद्देश्य के लिए एक राष्ट्र या एक सामान्य चिह्न पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रजिस्टर से है;

(6) "एयरफ्रेम" का अर्थ है एयरफ्रेम (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले लोगों के अतिरिक्त) जो, उपयुक्त विमान इंजन संस्थापित किए जाने पर, परिवहन हेतु सक्षम विमानन प्राधिकारी द्वारा टाइप प्रमाणित किए जाते हैं:

(क) चालक दल (क्रू) सहित कम से कम 8 (आठ) व्यक्ति; या

(ख) 2750 किलोग्राम से अधिक सामान;

सभी संस्थापित, समाविष्ट या संबद्ध सामान, पुर्जे और उपस्कर (विमान इंजन के अतिरिक्त), और उससे संबंधित सभी डेटा, मैनुअल और रिकॉर्ड सहित

(7) "संमनुदेश" का अर्थ एक अनुबंध से है, जो सुरक्षा के माध्यम से या अन्यथा, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के हस्तांतरण के साथ या इसके बिना समुनेदिशिति को संबंधित अधिकार प्रदान करता है;

(8) "संबद्ध अधिकार" का अर्थ है एक देनदार द्वारा भुगतान या अन्य निष्पादन के सभी अधिकार जो एक करार करार द्वारा सुरक्षित हैं या विमान वस्तु से संबद्ध हैं;

(9) "प्राधिकृत पक्षकार" का अर्थ है धारा 15 में विनिर्दिष्ट पक्षकार;

(10) "शिकागो अभिसमय" का अर्थ है 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर यथा-संशोधित अभिसमय और इसके अनुबंध,;

(11) "संहिता" का अर्थ है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31);

(12) ‘‘दिवालिया कार्यवाही की शुरुआत" का अर्थ है दिवालिया की प्रारंभिक तिथि, दिवालियापन प्रारंभ तिथि या परिसमापन प्रारंभ तिथि, जैसा कि संहिता में परिभाषित किया गया है, या भारत में उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत दिवाला कार्यवाही की शुरुआत;

(13) "सशर्त खरीदार" का अर्थ, स्वत्व आरक्षण करार के तहत एक खरीदार है;

(14) "सशर्त विक्रेता" का अर्थ स्वत्व आरक्षण करार के तहत एक विक्रेता है;

(15) "बिक्री करार" का अर्थ है एक विक्रेता द्वारा एक खरीदार को, विमान वस्तु की बिक्री के लिए एक करार जो धारा 2 के उप-अनुभाग (1) में परिभाषित समझौता करार नहीं है;

(16) "संविदाकारी देश" का अर्थ है 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के लिए एक स्टेट पक्षकार और 16 नवम्बर, 2021 को केप टाउन में हस्ताक्षरित विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामलों पर, मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के लिए प्रोटोकॉल;

(17) "अभिसमय" का अर्थ है 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय, जिसका पाठ पहली अनुसूची में निर्धारित किया गया है;

(18) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" का अर्थ है, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय;

(19) "लेनदार" का अर्थ है एक सुरक्षा करार के तहत एक स्वत्व, एक शीर्षक आरक्षण करार के तहत एक सशर्त विक्रेता या एक पट्टाकरार के तहत एक पट्टेदार;

(20) "देनदार" का अर्थ है एक सुरक्षा करार के तहत एक चार्जर, स्वत्व आरक्षण करार के तहत एक सशर्त खरीदार, एक पट्टे के करार के तहत एक पट्टेदार या एक व्यक्ति जिसका विमान वस्तु में हित एक पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित से बोझ है;

(21) "विमान का विपंजीकरण" का अर्थ है शिकागो अभिसमय, या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के साथ पठित वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के तहत, विमान रजिस्टर से विमान के पंजीकरण को रद्द करना, विलोपित करना या हटाना;

(22) नागर विमानन महानिदेशालय या "डीजीसीए" का अर्थ है विमान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4क, चाहे वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) या वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) को प्रतिस्थापित करने वाले किसी भी कानून के तहत गठित नागर विमानन महानिदेशालय या इसकी उत्तराधिकारी इकाई या समान या काफी समान कार्यों का निर्वहन करने वाली कोई अन्य संस्था।;

(23) "गारंटी संविदा" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा गारंटर के रूप में पूरी तरह से की गई संविदा;

(24) "गारंटर" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो किसी सुरक्षा करार या करार के तहत सुरक्षित लेनदार के पक्ष में किसी भी दायित्वों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक जमानत या मांग की गारंटी या अतिरिक्त क्रेडिट पत्र या क्रेडिट बीमा का कोई अन्य रूप देता है या जारी करता है।;

(25) "हेलीकॉप्टर" का अर्थ है एयर मशीनों से भारी मशीनें (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग की जाने वाली मशीनों के अतिरिक्त) जो मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर अक्षों पर एक या एक से अधिक बिजली चालित रोटार पर हवा की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में समर्थित है और जो परिवहन के लिए सक्षम विमानन प्राधिकारी द्वारा टाइप रेटेड हों:

(क) चालक दल (क्रू) सहित कम से कम 8 (आठ) व्यक्ति; या

(ख) 450 किग्रा से अधिक सामान,

सभी संस्थापित, समाविष्ट या संबद्ध सामान, पुर्जे और उपस्कर (रोटर्स सहित), और उससे संबंधित सभी डेटा, मैनुअल और रिकॉर्ड सहित;

(26) "दिवाला प्रशासक" का अर्थ है एक ऋणी के पुनर्गठन या परिसमापन या दिवालिएपन या दिवाला समाधान को प्रशासित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, जिसमें एक अंतरिम आधार पर अधिकृत व्यक्ति भी शामिल है, और यदि लागू दिवाला कानून द्वारा अनुमति दी गई है, तो कब्जाधारी देनदार शामिल है;

(27) "दिवाला कार्यवाही" का अर्थ है दिवालियापन या दिवाला समाधान, परिसमापन या अन्य सामूहिक न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही, जिसमें अंतरिम कार्यवाही शामिल है, जिसमें देनदार की संपत्ति और मामले, संहिता के तहत अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा नियंत्रण या पर्यवेक्षण दिवाला समाधान, पुनर्गठन या परिसमापन के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून के अध्यधीन हैं।;

(28) ''इच्छुक व्यक्तियों'' का आशय है:

(क) देनदार;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो लेनदार के पक्ष में किसी भी दायित्वों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक जमानत या मांग गारंटी या एक अतिरिक्त क्रेडिट पत्र या क्रेडिट बीमा का कोई अन्य रूप देता है या जारी करता है;

(ग) विमान वस्तु में या उस पर अधिकार रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति;

(29) "आंतरिक लेनदेन" का अर्थ है अभिसमय के अनुच्छेद 2(2)(क) से (ग) में सूचीबद्ध एक ऐसे प्रकार का लेनदेन, जहां इस प्रकार के लेनदेन के सभी पक्षों के मुख्य हितों का केंद्र स्थित है, और संबंधित विमान अनुबंध के समापन के समय भारत में स्थित वस्तु और जहां लेनदेन द्वारा सृजित हित भारत की राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया है;

(30) "अंतर्राष्ट्रीय हित" का अर्थ है एक लेनदार द्वारा धारित हित जिस पर अभिसमय का अनुच्छेद 2 लागू होता है;

(31) "अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री" का अर्थ है अभिसमय के अनुच्छेद 16 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण सुविधाएं;

(32) "पट्टा करार" का अर्थ है एक ऐसा करार जिसके द्वारा एक व्यक्ति ("पट्टेदार") किराए या किसी अन्य भुगतान के बदले में, किसी अन्य व्यक्ति ("पट्टेदार") को, खरीदने के विकल्प के साथ या उसके बिना किसी विमान वस्तु के कब्जे या नियंत्रण का अधिकार देता है। किराये या अन्य भुगतान के लिए वापसी;

(33) "राष्ट्रीय हित" का अर्थ है भारत में आंतरिक लेनदेन के माध्यम से, लेनदार द्वारा एक विमान वस्तु में धारित हित;

(34) "गैर-सहमति अधिकार या हित" का अर्थ है अभिसमय के अनुच्छेद 39 के तहत भारत द्वारा घोषित और जमा किए गए अधिकारों या हितों की श्रेणियां, जिसका पाठ तीसरी अनुसूची के भाग क में निर्धारित किया गया है और इसमें कोई भी अधिकार शामिल होगा या ऐसी घोषणा में किसी संशोधन में भारत द्वारा घोषित हित;

(35) "किसी राष्ट्रीय हित की सूचना" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत या पंजीकृत होने वाली सूचना, कि एक राष्ट्रीय हित बनाया गया है;

(36) "निर्धारित" का अर्थ है केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(37) "आगम" का अर्थ है विमान वस्तु के धन या गैर-धन का आगम, जो विमान वस्तु के कुल या आंशिक नुकसान या भौतिक विनाश या उसके कुल या आंशिक जब्ती, अनुपयोगिता या मांग से उत्पन्न होती है;

(38) "संभावित समनुदेश" का अर्थ है एक ऐसा समनुदेश जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर, भविष्य में किया जाना है, चाहे घटना का घटित होना निश्चित है या नहीं;

(39) "संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित" का अर्थ एक ऐसा हित है जो भविष्य में, एक उल्लिखित घटना होने पर, एक अंतर्राष्ट्रीय हित के रूप में एक विमान वस्तु के लिए सृजित या प्रदान किए जाने के लिए अभिप्रेत, जिसमें विमान वस्तु में ऋणी द्वारा हित का अधिग्रहण शामिल हो सकता है, चाहे घटना का होना निश्चित हो या नहीं;

(40) "संभावित बिक्री" का अर्थ है एक ऐसी बिक्री जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर, भविष्य में की जाने वाली है, चाहे घटना का होना निश्चित हो या नहीं;

(41) "प्रोटोकॉल" का अर्थ 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय का प्रोटोकॉल है, जिसका पाठ दूसरी अनुसूची में निर्धारित किया गया है;

(42) "पंजीकृत" का अर्थ है अभिसमय के अध्याय V के अनुसार और उसके तहत बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत;

(43) "पंजीकृत हित" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय हित जिसमें पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित शामिल हैं, या राष्ट्रीय हित के नोटिस में निर्दिष्ट राष्ट्रीय हित अभिसमय के अध्ययन के अनुसार पंजीकृत हैं;

(44) "पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित" का अर्थ है अभिसमय के अनुच्छेद 40 के तहत भारत द्वारा घोषित और जमा किए गए अधिकारों या हितों की श्रेणियां, जिसका पाठ तीसरी अनुसूची के भाग बी में निर्धारित किया गया है, और इसमें ऐसी घोषणा में किसी संशोधन में भारत द्वारा घोषित कोई अधिकार या हित शामिल होगा;

(45) "विनियम" का अर्थ है प्रोटोकॉल के अनुसार पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या अनुमोदित नियम;

(46) "बिक्री" का अर्थ है बिक्री के अनुबंध के अनुसार किसी विमान वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण;

(47) "सुरक्षित दायित्व" का अर्थ सुरक्षा हित द्वारा सुरक्षित दायित्व है;

(48) "सुरक्षा करार" का अर्थ एक ऐसा करार है जिसके द्वारा "चार्जर" किसी मौजूदा या भविष्य के दायित्व के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए एक विमान वस्तु में या उससे अधिक के स्वामित्व हित सहित "चार्जी" को या किसी तीसरे व्यक्ति को ब्याज देता है या देने के लिए सहमत होता है।

(49) "सुरक्षा हित" का अर्थ है सुरक्षा करार द्वारा बनाया गया हित;

(50) "पर्यवेक्षी प्राधिकरण" का अर्थ हैअभिसमय के अनुच्छेद 17(1) में संदर्भित पर्यवेक्षी प्राधिकरण;

(51) "स्वत्व आरक्षण करार" का अर्थ है किसी विमान वस्तु की बिक्री के लिए एक करार, बशर्ते स्वामित्व तब तक पारित नहीं होता है जब तक कि करार में बताई गई शर्त या शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है;

(52) "अपंजीकृत हित" का अर्थ है एक सहमतिपूर्ण हित या गैर-सहमति अधिकार या हित (एक हित के अलावा जिस पर अभिसमय का अनुच्छेद 39 लागू होता है) जो पंजीकृत नहीं है, चाहे वह अभिसमय के तहत पंजीकरण योग्य हो या नहीं;

(53) "लेखन" का अर्थ है सूचना का एक रिकॉर्ड (टेली ट्रांसमिशन द्वारा संप्रेषित सूचना सहित) जो मूर्त या अन्य रूप में है और बाद के अवसर पर मूर्त रूप में पुन: प्रस्तुत करने में सक्षम है और जो उचित माध्यम से किसी व्यक्ति के अनुमोदन संबंधी रिकॉर्ड को इंगित करता है;

(54) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का यहां इस्तेमाल किया गया है और जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अभिसमय और प्रोटोकॉल या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उन पाठों या विनियमों में दिया गया है; तथा

(55) इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या में मोबाइल उपस्करों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय और विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्करों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के प्रोटोकॉल और भारत द्वारा अभिसमय और प्रोटोकॉल, जिसके पाठ इस अधिनियम की अनुसूचियों में निर्धारित किए गए हैं या समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, के अंतर्गत जमा संबंधित घोषणाओं के तहत सहारा लिया जा सकता है।

अध्याय II

अंतर्राष्ट्रीय हित की प्रयोज्यता और मान्यता

3. प्रयोज्यता — (1) इस अधिनियम के प्रावधान निम्न पर लागू होंगे—

(क) एक देनदार के लिए, जो एक विमान वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय हित बनाने या प्रदान करने के करार के समापन के समय भारत में स्थित है;

(ख) एक विक्रेता को, जो बिक्री के अनुबंध के समापन के समय एक विमान वस्तु की बिक्री के लिए बिक्री अनुबंध बनाने सर प्रदान करने के समय भारत में स्थित है; तथा

(ग) एक विमान वस्तु के लिए, जिसका अंतर्राष्ट्रीय हित है, जो भारत में स्थित है या भारत में पंजीकृत विमान से संबंधित है।

(2) इस अधिनियम के प्रावधान एक आंतरिक लेनदेन पर लागू होंगे, जहां तक कि वे ऐसे लेनदेन को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

स्पष्टीकरण I.— एक देनदार या विक्रेता भारत में स्थित है —

(क) जहां यह भारत में लागू किसी कानून के तहत निगमित या पंजीकृत हो; या

(ख) जहां भारत में इसका पंजीकृत कार्यालय हो; या

(ग) जहां भारत में इसके प्रशासनिक केन्द्र हो; या

(घ) जहां उसका व्यवसाय का स्थान है, या यदि उसके पास व्यवसाय के एक से अधिक स्थान हैं, तो भारत में उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान है, या यदि उसका कोई व्यवसाय नहीं है, तो भारत में उसका आवासीय निवास है।

स्पष्टीकरण II.— यह तथ्य कि लेनदार एक गैर-संविदाकारी राष्ट्र में स्थित है, इस अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय हित की मान्यता और वैधता.—

(1) अभिसमय के अनुच्छेद 2 से 7 के लिए प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय हित को इस अधिनियम के तहत विमान की वस्तुओं के संबंध में मान्यता दी गई है और यह वहां प्रभावी होगा जहां अभिसमय और प्रोटोकॉल की शर्तें पूरी होती हों।

(2) एक अंतर्राष्ट्रीय हित, एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित या एक अंतर्राष्ट्रीय हित के एक समनुदेश या संभावित समनुदेश को अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 17(2)(डी) प्रोटोकॉल के अभिसमय और अनुच्छेद XVIII के अनुसार पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी अभिसमय, प्रोटोकॉल और नियमों में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता है, और यह ऐसे पंजीकरण की वैधता की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

(3) एक अंतर्राष्ट्रीय हित का पंजीकरण, एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित या एक अंतर्राष्ट्रीय हित का एक समनुदेश या संभावित समनुदेश या अभिसमय के अनुसार अन्य मामले, जिसमें कोई संशोधन, विस्तार या निर्वहन शामिल है, केवल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रभावी होगा यदि, और इस सीमा तक, कि यह अभिसमय के प्रावधानों का अनुपालन करता है, जैसा कि प्रोटोकॉल और उसके तहत जारी नियमों और अभिसमय या प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा जमा की गई घोषणाओं द्वारा संशोधित या पूरक है।

(4) यदि पहले एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित के रूप में पंजीकृत एक हित अंतर्राष्ट्रीय हित बन जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हित को संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित के पंजीकरण के समय से पंजीकृत माना जाएगा, बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय हित के गठन से तुरंत पहले किया गया पंजीकरण अभी भी जारी था, जैसा कि अभिसमय के अनुच्छेद 7 द्वारा प्रदान किया गया है:

परंतु यह कि यह धारा अंतर्राष्ट्रीय हित के संभावित समनुदेश के पंजीकरण के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी।

(5) एक अंतर्राष्ट्रीय हित का पंजीकरण छुट्टी मिलने तक या पंजीकरण में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

5. बिक्री और संभावित बिक्री की प्रयोज्यता.—

(1) विमान की वस्तुओं की बिक्री या संभावित बिक्री के संबंध में निम्नलिखित खण्डों के प्रावधान लागू होंगे: —

(क) धारा 3 जहां तक यह अभिसमय के अनुच्छेद 3 और 4 को कार्यान्वित करती है;

(ख) धारा 31(2) जहां तक यह अभिसमय के अनुच्छेद 16(1)(ए) को कार्यान्वित करती है;

(ग) धारा 4(4) जहां तक यह अभिसमय के अनुच्छेद 19(4) को कार्यान्वित करती है;

(घ) धारा 4(2) जहां तक यह अभिसमय के अनुच्छेद 20 (1) को कार्यान्वित करती है (बिक्री के अनुबंध या संभावित बिक्री के पंजीकरण के संबंध में);

(ङ) धारा 4(3) जहां तक यह अभिसमय के अनुच्छेद 25(2) को कार्यान्वित करती है (जैसा कि निर्वहन के संबंध में); तथा

(च) धारा 18.

(2) उप-धारा (1) के तहत बिक्री और संभावित बिक्री के लिए उन प्रावधानों के अनुप्रयोग में-

(क) एक अंतर्राष्ट्रीय हित बनाने या प्रदान करने वाले करार के संदर्भ, बिक्री के अनुबंध के संदर्भ हैं; तथा

(ख) एक अंतर्राष्ट्रीय हित के संदर्भ, एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित, देनदार और लेनदार क्रमशः बिक्री, संभावित बिक्री, विक्रेता और खरीदार के संदर्भ हैं।

(3) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित धाराओं के सामान्य प्रावधान सामान्यत: तौर पर बिक्री और संभावित बिक्री के अनुबंधों पर लागू होंगे-

(क) धारा 2 जहां तक यह अभिसमय के अध्याय 1 को क्रियान्वित करती है;

(ख) धारा 2 और 3 जहां तक वे अभिसमय के अनुच्छेद 5 को क्रियान्वित करते हैं;

(ग) धारा 4 और धारा 31(2) जहां तक वे अभिसमय के अधियाय IV-VII को क्रियान्वित करते हैं;

(घ) धारा 7, 8 और 9;

(ङ) धारा 25 और 27 जहां तक वे अभिसमय के अध्याय 12 को क्रियान्वित करतेहैं (अभिसमय के अनुच्छेद 43 के अलावा);

(च) धारा 31(2) जहां तक यह अभिसमय के अध्ध्याय XIII को क्रियान्वित करती है; तथा

(छ) धारा 31(2) जहां तक यह अभिसमय के अध्याय XIV (अनुच्छेद 60 के अलावा) को क्रियान्वित करती है।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद V द्वारा प्रदान की गई बिक्री के अनुबंध को इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है।

(5) बिक्री का अनुबंध विमान वस्तु में विक्रेता के हित को उसकी शर्तों के अनुसार खरीदार को हस्तांतरित करेगा।

(6) बिक्री के अनुबंध का पंजीकरण अनिश्चित काल तक या पंजीकरण में निर्दिष्ट अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति तक, प्रभावी रहेगा, जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता ।

6. प्रतिनिधि क्षमताएं - एक व्यक्ति एक एजेंसी, ट्रस्ट या अन्य प्रतिनिधि क्षमता में एक करार या बिक्री में प्रवेश कर सकता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय हित, या एक विमान वस्तु की बिक्री दर्ज कर सकता है और ऐसा व्यक्ति अधिनियम के तहत अधिकारों और हितों का दावा करने का हकदार होगा।

7. प्रतिस्पर्धी हितों की प्राथमिकता-(1) धारा 8 के अधीन, एक पंजीकृत हितकी प्राथमिकता,बाद में पंजीकृत किसी भी अन्य हित और अपंजीकृत हित के ऊपर होगी।

(2) उप-धारा (1) के तहत पंजीकृत हित की प्राथमिकतालागू होती है —

(क) भले ही हित अन्य हित के वास्तविक ज्ञान के साथ अर्जित या पंजीकृत किया गया हो; तथा

(ख) यहां तक कि इस तरह की जानकारी के साथ हित धारक द्वारा दिए गए मूल्य के संबंध में भी।

(3) एक पंजीकृत बिक्री के तहत एक विमान वस्तु का खरीदार उसके अधिग्रहण के समय पहले से पंजीकृत किसी भी हित के अधीन उसमें अपना हित प्राप्त करता है।

(4) एक पंजीकृत बिक्री या एक पंजीकृत संभावित बिक्री के तहत एक विमान वस्तु का खरीदार उस विमान वस्तु में अपना हित बाद में पंजीकृत हित से और एक अपंजीकृत हित से प्राप्त करता है, भले ही खरीदार को अपंजीकृत हित की वास्तविक जानकारी हो।

(5) सशर्त खरीदार या पट्टेदार उस विमान वस्तु में अपना हित या अधिकार प्राप्त करता है-

(क) अपने सशर्त विक्रेता या पट्टेदार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हित के पंजीकरण से पहले पंजीकृत हित के अधीन; तथा

(ख) उस समय पंजीकृत नहीं किए गए हित से मुक्त, भले ही उसे उस हित की वास्तविक जानकारी हो।

(6) इस धारा के तहत प्रतिस्पर्धी हितों या अधिकारों की प्राथमिकता उन हितों के धारकों के बीच करार से भिन्न हो सकती है, लेकिन एक अधीनस्थ हित का एक समनुदेशिती उस हित को अधीनस्थ करने के लिए एक करार से बाध्य नहीं है जब तक कि समनुदेश के समय उस करार के संबंध में अधीनता दर्ज नहीं की गई हो।

(7) इस अधिनियम द्वारा किसी विमान वस्तु में हित के लिए दी गई कोई भी प्राथमिकता ऐसी विमान वस्तु तक विस्तारित है।

(8) इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान-

(क) एक विमान वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु में किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, एक विमान वस्तु पर इसकी स्थापना से पहले आयोजित किया जाता है यदि कानून के तहत कुछ समय के लिए वे अधिकार जारी रहते हैं, स्थापना के बाद मौजूद हैं; तथा

(ख) एक विमान वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु में अधिकारों के निर्माण को नहीं रोकता है, जिसे पहले एक विमान वस्तु पर स्थापित किया गया है, जहां कानून के तहत कुछ समय के लिए उन अधिकारों का निर्माण किया जाता है।

(9) किसी विमान के इंजन का स्वामित्व या कोई अन्य अधिकार या हित, किसी विमान पर उसकी संस्थापना या उसे हटाए जाने से प्रभावित नहीं होता है।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 अभिसमय के तहत गठित एक अंतर्राष्ट्रीय हित पर लागू नहीं होगी।

8. पंजीकरण के बिना प्राथमिकता वाले अधिकार- (1) तीसरी अनुसूची के भाग क में सूचीबद्ध गैर-सहमति अधिकार और हित की श्रेणियों की प्राथमिकता- (क) धारक के समकक्ष एक विमान वस्तु में रुचि एक पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय हित के ऊपर होगी, और (ख) एक पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय हित के ऊपरहोगी (चाहे दिवाला कार्यवाही में हो या बाहर हो)।

(2) इस अधिनियम या अभिसमय में कुछ भी केंद्रीय सरकार या उसकी किसी इकाई, या किसी भी अंतर सरकारी संगठन, जिसमें भारत एक सदस्य है, या भारत में सार्वजनिक सेवाओं के अन्य निजी प्रदाता को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। भारत सरकार को बकाया राशि के भुगतान के लिए भारत में कानून के तहत एक विमान वस्तु, ऐसी किसी भी इकाई, संगठन या प्रदाता जो सीधे उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या सेवाओं से संबंधित है।

(3) यह खंड अधिकारों और हितों की श्रेणियों पर लागू होता है, चाहे वह अभिसमय के अनुच्छेद 39 के तहत भारत गणराष्ट्र द्वारा जमा करने से पहले या बाद में बनाया गया हो, जिस पर यह खंड प्रभावी होता है।

(4) एक अधिकार या हित जिसकी प्राथमिकता इस धारा के आधार पर संरक्षित है, को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय हित पहले पंजीकृत किया गया होया बाद में -

(क) अभिसमय के संबंध में भारत द्वारा की गई कोई कार्रवाई, या

(ख) इस अधिनियम का अधिनियमन या प्रारंभ।

(5) देनदार, नागर विमानन महानिदेशालय को करों या किसी भी अन्य राशियों, शुल्कों या देय राशियों के संबंध में, संबंधित या बकाया के संबंध में ऐसे देनदार द्वारा भुगतान और देय बकाया के विवरण के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा। भारत सरकार या केंद्रीय सरकार, राष्ट्र सरकार या किसी अन्य संस्था के अंतर्राष्ट्रीय हित के तहत, विमान वस्तु के मालिक या ऑपरेटर का स्वामित्व या उपयोग, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और इसे बनाए रखा और प्रस्तुत किया जाएगा जब तक ऐसी विमान वस्तु ऐसे देनदार के कब्जे में है।

9. पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित- तीसरी अनुसूची के भाग बी में सूचीबद्ध गैर-सहमति अधिकारों और हितों की श्रेणियां, विमान वस्तु की किसी भी श्रेणी के संबंध में अभिसमय के तहत पंजीकरण योग्य होंगी जैसे कि अधिकार या हित एक अंतर्राष्ट्रीयहित हों, और इसे तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

अध्याय III

चूक और उपचार

10. "चूक" और "घोषित चूक" का अर्थ—(1) देनदार और लेनदार किसी भी समय उस घटना (घटनाओं) के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं जो एक चूक को संरचित करती हैं या अन्यथा इस अध्याय में निर्दिष्ट अधिकारों और उपायों को जन्म देती हैं।

(2) जहां देनदार और लेनदार इस तरह से सहमत नहीं हैं, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "चूक" का अर्थ एक ऐसी चूक होगा जो लेनदार को उस चीज़ से काफी हद तक वंचित कर देता है जिसकी वह करार के तहत उम्मीद करने का हकदार है।

(3) एक लेनदार इस अध्याय में प्रदान किए गए किसी भी उपाय का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह लेनदार नागर विमानन महानिदेशालय, को सूचित करके इस तरह की चूक की घटना की घोषणा करता है, अधिसूचित तरीके से, और जिस तारीख को इस तरह से अधिसूचित किया जाता है, वही तारीख घोषित चूक की तारीख बनेगी, और तदनुसार अभिव्यक्ति "घोषित चूक" का अर्थ लगाया जाएगा।

11. उपचारों को प्रयोग करने का तरीका— (1) इस अध्याय के तहत उपचार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा:

परंतु यह कि इस अध्याय के प्रावधान, जिसमें अधिकारों और उपचारों और उनके प्रयोग के तरीके से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, किसी भी अन्य कानून में निहित,ऐसे किसी भी कानून के आधार पर किसी भी असंगत चीज या उसके द्वारा प्रभावी होने वाले किसी भी लिखत से सीमित या प्रभावित नहीं होंगे। ।

12. चार्जी के उपचार- (1) चूक की स्थिति में, चार्जी, जिस हद तक किसी भी समय इस तरह सहमत हो, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक उपाय कर सकता है, अर्थात् —

(क) उस पर आरोपित विमान वस्तु का कब्जा या नियंत्रण लेना;

(ख) ऐसी विमान वस्तु को बेचने या पट्टे पर देने के लिए; या

(ग) इस तरह के विमान वस्तु के प्रबंधन या उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय या लाभ को इकट्ठा करने या प्राप्त करने के लिए।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत उपाय का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित बिक्री या पट्टे से कम से कम 10 (दस) दिनों की लिखित सूचना इच्छुक व्यक्तियों को निर्दिष्ट नहीं की गई हो, जैसा कि निम्नलिखित मे उल्लिखित है—

(क) धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (क) और (ख) की; तथा

(ख) धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (ग), जिन्होंने बिक्री या पट्टे से पहले उचित समय के भीतर प्रभारी को अपने अधिकारों की सूचना दी है:

परंतु यह किए चार्जी और एक चार्जर या गारंटर नोटिस की लंबी अवधि पर सहमत हो सकते हैं।

(3) चार्जी वैकल्पिक रूप से उप-धारा (1) में प्रदान किए गए किसी भी उपचार को अधिकृत या निर्देशित करने वाले आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत किसी भी उपचार के प्रयोग के परिणामस्वरूप आरोपित द्वारा एकत्र या प्राप्त की गई कोई भी राशि –

(क) सुरक्षित दायित्वों की राशि के निर्वहन के लिए लागू होगी; तथा

(ख) जहां ऐसी राशि सुरक्षा हित द्वारा सुरक्षित राशि से अधिक है, और इस तरह के प्रयोग में किए गए किसी भी उचित लागत, तब तक जब तक अन्यथा अदालत द्वारा ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, चार्जी बाद में रैंकिंग हितों के धारकों के बीच अधिशेष वितरित करेगा जो पंजीकृत हैं या जिसमें से चार्जी को प्राथमिकता के क्रम में नोटिस दिया गया है, और शेष राशि का भुगतान चार्जर को करें।

13. सुरक्षा हित और मोचन की संतुष्टि में विमान वस्तु का निहित होना.—

(1) चूक के बाद किसी भी समय, प्रभारी और सभी इच्छुक व्यक्ति इस बात से सहमत हो सकते हैं कि सुरक्षा हित के दायरे में किसी भी विमान वस्तु का स्वामित्व, या चार्जर का कोई अन्य हित, चार्जी में या सुरक्षित दायित्व की संतुष्टि के लिए विहित होगा।

(2) न्यायालय, चार्जी के आवेदन पर आदेश दे सकता है कि सुरक्षा हित में शामिल किसी भी विमान वस्तु का स्वामित्व, या चार्जर का कोई अन्य हित सुरक्षित दायित्वों की संतुष्टि के लिए या चार्जी में विहित है।

(3) अदालत उप-धारा (2) के तहत आदेश तभी पारित करेगी जब इस तरह के निहित होने से संतुष्ट होने वाले सुरक्षित दायित्वों की राशि, किसी भी इच्छुक व्यक्ति को चार्जी द्वारा किए जाने वाले किसी भी भुगतान को ध्यान में रखते हुए, विमान वस्तु के मूल्य के अनुरूप हो।

(4) चूक के बाद किसी भी समय लेकिन चार्ज किए गए विमान वस्तु की बिक्री से पहले या उपधारा (2) के तहत आदेश पारित करने से पहले, चार्जर या कोई इच्छुक व्यक्ति सुरक्षित राशि का पूरा भुगतान करके सुरक्षा हित का निर्वहन कर सकता है बशर्ते धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत चार्जी द्वारा दिया गया कोई पट्टा या धारा 12 की उप-धारा के तहत अदालत द्वारा दिए गए आदेश के तहत जहां ऐसा भुगतान एक के अलावा किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जाता है देनदार ऐसे इच्छुक व्यक्ति को चार्जी के अधिकारों के अधीन, प्रस्थापन कर दिया जाएगा।

(5) धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत बिक्री पर पारित या इस खंड की उपधारा (1) या (2) के तहत पारित चार्जर का स्वामित्व या कोई अन्य हित ऐसे किसी अन्य हित से मुक्त होगाजिस पर धारा 7 के प्रावधानों के तहत चार्जी के सुरक्षा हित को प्राथमिकता दी जाती है।

14. सशर्त विक्रेता या पट्टेदार के उपाय—स्वत्व आरक्षण करार के तहत या किसी पट्टा करार के तहत, चूक की स्थिति में, सशर्त विक्रेता या पट्टेदार, जैसा भी मामला हो,—

(क) करार को समाप्त कर सकता है और उस विमान वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण कर सकता है, जिससे यह करार संबंधित है; या

(ख) विकल्प के रूप में, खंड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों में से किसी एक को अधिकृत या निर्देशित करने के आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।

15. विमान का विपंजीकरण और निर्यात— (1) विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 7 और 8 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेनदार, उस सीमा तक कि देनदार किसी भी समय सहमत हो गया हो, और चूक की स्थिति में,

(क) विमान के विपंजीकरण की खरीद कर सकता है; तथा

(ख) उस क्षेत्र से विमान वस्तु के निर्यात और भौतिक हस्तांतरण की खरीद कर कर सकता है, जिसमें वह स्थित है;

(2) लेनदार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग लेनदार की प्राथमिकता में किसी पंजीकृत हित रैंकिंग के धारक की लिखित पूर्व सहमति के बिना नहीं करेगा।

(3) नागर विमानन महानिदेशालय, लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अधीन, वि-पंजीकरण और निर्यात के अनुरोध को, यथा-निर्धारित, पूरा करेगा। —

(क) यदि उप-धारा (1) के तहत अनुरोध अधिकृत पक्षकार द्वारा डीजीसीए के साथ रिकॉर्ड किए गए अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध के तहत प्रस्तुत किया जाता है, और अधिकृत पक्षकार निर्धारित नियमों के अनुरूप डीजीसीए को प्रमाणित करती है, कि लेनदार की प्राथमिकता में सभी पंजीकृत हित रैंकिंग, जिनके पक्ष में प्राधिकरण जारी किया गया है, का निर्वहन किया गया है या ऐसे हितों के धारकों ने प्राथमिकता में सभी पंजीकृत हितों की रैंकिंग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री से प्राथमिकता खोज रिपोर्ट के साथ विपंजीकरण और निर्यात के लिए सहमति दी है।; या

(ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपचार के लिए अदालत से आदेश प्राप्त होने पर।

(4) एक चार्जी जो उप-धारा (1) के तहत एक विमान के विपंजीकरण और निर्यात को अदालत के आदेश के अनुसार करने का प्रस्ताव करता है, उसे प्रस्तावित विपंजीकरण और निर्यात के लिए लिखित में उचित पूर्व सूचना निम्न को देनी चाहिए। —

(क): धारा 2 के उप-धारा (28) के खंड उप-खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति; तथा

(ख): धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने पंजीकरण रद्द करने और निर्यात करने से पहले एक उचित समय के भीतर चार्जी को अपने अधिकारों की सूचना दी है।

(5) जहां देनदार ने एक अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण को प्रोटोकॉल के साथ संलग्न रूप में जारी किया है और जहां ऐसा प्राधिकरण डीजीसीए को रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है, वहां उक्त प्राधिकार को रिकॉर्ड किया जाएगा।

(6) एक अधिकृत पक्षकार, या इसका प्रमाणित नामिती, एकमात्र व्यक्ति है जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग करने का हकदार है और उपचार केवल प्राधिकार के अनुसार और इस संबंध मेंकेंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रयोग किया जाएगा।

(7) अधिकृत पक्षकार की लिखित सहमति के बिना देनदार द्वारा प्राधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता है।

(8) डीजीसीए, अधिकृत पक्षकार के अनुरोध पर रजिस्ट्री से प्राधिकार को हटा देगा।

(9) डीजीसीए लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुरूप इस खंड में निर्दिष्ट उपायों के प्रयोग में अधिकृत पक्षकार के साथ तेजी से सहयोग और सहायता करेगा।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक "अधिकृत पक्षकार" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके पक्ष में अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण जारी किया गया है या इसका प्रमाणित नामिती है।

(10) उपचार, जैसा कि उप-धारा (1) में प्रावधान किया गया है, डीजीसीए द्वारा, लेनदार द्वारा डीजीसीए को यह अधिसूचित किए जाने, कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट राहत प्रदान की गई है, या राहत, न्यायालय द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी विदेशी न्यायालय द्वारा प्रदान की गई हो, और यह कि लेनदार अधिनियम के अनुसार उन उपचारों को अर्जित करने के लिए पात्र है, की तारीख से 5 (पांच) कार्यदिवसों के भीतर, इस संबंध में निर्धारित तरीके से, प्रयोज्य विमानन संरक्षा विधियों और विनियमों के अध्यधीन होगा।

(11) उप-धारा (1) के तहत एक लेनदार के लिए उपलब्ध उपचार, इस अध्याय के तहत लेनदार के लिए उपलब्ध अन्य उपचारों के अतिरिक्त होगा।

16. वाणिज्यिक औचित्य की आवश्यकता— (1) इस अधिनियम के तहत किसी विमान वस्तु के संबंध में दिए गए किसी भी उपाय का प्रयोग व्यावसायिक रूप से उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

(2) एक उपाय को व्यावसायिक रूप से उचित तरीके से प्रयोग किया माना जाता है, जहां इसे करार के प्रावधान के अनुरूप प्रयोग किया जाता है, सिवाय इसके कि ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुचित है।

17. अंतिम निर्धारण के लंबित रहते राहत-(1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के आदेश XXXIX में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक लेनदार, जो देनदार द्वारा चूक का सबूत पेश करता है, अपने दावे के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक और उस सीमा तक, जब तक कि देनदार के पास इस तरह की सहमति हो, लेनदार अनुरोध के रूप में, निम्नलिखित में से एक या अधिक उपचार प्राप्त करने के लिए अदालत को आवेदन कर सकता है—

(क) विमान वस्तु और उसके मूल्य का संरक्षण;

(ख) विमान वस्तु का कब्जा, नियंत्रण या निगरानी;

(ग) विमान वस्तु का स्थिरीकरण;

(घ) पट्टा या, जहां खंड (क) से (ग) द्वारा कवर किया गया है, विमान वस्तु का प्रबंधन और उससे होने वाली आय;

(ङ) बिक्री और उससे प्राप्त निधि का आवेदन, यदि किसी भी समय देनदार और लेनदार विशेष रूप से सहमत हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले अदालत किसी भी इच्छुक व्यक्ति से ऐसे आवेदन की सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है।

(3) जब तक लेनदार और देनदार या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति इस उप-धारा की प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए लिखित रूप में सहमत नहीं हो जाता है, अदालत उप-धारा (1) के तहत आदेश पारित करते समय इच्छुक व्यक्तियों की रक्षा के लिए ऐसी शर्तों को लागू कर सकती है जो ऐसी स्थिति में वह आवश्यक समझे जहां लेनदार —

(क) इस तरह की राहत देने वाले किसी भी आदेश को लागू करने में, इस अधिनियम के तहत देनदार को अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है; या

(ख) उस दावे के अंतिम निर्धारण पर, पूर्ण या आंशिक रूप से अपना दावा स्थापित करने में विफल रहता है।

(4) उप-धारा (1) के तहत दायर आवेदन की सुनवाई और निपटारा अदालत द्वारा किया जाएगा-

(क) ऐसे आवेदन को दाखिल करने की तारीख से 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर जब उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत निर्दिष्ट राहत मांगी गई हो; तथा

(ख) ऐसे आवेदन को दाखिल करने की तारीख से जब उप-धारा (1) के खंड (डी) या (ई) के तहत निर्दिष्ट राहत मांगे जाने के 30 (तीस) कार्य दिवसों के भीतर।

(5) इस धारा में निहित कोई भी प्रावधान धारा 16 के आवेदन को प्रभावित या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित राहत के रूपों की उपलब्धता को सीमित नहीं करता है।

(6) उप-धारा (1) के तहत बिक्री पर पारित देनदार का स्वामित्व या कोई अन्य हित किसी भी अन्य हित से मुक्त होगा, जिस पर धारा 7 के प्रावधानों के तहत लेनदार के अंतर्राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है।

18. दिवालियेपन के प्रभाव— (1) देनदार के खिलाफ दिवाला कार्यवाही में एक अंतर्राष्ट्रीय हित प्रभावी होता है यदि दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले, उस हित को, अभिसमय और प्रोटोकॉल के अनुसार पंजीकृत किया गया हो:

परंतु यह कि इस धारा में निहित कोई भी प्रावधान, दिवाला कार्यवाही में एक अंतर्राष्ट्रीय हित की प्रभावशीलता को कम नहीं करता है, जहां वह हित भारत में कानून के तहत प्रभावी है।:

परंतु यह भी कि इस धारा में निहित कोई भी प्रावधान निम्न में से किसी को प्रभावित नहीं करता—

(क) एक वरीयता के रूप में लेनदेन से बचने या धोखाधड़ी में स्थानांतरण या अन्यथा से संबंधित दिवाला कार्यवाही में लागू कानून के किसी भी नियम; या

(ख) संपत्ति के अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित प्रक्रिया के किसी भी नियम जो दिवाला प्रशासक के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन है।

19. दिवालिएपन के उपचार— (1) इस धारा के प्रावधान एक देनदार के संबंध में दिवाला कार्यवाही शुरू होने पर लागू होंगे जहां —

(क) देनदार,—

(i) यदि यह एक निगमित निकाय या फर्म है, तो भारत में निगमित या पंजीकृत है; या

(ii) यदि वह एक प्राकृतिक व्यक्ति है, भारत में अधिवासित है या उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान भारत में है;

(ख) करार के अंतर्राष्ट्रीय हित को अभिसमय और प्रोटोकॉल के अनुरूप पंजीकृत किया गया है; तथा

(ग) देनदार और लेनदार ने लिखित रूप में इस खंड की प्रयोज्यतान को लिखित रूप से बाहर नहीं किया है।

(2) उप-धारा (5) के अध्यधीन, और 12 के साथ पठित धारा 14 में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, धारा या संहिता के अन्य प्रावधानों के साथ स्थगन या अंतरिम- स्थगन से संबंधित, दिवाला कार्यवाही शुरू होने पर, देनदार या दिवाला प्रशासक, जिसके पास विमान वस्तु की वास्तविक या रचनात्मक अभिरक्षा है, वह, उप-अनुभाग (7) में निर्दिष्ट समय के बाद, लेनदार को विमान वस्तु का अधिकार नहीं देगा।

(3) जब तक लेनदार को दिवाला प्रशासक या देनदार द्वारा, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के तहत विमान वस्तु पर कब्जा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता है –

(क) दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा भी मामला हो, और संहिता के तहत ऐसे प्रशासक को प्रदत्त संपत्ति की बिक्री या निपटान से संबंधित किसी भी शक्ति के बावजूद, विमान वस्तु को संरक्षित करेगा और करार के अनुसार इसे और इसके मूल्य को बनाए रखेगा; तथा

(ख) लेनदार इस समय लागू कानून के तहत उपलब्ध अंतरिम राहत के किसी अन्य रूप के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— उप-धारा (3) का खंड (क), विमान की वस्तु को संरक्षित करने और इसे और उसके मूल्य को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई व्यवस्था के तहत विमान की वस्तु के उपयोग को नहीं रोकता है।

(4) दिवाला प्रशासक को उप-धारा (3) के खंड (ए) के अनुपालन में किए गए सभी उचित लागतों के लिए लेनदार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

(5) दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा भी मामला हो, विमान वस्तु का कब्जा बरकरार रख सकता है, जहां उप-धारा (7) में निर्दिष्ट समय तक -

(क) दिवाला कार्यवाही शुरू होने से गठित चूक के अलावा करार के तहत सभी चूक को ठीक कर दिया गया है; तथा

(ख) दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा भी मामला हो, करार के तहत देनदार के सभी भविष्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है:

परंतु यह कि जहां दिवाला प्रशासक या देनदार देनदार के सभी भविष्य के दायित्वों को उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत उप-धारा (7) में निर्दिष्ट समय तक निष्पादित करने में विफल रहता है,तोलेनदार तुरंत इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों का प्रयोग करने के साथ-साथ विमान वस्तु पर कब्जा करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है

(6) कुछ समय के लिए कानून के तहत इस तरह के करार को समाप्त करने के लिए दिवाला प्रशासक के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, लेनदार की सहमति के बिना करार के तहत देनदार के किसी भी दायित्व को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

(7) उप-धारा (2) और (5) में निर्दिष्ट समय-अवधि निम्न से पूर्व की है -

(क) दिवाला कार्यवाही शुरू होने की तारीख से 2 (दो) कैलेंडर महीने; तथा

(ख) जिस तारीख को लेनदार विमान वस्तु पर कब्जा करने का हकदार होता, अगर यह खंड न होता।

(8) धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदान किया गया उपाय डीजीसीए द्वारा विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि उस तिथि के बाद 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित किया गया है, जिस पर लेनदार डीजीसीए को सूचित करता है कि वह अधिनियम के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करने का हकदार है।

(9) अधिनियम के अन्य प्रावधान इस धारा के तहत किसी भी उपचार के प्रयोग पर लागू होंगे।

(10) किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, गैर-सहमति अधिकारों या हितों को छोड़कर, जैसा कि तीसरी अनुसूची के भाग ए में सूचीबद्ध है, किसी भी अधिकार या हितों को पंजीकृत हितों पर दिवालियेपन की कार्यवाही में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

(11) जब एक विमान वस्तु भारत में स्थित है, न्यायालय, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XI के प्रावधानों के के तहत कार्रवाई करते समय, भारत में उस समय के लिए लागू कानूनों के अनुसार, विदेशी न्यायालयों और विदेशी दिवाला प्रशासकों के साथ अधिकतम संभव सहयोग करेगा।

20. लेनदार के लिए उपलब्ध अतिरिक्त उपचार— (1) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कानून के तहत लेनदार के लिए उपलब्ध उपचारों को प्रभावित करती है या पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, सिवाय इसके कि वे धारा 11, धारा 12 की उप-धाराओं (2) और (4), धारा 13 की उप-धाराओं (3) और (4) और धारा 16के प्रावधानों के साथ असंगत हों।

21. करार द्वारा बहिष्करण और संशोधन— (1) पक्षकार, लिखित रूप में करार द्वारा, धारा 19 के प्रयोग को बाहर कर सकती हैं, और एक दूसरे के साथ संबंधों में, धारा 12 की उप-धारा (2),धारा 15की उप-धारा (2), और धारा 16को छोड़कर प्रोटोकॉल के प्रभाव को कम कर सकती हैं या बदल सकती हैं।

(2) एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों में, कोई भी दो या दो से अधिक पक्ष किसी भी समय, लिखित करार द्वारा धारा 10 की उप-धाराओं (1) और (2) धारा 12 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 13 की उपधारा (1), (2) और (5), धारा 14, धारा 17 और धारा 20 के प्रभाव को कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं।) ।

अध्याय IV

समनुदेश और प्रत्यासन

22. संबद्ध अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय हित का समनुदेश— (1) पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत होने को छोड़कर, संबद्ध अधिकारों का एक समनुदेश भी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित और इस अधिनियम के तहत समनुदेशक के सभी हितों और प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर देगा, बशर्ते ऐसा समनुदेश प्रदान किया गया हो—

(क) लिखित में हो;

(ख) संबंधित अधिकारों को उस अनुबंध के तहत पहचाने जाने में सक्षम बनाता हो जिससे वे उत्पन्न होते हैं; तथा

(ग) सुरक्षा के माध्यम से एक समनुदेश के मामले में, प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित करने के लिए समनुदेश द्वारा सुरक्षित दायित्वों को सक्षम बनाता हो, लेकिन सुरक्षित राशि या अधिकतम राशि बताने की आवश्यकता के बिना:

परंतु यह कि सुरक्षा करार द्वारा बनाए गए या प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय हित का समनुदेश तब तक मान्य नहीं है जब तक कि कुछ या सभी संबंधित अधिकार भी साथ नहीं दिए जाते हैं।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी संबद्ध अधिकारों के समनुदेशन पर लागू नहीं होगा जो संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित को स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी नहीं है।

(3) समनुदेशिती और समनुदेशिती संबद्ध अधिकारों और उनके संबंधित अधिकारों के आंशिक समनुदेशन के लिए सहमत हो सकते हैं, इस हद तक कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के संबंध में देनदार को उसकी सहमति के बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें।

(4) नीचे उप-धारा (5) के अधीन, समनुदेशिती के खिलाफ देनदार के लिए उपलब्ध बचाव और अधिकार उस समय लागू कानून द्वारा शासित होंगे।

(5) जहां समनुदेशन सुरक्षा के रूप में होता है, समनुदेशन द्वारा सुरक्षित दायित्वों के निर्वहन पर, समनुदेशक में समनुदेशित अधिकार उस सीमा तक पुन: निहित हो जाएंगे, जिस सीमा तक वे अभी भी निर्वाह कर रहे हैं।

(6) देनदार किसी भी समय लिखित रूप में समनुदेशिती की ओर से कपटपूर्ण कृत्यों से उत्पन्न बचावों के अलावा, समनुदेशिती के विरुद्ध ऐसे ऋणी को उपलब्ध सभी या किसी भी बचाव और समायोजन के अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत हो सकता है।

(7) समनुदेशक द्वारा संबंधित अधिकारों के समनुदेशन और सुरक्षा के माध्यम से किए गए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के तहत चूक की स्थिति में, धारा 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 20 दोनों के बीच संबंधों में लागू होंगे। समनुदेशक और समनुदेशिती, और संबद्ध अधिकारों के संबंध में, जहां तक वे प्रावधान अमूर्त संपत्ति पर लागू होने में सक्षम हैं, मानो कि वे-

(क) सुरक्षित दायित्व और सुरक्षा हित संबंधित अधिकारों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित और उस समनुदेशन द्वारा बनाए गए सुरक्षा हित के समनुदेशन द्वारा सुरक्षित दायित्व के संदर्भ थे;

(ख) प्रभारी या लेनदार और चार्जर या देनदार के लिए समनुदेशिती और समनुदेशक के संदर्भ थे;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय हित के धारक के लिए समनुदेशिती के संदर्भ थे; तथा

(घ) विमान वस्तु के लिए निर्दिष्ट संबद्ध अधिकारों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के संदर्भ थे।

(8) जहां संबद्ध अधिकारों के प्रतिस्पर्धी समनुदेशन हैं, और

(क) कम से कम एक समनुदेशन में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित शामिल है, और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय हित का समनुदेशन पंजीकृत है, धारा 7 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि एक पंजीकृत हित के संदर्भ संबंधित अधिकारों और संबंधित पंजीकृत हित के समनुदेशन के संदर्भ थे और जैसे कि एक पंजीकृत या अपंजीकृत हित के संदर्भ एक पंजीकृत या अपंजीकृत समनुदेशन के संदर्भ थे।

(9) धारा 18 के प्रावधान निम्न पर लागू होंगे—

(क) संबद्ध अधिकारों का एक असाइनमेंट जैसे कि एक अंतरराष्ट्रीय हित के संदर्भ संबद्ध अधिकारों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय हित के एक असाइनमेंट के संदर्भ थे; तथा

(ख) समनुदेशक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही जैसे कि देनदार के संदर्भ समनुदेशक के संदर्भ थे।

(10) संबद्ध अधिकारों के समनुदेशिती और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित जिसका समनुदेशन पंजीकृत है, को संबद्ध अधिकारों के किसी अन्य समनुदेशिती पर उप-धारा (8) के तहत प्राथमिकता होगी-

(क) यदि अनुबंध जिसके तहत संबंधित अधिकार उत्पन्न होते हैं, यह बताता है कि वे विमान वस्तु से सुरक्षित हैं या उससे जुड़े हैं; तथा

(ख) इस हद तक कि संबद्ध अधिकार किसी विमान वस्तु से संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण I.— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, संबद्ध अधिकार एक विमान वस्तु से केवल उस सीमा तक संबंधित हैं, जिसमें वे भुगतान या निष्पादन के अधिकार शामिल हैं जो निम्न से संबंधित हैं —

(क) विमान वस्तु की खरीद के लिए उन्नत और उपयोग की गई राशि;

(ख) एक अन्य विमान वस्तु की खरीद के लिए अग्रिम राशि और उपयोग की गई राशि जिसमें असाइनर ने एक और अंतरराष्ट्रीय हित धारण किया, यदि असाइनर ने उस हित को असाइनी को स्थानांतरित कर दिया और असाइनमेंट पंजीकृत हो गया है;

(ग) विमान वस्तु के लिए देय मूल्य;

(घ) विमान वस्तु के संबंध में देय किराया; या

(ङ) किसी भी उप-पैराग्राफ (क) से (घ) किसी भी पैरा में में संदर्भित लेनदेन से उत्पन्न अन्य दायित्व।

स्पष्टीकरण II.— अन्य सभी मामलों में, संबंधित अधिकारों के प्रतिस्पर्धी असाइनमेंट की प्राथमिकता उस कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो उस समय लागू है।

23. संबद्ध अधिकारों का प्रत्यासन और इसके प्रभाव—

(1) उप-धारा (2) के अध्यधीन, इस अधिनियम में कुछ भी भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत कानूनी या संविदात्मक प्रस्थापन द्वारा संबंधित अधिकारों के अधिग्रहण और संबंधित अंतरराष्ट्रीय हित को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के भीतर किसी भी हित और एक प्रतिस्पर्धी हित के बीच प्राथमिकता संबंधित हितों के धारकों के बीच लिखित करार से भिन्न हो सकती है, लेकिन अधीनस्थ हित का एक समनुदेशिती उस हित को अधीनस्थ करने के लिए एक करार से बाध्य नहीं है जब तक कि असाइनमेंट के समय उस करार से संबंधित एक अधीनता दर्ज नहीं की गई हो।

अध्याय V

देनदार के अधिकार और कर्तव्य

24. देनदार के अधिकार और कर्तव्य — (1) धारा 10 के अर्थ के भीतर एक चूक की अनुपस्थिति में, ऋणी करार के अनुसार निम्न के विरुद्ध विमान वस्तु के शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग का हकदार होगा। —

(क) इसका लेनदार और किसी भी हित का धारक जिससे देनदार स्वामित्व या अन्य हित धारा 7 की उप-धारा (5) के अनुसार या, धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत खरीदार की क्षमता में लेता है, जब तक कि और इस हद तक कि देनदार अन्यथा सहमत हो गया है; तथा

(ख) किसी भी हित के धारक जिसके लिए देनदार का अधिकार या हित धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन है या धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत खरीदार की क्षमता में है, लेकिन केवल उस सीमा तक, यदि कोई हो, जहां तक ऐसा धारक सहमत हो गया है।

(2) इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान भी भारत में किसी भी कानून के तहत करार के किसी भी उल्लंघन के लिए लेनदार के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक कि करार एक विमान वस्तु से संबंधित है।

(3) इस सीमा तक कि संबंधित अधिकार और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित धारा 22 के अनुसार हस्तांतरित किए जाते हैं, देनदार असाइनमेंट से बाध्य होगा और भुगतान करने या समनुदेशिती को अन्य निष्पादन देने के लिए एक कर्तव्य के तहत होगा, बशर्ते:

(क) देनदार को असाइनमेंट की लिखित रूप में या असाइनर के अधिकार के साथ नोटिस दिया गया है,

(ख) नोटिस संबद्ध अधिकारों की पहचान करता है, और

(ग) देनदार ने लिखित रूप में सहमति दी है, चाहे सहमति असाइनमेंट से पूर्व में दी गई हो या असाइनी का निर्धारण करती हो।

स्पष्टीकरण — *किसी अन्य आधार पर ध्यान दिए बिना, जिस पर देनदार द्वारा भुगतान या निष्पादन देनदार को दायित्व से मुक्त करता है, भुगतान या निष्पादन इस उद्देश्य के लिए प्रभावी है यदि यह उप-धारा (3) के अनुसार किया जाता है।*

(4) इस खंड में कोई भी प्रावधान प्रतिस्पर्धी असाइनमेंट की प्राथमिकता को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय VI

अधिकार क्षेत्र और विधि का चयन

25. अधिकार क्षेत्र—

(1) जहां लेन-देन के पक्ष लिखित रूप में या अन्यथा भारत में कानून की औपचारिक आवश्यकताओं के अनुसार सहमत होते हैं, यह चुनते हैं कि अभिसमय के तहत लाए गए किसी भी दावे के संबंध में भारत के न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस अधिनियम के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण — संदेहों के निराकरण के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि उप-धारा (1) के तहत अधिकार क्षेत्र

(क) इस बारे में लागू होगा, कि भारत का पक्षकारों या लेनदेन के साथ संबंध है या नहीं; तथा

(ख) अनन्य होगा, जब तक कि पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमति न हो।

(2) न्यायालय एक विमान वस्तु के संबंध में उपचार प्रदान कर सकता है —

(क) धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ग), (घ) के तहत और धारा 17 की उप-धारा (4) के तहत, यदि पक्षकारों द्वारा ऐसी अदालत को चुना जाता है या जिनके अधिकार क्षेत्र विमान वस्तु स्थित है; तथा

(ख) धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के तहत या धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत कोई अन्य अंतरिम राहत, यदि पक्षकारों द्वारा ऐसा न्यायालय चुना जाता है या जिनके क्षेत्राधिकार में देनदार स्थित है, जहां राहत, जो इसे देने के आदेश की शर्तों के अनुसार, केवल भारत में लागू करने योग्य है।

(3) उप-धारा (2) लागू होगी, भले ही धारा 17(1) में निर्दिष्ट दावे का अंतिम निर्धारण किसी अन्य संविदाकारी राष्ट्र के न्यायालय में या माध्यस्थम् द्वारा होगा या हो सकता है।

(4) इस धारा में कुछ भी भारत में किसी भी कानून के तहत किसी भी दिवाला कार्यवाही के संबंध में किसी भी न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है।

(5) जहां एक लेन-देन के पक्ष, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक लिखित विकल्प बनाते हैं कि किसी अन्य संविदाकारी राष्ट्र के न्यायालयों के पास अभिसमय के अनुच्छेद 42 के अनुसार अधिकार क्षेत्र होगा, चाहे चुने हुए न्यायालय का पक्षकारों के साथ संबंध हो या नहीं या लेन-देन, भारत में न्यायालय क्षेत्राधिकार के ऐसे विकल्प को प्रभावी करेंगे:

परंतु यह कि जहां ऐसे पक्षकारों द्वारा अधिकारिता का ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, इस अधिनियम के अनुसार भारत में न्यायालयों के पास क्षेत्राधिकार होगा।

(6) वाणिज्यिक अधिनियम, 2015 (2016 का 4) के तहत वाणिज्यिक न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, उप-धारा (4) में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी मामले पर विचार करने और निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। किसी भी मामले के संबंध में दावा, मुकदमा या कार्यवाही जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है और किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा या किसी भी शक्ति के अनुसरण में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

26. विधि का चुनाव— एक करार, या बिक्री के अनुबंध, या एक संबंधित गारंटी अनुबंध या अधीनता करार के पक्ष कानून पर सहमत हो सकते हैं जो उनके संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए है, और जब तक अन्यथा सहमत न हो, कानून का संदर्भ कानूनी नियमों के टकराव की परवाह किए बिना पक्षकारों द्वारा चुने गए भारत के घरेलू कानून होंगे।

27. दिवालिया कार्यवाही का बहिष्करण.— इस अध्याय की धारा 25 और 26 दिवालिया कार्यवाही के दौरान लागू नहीं होगी.

अध्याय VII

विविध

28. नामित प्रवेश बिंदु—

(1) केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत के भीतर एक इकाई या संस्थाओं को प्रवेश बिंदु या प्रवेश बिंदु के रूप में नियुक्त या नामित कर सकती है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय हित के नोटिस के पंजीकरण के अलावा पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी, या किसी अन्य राष्ट्र के कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में तीसरी अनुसूची के भाग क के तहत अधिकार या हित अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेषित किया जाता है या किया जा सकता है।

(2) उपरोक्त उप-धारा (1) के तहत नाम निर्दिष्ट, एक विमान के इंजनों के संबंध में पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु या प्रवेश बिंदुओं के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकता है।

29. कठिनाइयों को दूर करना.—

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो इसे आवश्यक या कठिनाई को दूर करने के लिए समीचीन प्रतीत होते हैं:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

30. नियम बनाने और अभिसमय और प्रोटोकॉल और उनके कार्यान्वयन की घोषणा करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति.—

(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे और नियम बना सकती है जो आवश्यक और समीचीन समझे जाएं।

(2) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार—

(क) कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के तहत पहले से की गई घोषणाओं को घोषित या संशोधित कर सकती है; तथा

(ख) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, की गई घोषणाओं को प्रभावी बना सकती है और तीसरी अनुसूची के तहत अधिकारों या हितों की श्रेणियों में संशोधन कर सकती है।

(3) इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद के प्रत्येक सदन के सत्र के दौरान, जितनी जल्दी हो सके, 30 (तीस) दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो हो एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल किया जा सकता है, और यदि, सत्र की समाप्ति से पहले, सत्र के तुरंत बाद या पूर्वोक्त सत्रों के बाद, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हैं या दोनों सदन सहमत हैं कि नियम को नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

31. अन्य कानूनों को अधिरोहण करने के लिए इस अधिनियम की व्यावृत्ति और प्रावधान।—

(1) इस अधिनियम के प्रावधान और भारत में उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के बीच किसी भी असंगति के मामले में, पूर्व इस तरह की असंगति की सीमा तक मान्य होगा।

(2) अधिनियम के तहत विशेष रूप से प्रदान किए गए मामलों पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए के प्रावधान और प्रोटोकॉल प्रावधान, पर्यवेक्षी प्राधिकरण और रजिस्ट्रार लागू होंगे और उन्हें प्रभावी किया जाएगा।

(3) यह अधिनियम भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा, न कि अल्पीकरण में, सिवाय इसके कि जहां तक अन्य कानूनों के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

प्रथम अनुसूची

मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर

अभिसमय (कन्वेन्शन)

16 नवंबर 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित

मूल के अनुरूप

प्रमाणित प्रति

महासचिव

जोस एंजिलों एस्टिला फेरिया

केप टाउन

16 नवंबर 2001

मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर

अभिसमय (कन्वेन्शन)

इस अभिसमय (कन्वेंशन) के पक्षकार राष्ट्र,

उच्च मूल्य या विशेष आर्थिक महत्व के मोबाइल उपकरणों को प्राप्त करने और उपयोग के वित्तपोषण के संबंध में जागरूक और कुशल तरीके से, ऐसे उपकरणों के अधिग्रहण और उपयोग की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं,

यह सुनिश्चित करना कि इस प्रयोजन हेतु और इन्हें शासित करने के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करके, इस प्रकार के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण और पट्टे व्यवस्था के लाभों को पहचानना,

यह सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकहैं कि ऐसे उपकरणों में रुचि को मान्यता दी जाए और इन्हें सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किया जाए,

सभी हितधारित पार्टियों के लिए व्यापक और पारस्परिक आर्थिक लाभ प्रदान करने की आकांक्षा,

यह विश्वास करते हैं कि इस प्रकार के नियमों को परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण और पट्टे पर अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इन लेनदेन में आवश्यक पक्षों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना चाहिए,

इस तरह के उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत और उस उद्देश्य के लिए उनकी सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता,

ऐसे उपकरणों से संबंधित मौजूदा सम्मेलनों में उल्लिखित उद्देश्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

निम्नलिखित प्रावधानों पर सहमत हुए हैं:

अध्याय 1

अनुप्रयोग का क्षेत्र और सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 1 - परिभाषाएँ

इस अभिसमय (कन्वेंशन) में, जहां संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक है, को छोड़कर, निम्नलिखित शब्दों को नीचे दिए गए अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है:

1. मझौता" का अर्थ है, एक सुरक्षा समझौता, एक शीर्षक आरक्षण समझौता या एक पट्टा समझौता;
2. "असाइनमेंट" का अर्थ एक अनुबंध है, जो सुरक्षा के माध्यम से या अन्यथा, संबंधित अंतरराष्ट्रीय हित के हस्तांतरण के साथ या बिना समनुदेशिती को संबंधित अधिकार प्रदान करता है;
3. "संबद्ध अधिकार" का अर्थ है किसी देनदार द्वारा भुगतान या अन्य निष्पादन के सभी अधिकार, जो समझौते के तहत संरक्षित हैं या उद्देश्य से संबद्ध हैं;
4. "दिवालियापन कार्रवाई का आरंभ" का अर्थ उस समय से है, जब लागू दिवाला कानून के तहत दिवाला कार्रवाई आरंभ होती है;
5. "सशर्त खरीदार" का अर्थ एक शीर्षक आरक्षण समझौते के तहत एक खरीदार है;
6. "सशर्त विक्रेता" का अर्थ एक शीर्षक आरक्षण समझौते के तहत विक्रेता है;

7. "बिक्री का अनुबंध" का अर्थ है, एक विक्रेता द्वारा, एक खरीदार को वस्तु की बिक्री के लिए किया गया अनुबंध, जो उपर्युक्त (क) में परिभाषित एक समझौता नहीं है;

8. "न्यायालय" का अर्थ है, न्यायालय या एक संविदाकारी राष्ट्र द्वारा स्थापित प्रशासनिक या मध्यस्थ न्यायाधिकरण;

9. "लेनदार" का अर्थ है, एक सुरक्षा समझौते के तहत एक प्राप्तकर्ता (चार्जी), शीर्षक आरक्षण समझौते के तहत सशर्त विक्रेता या पट्टेदार,समझौते के तहत पट्टादाता;

10. "देनदार" का अर्थ है एक सुरक्षा समझौते के तहत एक चार्जर, एक शीर्षक आरक्षण समझौते के तहत एक सशर्त खरीदार, एक पट्टेदार समझौते के तहत एक पट्टेदार या एक व्यक्ति जिसका किसी वस्तु में हित एक पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या ब्याज से बोझ है;

11. "दिवाला प्रशासक" का अर्थ है, पुनर्गठन या परिसमापन को प्रशासित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, जिसमें एक अंतरिम आधार पर अधिकृत व्यक्ति भी शामिल है, और यदि लागू दिवाला कानून द्वारा अनुमति दी गई है, तो कब्जे में एक देनदार शामिल है;

12. "दिवाला कार्रवाई" का अर्थ, अंतरिम कार्रवाई सहितदिवालियापन,ऋणशोधन या अन्य सामूहिक न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई है, जिसमें देनदार की संपत्ति और कार्यकलाप, पुनर्विन्यास या ऋणशोधन के प्रयोजनों के लिए अदालत द्वारा नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन हैं;

13. "हितधारक व्यक्ति" का अर्थ है:

    (i) देनदार;

    (ii) कोई भी व्यक्ति, जो लेनदार के पक्ष में किसी भी दायित्व के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जमानत या मांग गारंटी या अतिरिक्त साख-पत्र या किसी अन्य प्रकार का क्रेडिट बीमा जारी करता है;

    (iii) वस्तु में या उस पर अधिकार रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति;

14. "आंतरिक लेनदेन" का अर्थ, अनुच्छेद-2 (2) (क) से (ग) में सूचीबद्ध प्रकार के लेनदेन से है, जहां ऐसे लेनदेन में सभी पक्षों के मुख्य हित हैं, और अनुबंध के समापन के समय, उस अनुबंधित राष्ट्र में संगत उद्देश्य स्थित है (जैसा कि प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्ट है), और जहां लेनदेन द्वारा सृजित हित,को उस अनुबंधकारी राष्ट्रकी राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया है, जिसने अनुच्छेद 50(1) के तहत इस संबंध में घोषणा की है;

15. "अंतर्राष्ट्रीय हित" का अर्थ है, लेनदार द्वारा धारित हित, जिस पर अनुच्छेद-2 लागू होता है;

16. "अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री" का अर्थ है, इस अभिसमय (कन्वेंशन) या प्रोटोकॉल के प्रयोजनों के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण सुविधाएं;

17. "पट्टा करार" का अर्थ, ऐसा समझौता से है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति (पट्टेदार) किसी अन्य व्यक्ति (पट्टेदार) को किराये या अन्य भुगतान के बदले में, किसी वस्तु (खरीदने के विकल्प के साथ या उसके बिना) पर कब्जा या नियंत्रण का अधिकार देता है;

18. "राष्ट्रीय हित" का अर्थ है किसी उद्देश्य में लेनदार द्वारा धारित और अनुच्छेद 50(1) के तहत एक घोषणा द्वारा शामिल, आंतरिक लेनदेन से सृजित हित;

19. "गैर-सहमति अधिकार या हित" का अर्थ, अनुबंधकारी राष्ट्र, जिसने दायित्व के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 39 के तहत एक घोषणा की है, के कानून के तहत प्रदत्त अधिकार या हित है, और इस दायित्व मेंराष्ट्र, राष्ट्र इकाई या अंत:सरकारी या निजी संगठन के दायित्व शामिल हैं;

20. "एक राष्ट्रीय हित की सूचना" का अर्थ है पंजीकृत या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत होने के लिए नोटिस कि एक राष्ट्रीय हित बनाया गया है;

21. "राष्ट्रीय हित की सूचना" का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत या पंजीकृत किए जाने वाला नोटिस, कि एक राष्ट्रीय हित का सृजन किया गया है;

22. "उद्देश्य" का अर्थ, उस श्रेणी का हित है, जिस पर अनुच्छेद-2 लागू होता है;

23. "पूर्वनिर्धारित अधिकार या हित" का अर्थ, अनुच्छेद-60(2)(क) द्वारा परिभाषित इस अभिसमय (कन्वेंशन) की प्रभावी तिथि से पूर्व निर्धारित या उत्पन्न किसी उद्देश्य में या उस पर किसी भी प्रकार का अधिकार या हित है;

24. "आगम" का अर्थ है, किसी वस्तु की समग्र या आंशिक हानि या भौतिक विनाश या उसकीसमग्र या आंशिक जब्ती, निंदा या अधिग्रहण से प्राप्त होने वाली धन या गैर-धन आगम;

25. "संभावित समनुदेशन" का अर्थ है, ऐसे समनुदेशन से है, जो उल्लिखित घटना के होने पर, चाहे उस घटना की आवृत्ति निश्चित है या नहीं, भविष्य में किए जाने की मंशा है,

26. "संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित" का अर्थ ऐसा हित है, जो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय हित के रूप में किसी हित में सृजित या हेतु प्रावधान के लिए अभिप्रेत है, जो, निर्धारित घटना के होने पर होगा (जिसमें देनदार द्वारा ब्याज का अधिग्रहण शामिल हो सकता है), चाहे घटना का होना निश्चित है या नहीं है;

27. "संभावित बिक्री" का अर्थ ऐसी बिक्री है, जो भविष्य में किसी घटना के होने पर भविष्य में की जानी है, चाहे घटना का होना निश्चित है या नहीं है;

28. "प्रोटोकॉल" का अर्थ है, किसी भी श्रेणी के उद्देश्य और संबद्ध अधिकारों के संबंध में, जिस पर यह अभिसमय (कन्वेंशन) लागू होता है, उस श्रेणी का हित और संबंधित अधिकारों के संबंध में प्रोटोकॉल;

29. "पंजीकृत" का अर्थ है, अध्याय V के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत;

30. "पंजीकृत हित" का अर्थ है, अंतरराष्ट्रीय हित, पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित या राष्ट्रीय हित, जो अध्याय-V के अनुसार पंजीकृत राष्ट्रीय हित के नोटिस में विनिर्दिष्ट है;

31. "पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित" का अर्थ, अनुच्छेद-40 के तहत प्रस्तुत की गई घोषणा के अनुसार गैर-सहमति अधिकार या हित पंजीकरण योग्य हित है;

32. "रजिस्ट्रार" का अर्थ है, अनुच्छेद 17(2)(बी) के तहत प्रोटोकॉल, या उस प्रोटोकॉल के तहत नामित व्यक्ति या निकाय;

33. "विनियम" का अर्थ, प्रोटोकॉल के अनुसार पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या अनुमोदित नियम हैं;

34. "बिक्री" का अर्थ है बिक्री के अनुबंध के अनुसार किसी वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण;

35. "सुरक्षित दायित्व (दायित्वों)" का अर्थ, सुरक्षा हित द्वारा सुरक्षित दायित्व है;

36. "सुरक्षा समझौता" का अर्थ, ऐसा समझौता है, जिसके द्वारा एक प्रभारदाता (चार्जर),प्रभारी (चार्जी) को, प्रभारदाता या तीसरे व्यक्ति के किसी मौजूदा मौजूदा या भावी दायित्व के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए वस्तु में या उसपर हित (स्वामित्व हित सहित) प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

37. "सुरक्षा हित" का अर्थ सुरक्षा समझौते द्वारा बनाया गया हित है;

38. "पर्यवेक्षी प्राधिकरण" का अर्थ है, प्रोटोकॉल के संबंध में, अनुच्छेद 17(1) में संदर्भित पर्यवेक्षी प्राधिकरण;

39. "टाइटल आरक्षण करार" का अर्थ किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक समझौता है, जो इस शर्त पर है कि स्वामित्व तबतक पारित नहीं होता है, जब तक कि समझौते में बताई गई शर्त या शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है;

40. "अपंजीकृत हित" का अर्थ है एक सहमतिपूर्ण हित या गैर-सहमति अधिकार या हित (उन हित से इतर जिस पर अनुच्छेद 39 लागू होता है), जो पंजीकृत नहीं है, चाहे वे इस अभिसमय (कन्वेंशन) के तहत पंजीकरण योग्य हो या नहीं; तथा

41. "लेखन" का अर्थ है, सूचना का रिकॉर्ड (टेलीट्रांसमिशन द्वारा संप्रेषित जानकारी सहित) जो मूर्त या अन्य रूप में है और आगामी अवसरों पर, मूर्त रूप में पुन: प्रस्तुत करने में सक्षम है और जो उचित माध्यम से इंगित करता है कि रिकॉर्ड के लिए व्यक्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 2—अंतर्राष्ट्रीय हित

1. इस अभिसमय (कन्वेंशन) में, मोबाइल उपकरणों और संबद्ध अधिकारों की कुछ श्रेणियों में अंतरराष्ट्रीय हित के संस्थापन और प्रभावों के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हित, अनुच्छेद 7 के तहत गठित, अनुच्छेद 3 में सूचीबद्ध और प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट ऐसी वस्तुओं की एक विशिष्ट पहचान योग्य वस्तु में रुचि है:

(क) एक सुरक्षा समझौते के तहत चार्जर द्वारा अनुदान की गई;

(ख) एक ऐसे व्यक्ति में निहित है जो एक टाइटल आरक्षण समझौते के तहत सशर्त विक्रेता है; या

(ग) एक ऐसे व्यक्ति में निहित है, जो पट्टा करार के तहत पट्टेदार है।

उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत आने वाला हित, उप-पैराग्राफ - (ख) या (ग) के अंतर्गत नहीं आता है।

1. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित श्रेणियां हैं:

(क) एयरफ्रेम, विमान इंजन और हेलीकॉप्टर;

(ख) रेलवे चल स्टॉक; तथा

(ग) अंतरिक्ष संपत्ति।

1. लागू कानून यह निर्धारित करता है कि, क्या कोई हित, जिस पर अनुच्छेद 2 लागू होता है, उस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क), (ख) या (ग) के अंतर्गत आता है।

2. किसी वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय हित, उस वस्तु की आगम के स्तर तक होगा।

अनुच्छेद 3—अनुप्रयोग का क्षेत्र

1. यह अभिसमय (कन्वेंशन) तब लागू होता है, जब करार के समापन, जिसे अंतरराष्ट्रीय हित के लिए सृजित या प्रावधान किया गया है, में देनदार, एक संविदात्मक राष्ट्र में स्थित होता है।

2. तथ्य यह है कि यदि लेनदार एक गैर-संविदाकारी राष्ट्र में स्थित है, तो वह इस अभिसमय के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 4—जहां देनदार स्थित है

1. अनुच्छेद 3(1) के प्रयोजनों के लिए, देनदार किसी संविदाकारी राष्ट्र में स्थित है:

(क) जिस कानून के तहत इसे शामिल या तैयार किया गया है;

(ख) जहां इसका पंजीकृत कार्यालय या वैधानिक सीट है;

(ग) जहां इसका प्रशासन का केंद्र है; या

(घ) जहां इसके व्यवसाय का स्थान है।

1. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (घ) में देनदार के व्यवसाय के स्थान के संदर्भ में, यदि उसके पास व्यवसाय के एक से अधिक स्थान हैं, तो इसका तात्पर्य,

उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान से है या, यदि उसके पास व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है, तो उसका निवास स्थान।

अनुच्छेद 5 — व्याख्या और लागू कानून

1. इस अभिसमय (कन्वेंशन) की व्याख्या में, प्रमुख ध्यान प्रस्तावना में निर्धारित इसके उद्देश्यों, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इसके अनुप्रयोग में एकरूपता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में होना चाहिए।

2. इस अभिसमय द्वारा शासित मामलों से संबंधित प्रश्नों, जो इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं, उनका समाधान, उन सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा, जिन पर यह आधारित हैं या, ऐसे सिद्धांतों की अनुपस्थिति में, ये लागू कानून के अनुरूप होंगे।

3. लागू कानून के संदर्भ,उक्त फोरम राष्ट्र के निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों द्वारा निर्धारित लागू कानून के घरेलू नियमों से संबंधित हैं।

4. जहां एक राष्ट्र, में कई प्रादेशिक इकाइयाँ शामिल हैं, जहां उक्त मामले में निर्णय लिए जाने के संबंध में, प्रत्येक क्षेत्र के पास कानून के अपने नियम हैं, और जहां प्रासंगिक प्रादेशिक इकाई का कोई संकेत नहीं है, उस राष्ट्र का कानून तय करेगा कि कौन सेप्रादेशिक इकाई का नियम यहां लागू होगा। ऐसे किसी नियम के अभाव में प्रादेशिक इकाई का कानून लागू होगा, जिससे मामला सर्वाधिक निकटता से जुड़ा है।

5. यहां, कोई खंड, अनुच्छेद, उप- अनुच्छेद, अनुबंध या अनुसूची का संदर्भ का अर्थ, जब तक कि अन्यथा इसके विपरीत उल्लेख न दिया गया हो, इस विलेख के खंड, अनुच्छेद, उप- अनुच्छेद, अनुबंध या अनुसूची से है;

अनुच्छेद 6 –अभिसमय (कन्वेंशन) और प्रोटोकॉल

के बीच संबंध

1. इस अभिसमय (कन्वेंशन) और प्रोटोकॉल को एक ही उपकरण के रूप में एक साथ पढ़ा जाएगा और व्याख्या की जाएगी।

2. इस अभिसमय (कन्वेंशन) और प्रोटोकॉल के बीच किसी भी स्तर की विसंगति की स्थिति में, प्रोटोकॉल मान्य होगा।

अध्याय -II

अंतरराष्ट्रीय हित की स्थापना

अनुच्छेद 7 - औपचारिक अपेक्षाएं

इस अभिसमय (कन्वेंशन) के तहत अंतरराष्ट्रीय हित के रूप में हित की स्थापना की जाती है, जहां करार द्वारा हित का सृजन या प्रावधान किया जाता है।

(क) लिखित में है;

(ख) यह ऐसी वस्तु से संबंधित है, जिसेप्रभारक (चार्ज), सशर्त विक्रेता या पट्टेदार को बेचने का अधिकार है;

(ग) प्रोटोकॉल के अनुरूप उद्देश्य की पहचाने करने में सक्षम बनाता है; तथा

(घ) प्रतिभूति करार के मामले में,रक्षित दायित्वों को निर्धारित किए जाने को सक्षम बनाता है, किन्तु रक्षित राशि या अधिकतम राशि का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता के बिना।

अध्याय-III

चूक के उपाय

अनुच्छेद 8 - चार्जी के उपचार

1. अनुच्छेद-11 में प्रावधान के अनुसार, चूक की स्थिति में, प्रभारक द्वारा किसी भी समय सहमत स्तर तक, और अनुच्छेद-54 के तहत, संविदाकारी राष्ट्र द्वारा की जाने वाली किसी भी घोषणा के अध्यधीन, प्रभारी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उपायों का प्रयोग कर सकता है:

(क) किसी वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण प्राप्त करना, जिसके लिए उसे प्रभारित किया गया है;

(ख) ऐसी किसी वस्तु को बेचना या पट्टे पर देना;

(ग) ऐसी किसी वस्तु के प्रबंधन या उपयोग से प्राप्त होने वाली किसी आय या लाभ को एकत्र या प्राप्त करना।

2. चार्जी (chargee) वैकल्पिक रूप से पूर्ववर्ती पैराग्राफ में संदर्भित किसी भी कृत्य को अधिकृत या निर्देशित करने वाले न्यायालय के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

3. पैराग्राफ -1 या अनुच्छेद 13 के उप-पैरा (क), (ख) या (ग) में निर्धारित किसी उपाय का प्रयोग,वाणिज्यिक रूप से युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा। उपाय को वहां वाणिज्यिक रूप से उचित तरीके से प्रयोग किया माना जाएगा, जहां इसे सुरक्षा समझौते के प्रावधान के अनुरूप प्रयोग किया गया है, सिवाय, उस स्थिति के,जहां ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुचित है।

4. पैराग्राफ-1 के तहत किसी वस्तु को बेचने या पट्टे पर देने का प्रस्ताव करने वाला प्रभारी, प्रस्तावित बिक्री या पट्टे के बारे में लिखित में युक्तिसंगत स्तर पर पूर्व सूचना देगा:

(क) अनुच्छेद-1 (एम) (i) और (ii) में निर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति; तथा

(ख) अनुच्छेद 1 (एम) (iii) में विनिर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति, जिन्होंने बिक्री या पट्टे से पूर्व उचित समय के भीतर, प्रभारी को अपने अधिकारों की सूचना दी है।

5. पैराग्राफ 1 या 2 में निर्धारित किसी उपाय के प्रयोग के परिणामस्वरूप प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त की गई कोई भी राशि, रक्षित दायित्वों की राशि के निर्वहन के लिए प्रयोग की जाएगी।

6. जहां पैराग्राफ 1 या 2 में निर्धारित किसी भी उपाय के प्रयोग के परिणामस्वरूप,प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त राशि, रक्षा हित से प्राप्त राशि या ऐसे किसी उपाय के प्रयोग में किए गए युक्तिसंगत व्यय से अधिक है, तोबशर्ते अन्यथा न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो, प्रभारी, हितों के आगामी क्रम, जिसे पंजीकृत किया गया है या जिसके संबंध में प्रभारी द्वारा नोटिस दिया गया है, के अनुसार, प्राथमिकता के क्रम में, धारकों को अतिरिक्त धन का संवितरण करेगा, और बचे हुई शेष राशि का भुगतान प्रभारक (charger) को करेगा।

अनुच्छेद 9 - वस्तु का धारण संतोष; मोचन

1. किसी भी समय,अनुच्छेद 11 में प्रावधन के अनुसार,चूक के पश्चात,जैसा कि, प्रभारी और सभी इच्छुक व्यक्ति, इस बात से सहमत हो सकते हैं कि प्रतिभूति हित में शामिल किसी भी वस्तु का स्वामित्व (या प्रभारक का कोई अन्य हित),रक्षित दायित्वों, रक्षित दायित्वों की संतुष्ट पर प्रभारी में या उसके प्रति निहित होगा।

2. न्यायालय, प्रभारी के आवेदन पर, आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति हित में शामिल किसी भी वस्तु का स्वामित्व (या प्रभारक का कोई अन्य हित) रक्षित दायित्वों,रक्षित दायित्वों की संतुष्ट पर प्रभारी में या उसके प्रति निहित होगा।

3. न्यायालय पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत आवेदन को केवल तभी स्वीकार करेगा,जब रक्षित दायित्वों की राशि, जिसे उसे निहितार्थ द्वारा संतुष्ट किया जाएगा, को प्रभारी द्वारा किस इच्छुक व्यक्तियों किए जाने वाले किसी भुगतान को ध्यान में रखने के पश्चात वस्तु के मूल्य के अनुरूप है।

4. अनुच्छेद 11 में प्रावधान के अनुसार, चूक के पश्चात किसी भी समय, और प्रभारित वस्तु की बिक्री से पूर्व या पैराग्राफ-2 के तहत आर्डर देने से पूर्व, प्रभारक या कोई इच्छुक व्यक्ति,अनुच्छेद 8(1)(ख) या अनुच्छेद 8(2) के तहत आदेश के मद्देनजर, प्रभारी या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति पूर्ण रक्षित राशि का भुगतान करके रक्षित हित का निष्पादन कर सकता है। जहां, ऐसी चूक के पश्चात, प्रतिभूत राशि का भुगतान देनदार के अतिरिक्त किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उस व्यक्ति को प्रभारी के अधिकारों के अधीन कर दिया जाता है।

5. अनुच्छेद -8(1)(ख) के तहत बिक्री या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 या 2 के तहत अंतरित करके प्रभारी का स्वामित्व या कोई अन्य हित, किसी अन्य हित से मुक्त होगा, जिस पर अनुच्छेद 29 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी के रक्षित हित को प्राथमिकता प्राप्त है।

अनुच्छेद 10 — सशर्त विक्रेता या पट्टेदार के उपचार

टाइटल (शीर्षक) आरक्षण समझौते के तहत, या अनुच्छेद-11 के प्रावधान के अनुरूप पट्टे समझौते के तहत, चूक की स्थिति में, सशर्त विक्रेता या पट्टेदार, जैसा भी मामला हो:

(क) अनुच्छेद-54 के तहत संविदाकारी राष्ट्र द्वारा की जाने वाली किसी घोषणा के अध्यधीन, समझौते को समाप्त कर सकता है और समझौते से संबंधित किसी भी वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण कर सकता है; या

(ख) इन कृत्यों में से किसी एक को अधिकृत या निर्देशित करने हेतु न्यायालय से आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

अनुच्छेद 11 - चूक का अर्थ

1. देनदार और लेनदार, किसी भी समय, लिखित रूप में उन घटनाओं के संबंध में सहमत हो सकते हैं, जिनके कारण चूक हो सकती है या या अन्यथा अनुच्छेद 8 से 10 और 13 में निर्दिष्ट अधिकारों और उपायों को प्रकट कर सकते हैं।

2. जहां देनदार और लेनदार इस तरह सहमत नहीं हुए हैं, वहां अनुच्छेद 8 से 10 और 13 के प्रयोजनों के लिए "चूक" का अर्थ लेनदार को उस अधिकार से व्यापक स्तर पर वंचित रखना है, जिसके लिए वह समझौते के तहत हकदार है।

अनुच्छेद 12 — अतिरिक्त उपाय

पक्षों द्वारा सहमत किन्हीं उपायों सहित लागू कानून द्वारा अनुमत किसी भी अतिरिक्त उपाय का प्रयोगउस स्तर तक किया जाएगा, जो अनुच्छेद 15 में निर्धारित इस अध्याय के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत न हों।

अनुच्छेद 13 - अंतिम निर्धारण के कारण लंबित राहत

1. किसी भी घोषणा के अध्याधीन, जो अनुच्छेद 55 के तहत की जा सकती है, संविदाकारी राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि एक लेनदार, जो देनदार द्वारा चूक का साक्ष्य पेश करता है, उसके दावे के अंतिम निर्धारण के लंबित रहने पर और सहमति अनुसार किसी भी समय देनदार, लेनदार के अनुरोधों के रूप में निम्नलिखित एक या अधिक आदेशों के रूप में त्वरित राहत के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(क) वस्तु और उसके मूल्य का संरक्षण;

(ख) वस्तु का कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा;

(ग) वस्तु का स्थिरीकरण; तथा

(घ) पट्टा या, उप-पैराग्राफ (क) से (ग) के अंतर्गत शामिल प्रावधानों को छोड़कर, वस्तु और उससे होने वाली आय का प्रबंधन।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत कोई भी आदेश देते समय, अदालत ऐसी शर्तों को लागू कर सकती है, जो इच्छुक व्यक्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे, यदि ऋणदाता:

(क) ऐसी राहत प्रदान करने वाले किसी आदेश को लागू करने में, इस अभिसमयया प्रोटोकॉल के तहत देनदार के प्रति अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है; या

(ख) उक्त दावे के अंतिम निर्धारण पर, अपना दावा,पूर्ण या आंशिक रूप में, स्थापित करने में विफल रहता है।

3. पैराग्राफ 1 के तहत कोई भी आदेश देने से पूर्व, न्यायालय,किसी भी इच्छुक व्यक्ति को दिए जाने वाले अनुरोध की सूचना मांग सकता है।

4. इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधन, अनुच्छेद 8(3) के अनुप्रयोग या पैराग्राफ 1 में निर्धारित से इतर, अंतरिम राहत के रूपों की उपलब्धता सीमाओं, को प्रभावित नहीं करता है।

अनुच्छेद 14 — प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं

अनुच्छेद 54(2) के अध्याधीन, इस अध्याय द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उपाय का प्रयोग, उस स्थान के कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा, जहां इस उपाय का प्रयोग किया जाना है।

अनुच्छेद 15 — परिवर्तन

एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के आधार पर, इस अध्याय में संदर्भित कोई दो या अधिक पक्ष, किसी भी समय, लिखित रूप में, समझौते से, अनुच्छेद 8(3) से (6), 9(3) और (4), 13(2) और 14 को छोड़कर, इस अध्याय के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधानों को परिवर्तित या उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। ।

अध्याय IV

अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली

अनुच्छेद 16 — अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री

1. निम्नलिखित के पंजीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी:

(क) अंतरराष्ट्रीय हित, संभावित अंतरराष्ट्रीय हित और पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार और हित;

(ख) अंतरराष्ट्रीय हितों के असाइनमेंट और संभावित असाइनमेंट;

(ग) लागू कानून के तहत कानूनी या संविदात्मक प्रत्यासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय हितों का अधिग्रहण;

(घ) राष्ट्रीय हितों की सूचना; तथा

(ड.) पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ में से किसी में संदर्भित हितों का प्रत्यासन।

2. वस्तु और संबद्ध अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रियां स्थापित की जाएंगी।

3. इस अध्याय और अध्याय-V के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकरण" शब्द में, जहां उपयुक्त हो, पंजीकरण का संशोधन, विस्तार या निर्वहन शामिल है।

अनुच्छेद 17 - पर्यवेक्षी प्राधिकारी और रजिस्ट्रार

1. प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान किए अनुसार, एक पर्यवेक्षी प्राधिकारी होगा।

2. पर्यवेक्षी प्राधिकारी:

(क) अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना करेगा या स्थापना के लिए प्रावधान करेगा;

(ख) प्रोटोकॉल द्वारा किए गए अन्यथा प्रदान को छोड़कर, रजिस्ट्रार की नियुक्ति और बर्खास्तगी करेगा;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि, रजिस्ट्रार के परिवर्तन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के निरंतर प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक कोई अधिकार, नए रजिस्ट्रार में निहित होगा या उसे सौंपे जाने योग्य होगा;

(घ) संविदाकारी राष्ट्रों के साथ परामर्श के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन से संबंधित प्रोटोकॉल के अनुसरण में नियमों का प्रकाशन करेगा या अनुमोदन करेगा और सुनिश्चित करेगा;

(ड.) प्रशासनिक प्रक्रियाएं स्थापित करेगा, जिनके माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं;

(च) रजिस्ट्रार और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन की निगरानी करेगा;

(छ) रजिस्ट्रार के अनुरोध पर, रजिस्ट्रार को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जो पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाएं;

(ज) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री की सेवाओं और सुविधाओं के लिए प्रभारित किए जाने वाले शुल्क की संरचना को निर्धारित करेगा और समय-समय पर उसकी समीक्षा करेगा;

(झ) इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को लागू करने के लिए एक कुशल सूचना-आधारित इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक हर प्रयास करेगा; तथा

(ट) इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में संविदाकारी राष्ट्रों को समय-समय पर रिपोर्ट करेगा।

3. पर्यवेक्षी प्राधिकारी,अनुच्छेद-27 (3) में संदर्भित किसी समझौतेसहित अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित किसी भी समझौते में प्रवेश कर सकता है।

4. पर्यवेक्षी प्राधिकारी के पास अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के डेटा बेस और अभिलेखागार में सभी प्रोपराइटरी अधिकार होंगे।

5. रजिस्ट्रार, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कुशल संचालन को सुनिश्चित करेगा और इस कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और विनियमों द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

अध्याय V

पंजीकरण से संबंधित अन्य मामले

अनुच्छेद 18 - पंजीकरण अपेक्षाएं

1. प्रोटोकॉल और विनियम,वस्तु की पहचान के लिए मानदंड सहित अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेगा।:

(क) पंजीकरण को प्रभावित करने के लिए (जिसमें किसी व्यक्ति से किसी सहमति के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए प्रावधान शामिल होगा, जिसकी सहमति अनुच्छेद-20 के तहत आवश्यक है);

(ख) तलाशी लेने और तलाशी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु और, उससे संबंधित विषय;

(ग) पंजीकरण से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों से इतर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री की जानकारी और दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु।

2. रजिस्ट्रार का यह दायित्व नहीं है कि वह पूछताछ करे कि क्या अनुच्छेद 20 के तहत पंजीकरण के लिए सहमति वास्तव में दी गई है या वह वैध है।

3. जहां, संभावित अंतरराष्ट्रीय हित के रूप में पंजीकृत कोई हित,अंतरराष्ट्रीय हित बन जाता है, तो वहां आगे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते पंजीकरण जानकारी अंतरराष्ट्रीय हित के पंजीकरण के लिए पर्याप्त हो।

4. रजिस्ट्रार, अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस में दर्ज किए जाने वाले पंजीकरणों की व्यवस्था करेगा और प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में खोजयोग्य बनाया जाएगा, तथा फाइल प्राप्ति की तारीख और समय को दर्ज करेगी।

5. प्रोटोकॉल यह प्रावधान करेगा कि, संविदाकारी राष्ट्र, प्रवेश बिंदु या प्रवेश बिंदुओं के रूप में अपने क्षेत्र में निकाय या निकायों को नामित कर सकता है,जिसके माध्यम से पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेषित की जा सकती है या की जाएगी। ऐसा नामांकन करते समय संविदाकारी राष्ट्र, उन अपेक्षाओं,यदि कोई हों,को ऐसी जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेषित करने से पूर्व,संतुष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 19 - पंजीकरण की वैधता और समय

1. पंजीकरण तभी मान्य होगा, जब वह अनुच्छेद-20 के अनुरूप बनाया गया हो।

2. एक पंजीकरण, यदि वैध है, आवश्यक जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस में दर्ज करने पर पूरा किया जाएगा ताकि उसे खोजा जा सके।

3. पिछले पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, पंजीकरण को उस समय खोजा जा सकता है, जब:

(क) अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री ने इसे क्रमिक रूप से फ़ाइल संख्या प्रदान किया है; तथा

(ख) फ़ाइल संख्या सहित पंजीकरण जानकारी,स्थायी रूप में संग्रहीत किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री में इस तक पहुंचप्राप्त की जा सकती है।

4. यदि, संभावित अंतरराष्ट्रीय हित के रूप में पहली बार पंजीकृत एक हित, अंतरराष्ट्रीय हित बन जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हित को संभावित अंतरराष्ट्रीय हित के पंजीकरण के समय से इसे पंजीकृत माना जाएगा, बशर्ते कि अनुच्छेद 7के प्रावधान के रूप में अंतरराष्ट्रीय हित के गठन से तत्काल पूर्व,पंजीकरण की प्रक्रिया चालू थी।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफ, अंतरराष्ट्रीय हित के संभावित असाइनमेंट के पंजीकरण के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होता है।

6. प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस में पंजीकरण, खोजा जा सकता है।

अनुच्छेद 20 – पंजीकरण हेतु सहमति

1. एक अंतरराष्ट्रीय हित, एक संभावित अंतरराष्ट्रीय हित या एक अंतरराष्ट्रीय हित का समनुदेशन या संभावित समनुदेशन को पंजीकृत किया जा सकता हैऔर इस तरह के किसी भी पंजीकरण को दूसरे पक्ष द्वारा लिखित सहमति के साथ इसकी समाप्ति से पहले संशोधित या बढ़ाया जा सकता है।

2. किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के अधीनस्थीकरण को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हित के प्रति अथवा उस व्यक्ति की लिखित सहमति से जिसके हित को अधीनस्थ किया गया है, पंजीकृत किया जा सकता है।

3. पंजीकरण उसके द्वारा अथवा उस पक्ष के द्वारा जिसके पक्ष में इसे किया जा रहा है, उन्मोचित किया जा सकता है।

4. किसी अंतर्राष्ट्रीय हित का अधिग्रहण, कानूनी अथवा संविदात्मक प्रत्यासन के द्वारा, प्रत्यासिती द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है।

5. एक पंजीकरण योग्य गैर-सहमतिजन्य अधिकार अथवा हित, धारक द्वारा स्वंय किया जा सकता है।

6. किसी राष्ट्रीय हित की सूचना धारक द्वारा स्वंय पंजीकृत की जा सकती है।

अनुच्छेद 21 – पंजीकरण की समयावधि

किसी अंतर्राष्ट्रीय हित का पंजीकरण उसके उन्मोचन अथवा पंजीकरण में वर्णित समयावधि तक प्रभावी रहता है।

अनुच्छेद 22-तलाशियां

1. कोई व्यक्ति, प्रोटोकॉल तथा विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए, संबंधित हितों युक्त इलैक्ट्रॉनिक साधनों अथवा उनमें पंजीकृत संभावित अंतर्राष्ट्रीय हितों के द्वारा तलाशी का अनुरोध कर सकता है।

2. अनुरोध प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, प्रोटोकॉल तथा विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, निम्न किसी के भी संबंध में एक रजिस्ट्री तलाशी प्रमाण पत्र जारी करेगाः

1. इस प्रकार की सूचनाओं के पंजीकरण के दिन तथा समय को दर्शाते हुए उससे जुड़ी हुई सभी पंजीकृत सूचनाओं को,

2. यह उल्लिखित करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है।

3. पिछले पैराग्राफ के अंतर्गत जारी किया गया तलाशी प्रमाण पत्र यह सूचित करेगा कि पंजीकरण सूचना में उल्लिखित लेनदार ने इस विषय में एक अंतर्राष्ट्रीय हित अधिग्रहण कर लिया है अथवा अधिग्रहित करने की मंशा रखता है लेकिन यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि जो पंजीकृत है वह अंतर्राष्ट्रीय हित है अथवा एक संभाव्य अंतर्राष्ट्रीय हित है, यहां तक कि यदि यह संबंधित पंजीकरण सूचना से निर्धार्य हो तब भी।

अनुच्छेद 23 – घोषणाओं तथा घोषित गैर-सहमति योग्य अधिकार अथवा हित

रजिस्ट्रार घोषणाओं, घोषणा प्रत्याहार तथा गैरसहमति अधिकार की श्रेणियों अथवा जमाकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को संप्रेषित किए गए हितों जिन्हें अनुच्छेद 39 तथा 40 के पुष्टि में संबंधित देश द्वारा घोषित किया गया हो और इस प्रकार की प्रत्येक घोषणा अथवा घोषणा प्रत्याहार की तारीख की सूची तैयार करेगा। इस सूची को दर्ज किया जाएगा तथा घोषणा करने वाले देश में तलाशीयोग्य होगी और प्रोटोकॉल तथा विनियमों में निर्धारितानुसार, अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुच्छेद 24 – प्रमाण पत्र का साक्षिक मूल्य

विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए किसी प्रपत्र के रूप में एक दस्तावेज जिसे अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री द्वारा जारी प्रमाण पत्र बताया गया हो, प्रथम दृष्टया साबित होता है किः

(क) इसे इसी प्रकार जारी किया गया है; तथा

(ख) पंजीकरण के दिनांक एवं समय के साथ इसमें वर्णित किए गए तथ्य।

अनुच्छेद 25 – पंजीकरण का उन्मोचन

1. जहाँ पर किसी पंजीकृत सुरक्षा हित द्वारा दायित्व सुरक्षित रखा गया हो अथवा दायित्व एक पंजीकृत गैर-सहमतियोग्य अधिकार अथवा हित को बढ़ाते हुए उन्मोचित किया गया है, अथवा जहाँ पर एक पंजीकृत शीर्षक संरक्षण करार के अधीन शीर्षक के हस्तांतरण की शर्तों को पूरा किया गया है, इस प्रकार के हितों का धारक, बिना किसी अनावश्यक देरी के, लेनदार द्वारा लिखित मांग प्राप्त होने अथवा पंजीकरण में दर्ज इसके पते पर प्राप्त होने के पश्चात पंजीकरण के उन्मोचन को प्राप्त करता है।
2. जहाँ पर संभावित अंतर्राष्ट्रीय हित अथवा एक अंतर्राष्ट्रीय हित का निदेश पंजीकृत हुआ हो, मंशायुक्त लेनदार अथवा संभावित समनुदेशी, बिना अनावश्यक देरी के, संभावित लेनदार अथवा समनुदेशी से लिखित मांग जो पंजीकरण में वर्णित इसके पते पर डिलीवर की गई है अथवा प्राप्त हुई है, मंशाधारी लेनदार अथवा समनुदेशी ने इसे मूल्य दिया हो अथवा मूल्य देने हेतु आश्वासन प्रदान कर लिया हो, के उपरांत पंजीकरण का उन्मोचन प्राप्त करेगा।
3. जहां एक राष्ट्रीय हित के एक पंजीकृत नोटिस में निर्दिष्ट राष्ट्रीय हित द्वारा सुरक्षित दायित्वों का निर्वहन किया गया है,ऐसे हित का धारक,बिना किसी अनावश्यक देरी के,देनदार द्वारा लिखित मांग के बाद पंजीकरण के निर्वहन का धारण करेंगे या पंजीकरण में उल्लिखित उसके पते पर प्राप्त करेंगे।
4. जहाँ कोई पंजीकरण तैयार किया हुआ नहीं माना गया है अथवा त्रुटिपूर्ण है, तो वह व्यक्ति जिसके हित में पंजीकरण किया गया है, लेनदार द्वारा लिखित मांग पर बिना किसी अनावश्यक देरी के, इसके निर्वहन को धारण करेगा अथवा संशोधित करेगा।

अनुच्छेद 26 – अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण सुविधाओं तक पहुँच

इस अध्याय द्वारा निर्धारित क्रिया-प्रणाली का अनुपालन करने में इसकी असफलता के अलावा किसी अन्य आधार पर किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संस्थानों में पंजीकरण तथा तलाशी से रोका नहीं जाएगा।

अध्याय VI

रजिस्ट्रार तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारी के विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षाएं

अनुच्छेद 27 – कानूनी व्यक्तित्व; प्रतिरक्षा

1. जहाँ इस प्रकार का व्यक्तित्व पहले न धारित हो, वहाँ पर्यवेक्षी प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व का धारक होगा।

2. पर्यवेक्षी प्राधिकारी तथा इसके अधिकारीगण एवं कर्मचारी कानूनी अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया जैसी प्रोटोकॉल में निर्धारित हो से इस प्रकार की प्रतिरक्षा का लाभ उठाएंगे।

3. (क) पर्यवेक्षी प्राधिकारी, मेजबान देश द्वारा करार में दिए गए इस प्रकार के अन्य विशेषाधिकार एवं करों से छूट का लाभ उठाएंगे।

(ख) इस पैराग्राफ के लिए, "मेजबान देश" से तात्पर्य उस देश से होगा जिस देश में पर्यवेक्षी प्राधिकारी स्थित है।

4. अंतर्राष्ट्रीय पंजीयन की परिसंपत्तियां, दस्तावेज, डेटा बेस एवं अभिलेखागार अलंघनीय तथा जब्ती अथवा अन्य कानूनी अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्रतिरक्षित होगा।

5. रजिस्ट्रार के विरुद्ध किसी दावे के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 28(1) अथवा अनुच्छेद 44 के अधीन, दावेदार उन सूचनाओं तथा दस्तावेजों जो कि दावेदार को अपने दावे को अनुगमित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, का हकदार होगा।

6. पर्यवेक्षी प्राधिकारी, पैराग्राफ 4 द्वारा प्रदत्त अनुलंघनीयता एवं प्रतिरक्षा की छूट प्रदान कर सकता है।

अध्याय VII

रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 28 – उत्तरदायित्व एवं वित्तीय आश्वासन

1. रजिस्ट्रार और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की त्रुटि या चूक या अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली की खराबी सिवाय इसके कि जहां खराबी एक अपरिहार्य घटना और अप्रतिरोध्य प्रकृति, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री डिजाइन और संचालन के क्षेत्र में वर्तमान उपयोग में सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके रोका नहीं जा सकता है इसमें बैक-अप और सिस्टम सुरक्षा और नेटवर्किंग भी शामिल है, के परिणामस्वरूप सीधे किसी व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए, रजिस्ट्रार प्रतिपूरक क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

2. रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त पंजीकरण जानकारी की तथ्यात्मक अशुद्धि या रजिस्ट्रार द्वारा उस रूप में प्रेषित की गई जानकारी जिस रूप में यह उसने प्राप्त की थी और न ही उन कृत्यों या परिस्थितियों के लिए जिनके लिए रजिस्ट्रार और उसके अधिकारी और कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय पंजीयन में प्राप्त पंजीकरण जानकारी की प्राप्ति से पूर्व से उत्पन्न के संबंध में, रजिस्ट्रार पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत उत्तरदायी नहीं होगा

3. पैराग्राफ 1 के अधीन प्रतिपूर्ति को व्यक्ति को हुई अथवा कारित क्षति की सीमा तक कम किया जा सकता है।

4. रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल के अनुसार, पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा तक इस लेख में निर्दिष्ट देयता को कवर करने वाले बीमा या वित्तीय गारंटी की खरीद करेगा।

अध्याय VIII

तृतीय पक्षों के सापेक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय हित के प्रभाव

अनुच्छेद 29 – प्रतिस्पर्धी हितों की प्राथमिकता

1. एक पंजीकृत हित की, बाद में पंजीकृत तथा एक अपंजीकृत हित के ऊपर, प्राथमिकता होगी।

2. पूर्व पैराग्राफ के अधीन प्रथम-उल्लिखित हित की प्राथमिकता निम्न पर लागू होती है:

(क) भले ही पूर्व-उल्लिखित हित, अन्य हित के वास्तविक ज्ञान के साथ अर्जित या पंजीकृत किया गया हो; तथा

(ख) यहां तक कि इस तरह के ज्ञान के साथ पूर्व-उल्लिखित हित के धारक द्वारा दिए गए मूल्य के संबंध में भी।

3. किसी वस्तु का क्रेता निम्नरूप से अपने हित को प्राप्त करता हैः

(क) उस हित के अधिग्रहण के समय पंजीकृत हित के अधीन; तथा

(ख) एक अपंजीकृत हित से मुक्त,भले ही उसे ऐसे हित का वास्तविक ज्ञान हो।

4. सशर्त क्रेता या पट्टेदार उस वस्तु में अपना हित या अधिकार प्राप्त करता है जो:

(क) अपने सशर्त विक्रेता या पट्टेदार द्वारा धारित अंतरराष्ट्रीय हित के पंजीकरण से पहले पंजीकृत ब्याज के अधीन; तथा

(ख) उस हित से मुक्त जो उस समय पंजीकृत नहीं है, भले ही उसे उस हित का वास्तविक ज्ञान हो।

5. इस अनुच्छेद के अधीन प्रतिस्पर्धी हितों या अधिकारों की प्राथमिकता, उन हितों के धारकों के बीच समझौते से भिन्न हो सकती है,लेकिन गौण हित का एक समनुदेशिती उस हित को एक समझौते से गौंण करने के लिए तब तक बाध्य नहीं है जब तक कि उस असाइनमेंट के समय पर उस करार से संबंधित गौंणता न रही हो।

6. किसी वस्तु मेंकिसी हित को इस अनुच्छेद द्वारा दी गई कोई भी प्राथमिकता, इसको क्रियान्वित किए जाने तक विस्तारित है।

7. यह समझौताः

(क) उस वस्तु के अलावा, जिसे किसी वस्तु पर इसकी संस्थापना से पूर्व यदि लागू कानूनों के अधीन जो अधिकार संस्थापना के उपरांत लगातार बने हुए हैं, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है; तथा

(ख) किसी वस्तु के अलावा, जहां लागू कानून के तहत वे अधिकार बनाए गए हैं जो पहले उस वस्तु पर स्थापित किया गया है, किसी वस्तु में अधिकारों के निर्माण को नहीं रोकता है।

अनुच्छेद 30 – दिवाला के प्रभाव

1. देनदार के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही में एक अंतरराष्ट्रीय हित तब प्रभावी होता है, यदि दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले हित को इस समझौते के अनुरूप पंजीकृत किया गया हो।

2. इसअनुच्छेद की कोई भी बात दिवाला कार्यवाही में एक अंतरराष्ट्रीय हित, जहां वह हित लागू कानून के तहत प्रभावी है, की प्रभावशीलता को कम नहीं करती है।

3. इस अनुच्छेद में कुछ भी प्रभावित नहीं करता हैः

(क) लेनदारों की धोखाधड़ी में वरीयता या हस्तांतरण के रूप में लेनदेन से बचने से संबंधित दिवाला कार्यवाही में लागू कानून के किसी नियम को; अथवा

(ख) संपत्ति के अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित प्रक्रिया का कोई भी नियम जो दिवाला प्रशासक के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन है।

अध्याय IX

संबद्ध अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय हितों के समनुदेशन; प्रस्थापन के अधिकार

अनुच्छेद 31 – समनुदेशन के प्रभाव

1. पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति के अलावा,अनुच्छेद 32 के अनुरूप निर्मित संबद्ध अधिकारों का एक समनुदेशन भी समनुदेशक को हस्तांतरित हो जाता है।

(क) संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित; तथा

(ख) इस समझौते के अधीन समनुदेशक के सभी हित एवं प्राथमिकताएं।

इस समझौते में कुछ भी समनुदेशक के संबद्ध अधिकारों के आंशिक समनुदेशक को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस तरह के आंशिक समनुदेशन के मामले में, समनुदेशक और समनुदेशिती पिछले पैराग्राफ के तहत सौंपे गए संबंधित अंतरराष्ट्रीय हित से संबंधित अपने-अपने अधिकारों के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं कि उनकी सहमति के बिना देनदार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सके।

2. अनुच्छेद 4 के अधीन, लागू कानून समनुदेशिती के विरुद्ध देनदार के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षण और अधिकारों का निर्धारण करेगा।

3. देनदार किसी भी समय, लिखित समझौते के माध्यम से समनुदेशिती की ओर से कपटपूर्ण कृत्यों से उत्पन्न होने वाले बचावों के अलावा पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट सभी या किसी भी बचाव और व्यतिरेक के अधिकारों को माफ कर सकता है।

4. जब समनुदेशन द्वारा सुरक्षित दायित्वों का निर्वहन किया गया हो, सुरक्षा के माध्यम से एक समनुदेशन के मामले में, प्रदान किए गए संबद्ध अधिकार उस सीमा तक प्रदाता में वापस आ जाते हैं जिस सीमा तक वे अपनी पूर्व स्थिति में थे।

अनुच्छेद 32 – समनुदेशन की औपचारिक अपेक्षाएं

1. संबंद्ध अधिकारों का समनुदेशन, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हितों को मात्र तभी हस्तांतरित करता है यदिः

(क) ये लिखित में हैः

(ख) उत्पन्न होने वाले अनुबंध के अधीन पहचाने जाने के लिए संबंधित अधिकारों को सक्षम बनाता है; तथा

(ग) सुरक्षा के माध्यम से एक समनुदेशन के मामले में, समनुदेशन द्वारा सुरक्षित दायित्वों को प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित करने में सक्षम बनाता है लेकिन सुरक्षित रखी गई या अधिकतम राशि बताने की आवश्यकता के बगैर।

2. सुरक्षा समझौते द्वारा निर्मित या प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय हित का समनुदेशन तब तक मान्य नहीं है जब तक कि कुछ या सभी संबंधित अधिकार भी समनुदेशित न किए गए हों।

3. यह समझौता संबद्ध अधिकारों के उस समनुदेशन पर लागू नहीं होता है जिसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित को स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी नहीं है।

अनुच्छेद -33 समनुदेशिति के प्रति देनदार का कर्तव्य

1. उस सीमा तक कि संबद्ध अधिकार और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित को अनुच्छेद 31 और 32 के अनुसार हस्तांतरित किया गया है, उन अधिकारों के संबंध में देनदार और वह हित समनुदेशन से बाध्य है और उसका भुगतान करने अथवा समनुदेशिती को अन्य कार्य देने का कर्तव्य है, लेकिन केवल यदि:

(क) देनदार को समनुदेशक के अधिकार द्वारा या उसके साथ लिखित रूप में समनुदेशन की सूचना दी गई है; तथा

(ख) नोटिस संबंधित अधिकारों की पहचान करता है।

2. किसी भी अन्य आधार के बावजूद,जिस पर देनदार द्वारा भुगतान या प्रदर्शन बाद वाले को दायित्व से मुक्त करता है,भुगतान या प्रदर्शन, यदि पूर्ववर्ती पैराग्राफ के अनुसार किया गया हो तो वह इस उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा।

2. इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी प्रतिस्पर्धी समनुदेशनों की प्राथमिकता को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 34 – सुरक्षा के रुप में समनुदेशन के संबंध में चूक के उपाय

संबंधित अधिकारों के समनुदेशन और सुरक्षा के माध्यम से किए गए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के अंतर्गत समनुदेशक द्वारा की गई चूक की स्थिति में,समनुदेशक और समनुदेशिती के बीच संबंधों में अनुच्छेद 8, 9और 11 से

14,लागू होंगे (तथा,संबंधित अधिकारों के संबंध में अधिकार, तब तक लागू होते हैं जब तक वे प्रावधान अमूर्त संपत्ति पर लागू होने में सक्षम हैं) जैसे कि संदर्भ:

(क) समनुदेशन द्वारा निर्मित सुरक्षा हित तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित एवं समनुदेशन के संबंधित अधिकारों के सुरक्षित दायित्व के प्रति सुरक्षित दायित्व और सुरक्षा;

(ख) ऋणदाता या लेनदार और ऋणदाता या देनदार समनुदेशिती और समनुदेशक के लिए के संदर्भ थे;

(ग) अंतरराष्ट्रीय हित के धारक समनुदेशिती के लिए संदर्भ थे; तथा

(घ) वस्तु के प्रति, निर्दिष्ट संबद्ध अधिकारों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के संदर्भ थे।

अनुच्छेद 35 – प्रतिस्पर्धी समनुदेशनों की प्राथमिकता

1. जहां संबंधित अधिकारों के प्रतिस्पर्धी समनुदेशन हैं और कम से कम एक समनुदेशन में संबंधित अंतरराष्ट्रीय हित शामिल हैं और पंजीकृत है, अनुच्छेद 29 के प्रावधान इस प्रकार लागू होते हैं कि एक पंजीकृत हित के संदर्भ संबंधित अधिकारों के समनुदेशन के संदर्भ थे और संबंधित पंजीकृत हित और मानो एक पंजीकृत या विपंजीकृत हित के संदर्भ एक पंजीकृत या अपंजीकृत समनुदेशन के संदर्भ थे।

2. अनुच्छेद 30, संबद्ध अधिकारों के समनुदेशन पर इस प्रकार लागू होता है जैसे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के संदर्भ, संबद्ध अधिकारों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के समनुदेशन के संदर्भ थे।

अनुच्छेद 36 – संबंधित अधिकारों के संबद्ध में अनुदेशिती की प्राथमिकता

1. संबद्ध अधिकारों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के समनुदेशिती,जिनका समनुदेशन केवल पंजीकृत किया गया है, को संबंधित अधिकारों के किसी अन्य समनुदेशिती पर अनुच्छेद 35(1) के अधीन प्राथमिकता है:

(क) यदि अनुबंध जिसके तहत संबंधित अधिकार उत्पन्न होते हैं,यह बताता है कि वे वस्तु से सुरक्षित हैं या उससे जुड़े हैं; तथा

(ख) उस सीमा तक संबंधित अधिकार एक वस्तु से जुड़े हुए हैं।

2. पूर्व पैरा के उप-पैरा (ख) के उद्देश्य के लिए, संबद्धित अधिकार मात्र एक वस्तु से मात्र उस सीमा तक संबंधित हैं कि वे उन भुगतान के अधिकार अथवा प्रदर्शन से संबंधित अधिकारों को धारित करते हैं जो निम्न से संबंधित है:

(क) वस्तु की खरीद के लिए ली गई व उपयोग की गई धनराशि;

(ख) एक अन्य वस्तु की खरीद के लिए जिसमें अनुदेशक ने एक और अंतरराष्ट्रीय हित धारण किया है, यदि समनुदेशक ने उस हित को समनुदेशिती को स्थानांतरित कर दिया और समनुदेशन पंजीकृत हो गया है के लिए ली गई और उपयोग की गई राशि;

(ग) वस्तु के लिए देय कीमत;

(घ) वस्तु के संबंध में देय किराया; अथवा

(ङ) पूर्व के किसी भी उप-पैराग्राफ में संदर्भित ट्रांजैक्शन से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य देयता के लिए।

3. अन्य सभी मामलों में, संबंधित अधिकारों के प्रतिस्पर्धी समनुदेशकों की प्राथमिकता का निर्धारण लागू कानून के अनुरूप किया जाएगा।

अनुच्छेद 37 – समनुदेशिती की दिवालिया होने का प्रभाव

अनुच्छेद 30 के प्रावधान समनुदेशक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर इस प्रकार लागू होते हैं जैसे कि ये देनदार के संदर्भ समनुदेशक के संदर्भ थे।

अनुच्छेद 38 – प्रत्यासन

1. पैराग्राफ 2 के अधीन, इस समझौते में निहित कुछ भी, लागू कानूनों के अधीन संबंधित अधिकारों तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हित के अधिग्रहण को प्रभावित नहीं करता है।

2. प्राथमिकता, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किसी भी हित और प्रतिस्पर्धी हित के बीच, संबंधित हितों के धारकों के बीच लिखित समझौते से भिन्न हो सकती है, लेकिन गौण हित का एक समनुदेशिती उस समय तक उस हित को गौण करने के लिए एक समझौते से तब तक बाध्य नहीं है जब तक समनुदेशन के उस समझौते से संबंधित एक अधीनता दर्ज न की गई हो।

अध्याय X

अनुबंधकारी राष्ट्रों के द्वारा घोषणा के अधीन अधिकार अथवा हित

अनुच्छेद 39 – बिना पंजीकरण के प्राथमिकता का अधिकार धारित करना

एक अनुबंधकारी देश किसी भी समय, घोषित प्रोटोकॉल के संग्रहस्थान में जमा की गई घोषणा में, सामान्यतः अथवा विशिष्टतः

1. गैर-सहमति अधिकार या हित की वे श्रेणियां (अधिकार या हित के अलावा जिन पर अनुच्छेद 40 लागू होता है) जो उस राष्ट्र के कानून के तहत पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय हित के धारक के समकक्ष वस्तु में हित पर प्राथमिकता रखते हैं और जिनके पास पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय हित पर प्राथमिकता होगी, भले ही दिवाला कार्यवाही में हो या उससे बाहर;तथा

2. कि इस समझौते में कुछ भी देश या देश की कंपनी,अंतर सरकारी संगठन या सार्वजनिक सेवाओं के अन्य निजी प्रदाता को उस वस्तु या किसी अन्य वस्तु के संबंध में उन सेवाओं से संबंधित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जो उस राष्ट्र के कानूनों के तहत किसी वस्तु को सीधे ऐसी इकाई, संगठन या प्रदाता को देय राशि के भुगतान के लिए प्रतिबंधित या रोक सकता है।

2. पूर्व पैराग्राफ में की गई घोषणा को उन श्रेणियों के लिए जो समाहित करने के लिए जो घोषणा को जमा करने के उपरांत निर्मित की गई है, व्यक्त किया जा सकता है।

3. एक गैर-सहमति अधिकार अथवा हित की एक अंतर्राष्ट्रीय हित को ऊपर प्राथमिकता है यदि पूर्ववर्ती, अंतर्राष्ट्रीय हित के पंजीकरण के प्रति जमा की गई घोषणा की श्रेणी का है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के बावजूद, प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन,स्वीकृति,अनुमोदन या परिग्रहण के समय, एक अनुबंधकारी देशघोषणा कर सकता है कि पैराग्राफ-1 के उप-पैराग्राफ (क) के तहत की गई घोषणा के अंतर्गत आने वाली श्रेणी के अधिकार या हितको, इस तरह के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण की तारीख से पहले पंजीकृत एक अंतरराष्ट्रीय हित के ऊपर प्राथमिकता होगी।

अनुच्छेद 40 – पंजीकरण योग्य गैर-सहमतिजन्य अधिकार अथवा हित

एक अनुबंधकारी राष्ट्र किसी भी समय डिपाजिटरी ऑफ प्रोटोकॉल के पास जमा की गई घोषणा में गैर-सहमति अधिकार या हित की श्रेणियों को सूचीबद्ध कर सकता है, जो इस सहमति के अधीन किसी भी श्रेणी की वस्तु के संबंध में इस प्रकार पंजीकरण योग्य होंगे जैसे कि अधिकार या हित एक अंतरराष्ट्रीय हित थे और इन्हें तदनुसार विनियमित किया जाएगा। इस तरह की घोषणा को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अध्याय XI

बिक्रियों के लिए सहमति का लागू होना

अनुच्छेद 41 – बिक्री तथा संभावित बिक्री

यह कन्वेंशन किसी वस्तु की बिक्री या संभावित बिक्री पर प्रोटोकॉल में किसी भी संशोधन के साथ प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार ही लागू होगा।

अध्याय XII

अधिकारक्षेत्र

अनुच्छेद 42 – मंच का चयन

1. अनुच्छेद 43 और 44 के अधीन, लेन-देन के लिए पार्टियों द्वारा चुने गए एक संविदाकारी देश के न्यायालयों के पास, इस समझौते के तहत लाए गए किसी भी दावे के संबंध में अधिकार क्षेत्र है, चाहे चुने हुए मंच का पार्टियों या लेनदेन के साथ संबंध हो या नहीं। जब तक कि पार्टियों के बीच अन्यथा सहमति न हो, ऐसा क्षेत्राधिकार अनन्य होगा।

2. ऐसा कोई भी समझौता लिखित रूप में या अन्यथा चुने गए फोरम के कानून की औपचारिक आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न होगा।

अनुच्छेद 43 – अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र

1. पार्टियों द्वारा चुने गए एक अनुबंधकारी देशी की अदालतें और अनुबंधकारी देशों की अदालतें जिस क्षेत्र में वस्तु स्थित हैं,उन्हें अनुच्छेद 13 (1) (क), (ख), (ग) और अनुच्छेद 13(4) के तहत उस वस्तु के संबंध में छूट देने का अधिकार है।

2. अनुच्छेद 13(1)(घ) के तहत छूट देने के अधिकार क्षेत्र या अनुच्छेद 13(4) के आधार पर अन्य अंतरिम राहत का प्रयोग तब किया जा सकता है जब:

1. पक्षों द्वारा चयन किए गए न्यायालयों के द्वारा; अथवा

2. एक उस संविदाकारी राष्ट्र के न्यायलयों द्वारा, जिस क्षेत्र में देनदार स्थित है और यह जिससे उसे छूट प्रदान की जा रही है, इसे प्रदान करने वाले आदेश की शर्तों के द्वारा मात्र उस अनुबंधकारी देश के क्षेत्र में लागू करने योग्य है।

3. एक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पिछले अनुच्छेदों के अंतर्गत भी है, भले ही अनुच्छेद 13(1) में निर्दिष्ट दावे का अंतिम निर्धारण किसी अन्य अनुबंधकारी देश के न्यायालय में या मध्यस्थता द्वारा होगा या हो सकता है।

अनुच्छेद 44 – रजिस्ट्रार के विरूद्ध आदेश तैयार करने का अधिकार क्षेत्र

1. जिन स्थानों पर न्यायालयों में रजिस्ट्रार उसका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र है उनके पास हर्जाने का भुगतान करने का न्याय देने तथा रजिसट्रार के विरूद्ध आदेश तैयार करने का व्यापक अधिकार-क्षेत्र है।

2. जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 25 के तहत की गई मांग के संबंध में जवाब देने में विफल रहता है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो या ऐसे व्यक्ति को, उसके विरूद्ध आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ तलाशा नहीं जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण का निष्पादन आवश्यक हो जाता है, ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित न्यायालयों को अनन्य न्यायाधिकार प्राप्त होगा कि वह देनदार या इच्छुक देनदार के आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रार को यह आदेश पारित करे कि वह पंजीकरण का निष्पादन करे।

3. जब कोई व्यक्ति इस करार के तहत न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने में विफल होता है या राष्ट्रीय हित के मामले में, सक्षम अधिकार-क्षेत्र के न्यायालय के किसी आदेश में उस व्यक्ति की आवश्यकता पंजीकरण में संशोधन या निष्पादन करने के लिए होती है, तब पैराग्राफ 1 में संदर्भित न्यायालय, रजिस्ट्रार को ऐसे उपाय करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, जो उपाय उस आदेश को प्रभावी बनाएंगे।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफ में निहित प्रावधानों के अलावा अन्यथा, कोई न्यायालय अधिनिर्णय या निर्णय या आदेश नहीं दे सकता।

अनुच्छेद 45 – दिवालिया कार्यवाही के संबंध में अधिकार क्षेत्र

दिवालिया कार्यवाही के संबंध में इस अध्याय के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अध्याय XIII

अन्य करारों के साथ संबंध

अनुच्छेद 45 बीआईएस -अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियों के समनुदेशन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ संबंध

यह करार 12 दिसंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियों के समनुदेशन पर संयुक्त राष्ट्र करार पर प्रबल होगा, चूंकि कि यह प्राप्य के समनुदेशन जो विमान वस्तुओं, रेलवे रोलिंग स्टॉक और अंतरिक्ष संपत्तियों में अंतरराष्ट्रीय हितों से संबंधित अधिकार हैं, से संबंधित है।

अनुच्छेद 46 — अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पट्टे पर UNIDROITकन्वेंशन के साथ संबंध

प्रोटोकॉल इस करार और 28 मई 1988 को ओटावा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पट्टे पर UNIDROIT कन्वेंशन के बीच संबंध निर्धारित कर सकता है।

अध्याय XIV

वित्तीय प्रावधान

अनुच्छेद 47 – हस्ताक्षर, विशोधन, स्वीकरण, अनुमोदनअथवा पहुँच

1. यह कन्वेंशन 29 अक्टूबर से 16 नवंबर 2001 तक केप टाउन में आयोजित एक मोबाइल उपकरण सम्मेलन और एक विमान प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों द्वारा 16 नवंबर 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षर के लिए खुला होगा।16 नवंबर 2001 के बाद, करार सभी देशों के लिए रोम में निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) के मुख्यालय में हस्ताक्षर के लिए तब तक खुला रहेगा,जब तक कि यह अनुच्छेद 49 के क्रम में लागू नहीं हो जाता।

2. यह समझौता हस्ताक्षर करने वाले देशों के विशोधन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन के अधीन होगा।

3. कोई भी राष्ट्र जो इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं करता है, वह किसी भी समय इसमें शामिल हो सकता है।

4. विशोधन,स्वीकरण,अनुमोदन या पहुँच उस प्रभाव के लिए, एक औपचारिक साधन के जमा द्वारा जमाकर्ता के पास प्रभावित होता है।

अनुच्छेद 48 – क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन

1. एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जो संप्रभु राज्यों द्वारा गठित किया गया है और इस करार द्वारा शासित कुछ मामलों में सक्षम है, इसी प्रकार इस करार को हस्ताक्षरित, स्वीकार, अनुमोदन या इसे मान सकता है। उस मामले में, उस सीमा तक कि उस संगठन के पास इस करार द्वारा शासित मामलों पर अधिकार हो, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के पास एक अनुबंधकारी देश के अधिकार और दायित्व होंगे। जहां इस करार में अनुबंध करने वाले देशों की संख्या प्रासंगिक है उसमें जो अनुबंधित देश हैं, उन देशों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन को इसके सदस्य देशों के अलावा एक अनुबंध देश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

2. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एकता संगठन, हस्ताक्षर, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, इस कन्वेंशन द्वारा शासित मामलों को निर्दिष्ट करते हुए डिपॉजिटरी को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध में उसके सदस्य राज्यों द्वारा उस संगठन को कार्य निर्वाह क्षमता अंतरित की गई है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अनुच्छेद के तहत घोषणा में निर्दिष्ट कार्यनिर्वाह क्षमता के नए हस्तांतरण सहित कार्यनिर्वाह क्षमता के वितरण में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत डिपॉजिटरी को सूचित करेगा।

3. इस कन्वेंशन में "कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट" या "कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स" या "स्टेट पार्टी" या "स्टेट्स पार्टीज" का कोई भी संदर्भ एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन पर समान रूप से लागू होता है, जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 49 — एन्ट्री इंटू फोर्स

1. यह कन्वेंशन अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के तीसरी लिखित के जमा होने की तारीख के तीन महीने की समाप्ति के बाद के महीने के पहले दिन पर लागू होता है, लेकिन केवल वस्तुओं की एक श्रेणी के संबंध में जिसके लिए एक प्रोटोकॉल लागू होता है:

(क) उस प्रोटोकॉल के लागू होने के समय से;

(ख) उस प्रोटोकॉल की शर्तों के अधीन; तथा

(ग) इस कन्वेंशन के स्टेट पक्षकारों और उस प्रोटोकॉल के मध्य।

2. अन्य राज्यों के लिए यह कन्वेंशन उनके अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के उनके लिखित के जमा होने की तारीख के तीन महीने की समाप्ति के बाद के महीने के पहले दिन पर लागू होता है, लेकिन केवल उन वस्तुओं की श्रेणी के संबंध में जिनके लिए एक प्रोटोकॉल लागू होता है और इस तरह के प्रोटोकॉल के संबंध में, पूर्ववर्ती पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ए), (बी) और (सी) की आवश्यकताओं के अधीन होता है।

अनुच्छेद 50 — आंतरिक लेनदेन

1. एक संविदाकारी राष्ट्र, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन, या प्रोटोकॉल के परिग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता है कि यह कन्वेंशन एक ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो सभी प्रकार की, वस्तुओं या उनमें से कुछ के संबंध में उस राष्ट्र के संबंध में एक आंतरिक लेनदेन है।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के बावजूद, अनुच्छेद 8(4), 9(1), 16, अध्याय V, अनुच्छेद 29 के प्रावधान और पंजीकृत हितों से संबंधित इस कन्वेंशन के कोई भी प्रावधान आंतरिक लेनदेन पर लागू होंगे।

3. जहां अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री में राष्ट्रीय हित की सूचना दर्ज की गई है, अनुच्छेद 29 के तहत उस हितधारक की प्राथमिकता इस तथ्य से प्रभावित नहीं होगी कि ऐसा हित, लागू कानून के तहत असाइनमेंट या प्रस्थापन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो गया है।

अनुच्छेद 51 — फ्यूचर प्रोटोकॉल

1. डिपॉजिटरी ऐसे प्रासंगिक गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, जैसा कि डिपॉजिटरी उपयुक्त समझे, एक या अधिक प्रोटोकॉल के माध्यम से, अनुच्छेद 2 (3) में निर्दिष्ट श्रेणी के अलावा हाई वैल्यू मोबाइल उपकरणों कि किसी वस्तु के संदर्भ में व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कार्य समूह बना सकता है जिसका प्रत्येक सदस्य विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है, और उसके पास ऐसी वस्तुओं से संबंधित अधिकार हैं।

2. डिपॉजिटरी इस तरह के एक कार्य समूह द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की एक श्रेणी से संबंधित किसी भी प्रारंभिक मसौदा प्रोटोकॉल के पाठ को इस कन्वेंशन की सभी स्टेट पार्टियों, डिपॉजिटरी के सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को संप्रेषित करेगा जो सदस्य डिपॉजिटरी नहीं हैं और संबंधित अंतर सरकारी संगठनों, और ऐसे देशों और संगठनों को, ऐसे प्रारंभिक मसौदा प्रोटोकॉल के आधार पर मसौदा प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे।

3. डिपॉजिटरी ऐसे कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए किसी भी प्रारंभिक मसौदा प्रोटोकॉल के पाठ को ऐसे प्रासंगिक गैर-सरकारी संगठन को भी संप्रेषित करेगा, जिन्हें डिपॉजिटरी उचित समझे। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को,

जमाकर्ता को प्रारंभिक मसौदा प्रोटोकॉल के पाठ पर टिप्पणी प्रस्तुत करने और मसौदा प्रोटोकॉल की तैयारी में पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेने के लिए तुरंत आमंत्रित किया जाएगा।

4. जब डिपॉजिटरी के सक्षम निकाय, ऐसे ड्राफ्ट प्रोटोकॉल को अपनाने के योग्य मानते हैं, तो डिपॉजिटरी इसे अपनाने के लिए एक राजनयिक सम्मेलन बुलाएगा।

5. एक बार जब इस तरह के एक प्रोटोकॉल को, पैराग्राफ 6 के अधीन अपनाया जाएगा, तो यह कन्वेंशन इसके द्वारा कवर की गई वस्तुओं की श्रेणी पर लागू होगा।

6. इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 45 बीआईएस ऐसे प्रोटोकॉल पर तभी लागू होता है जब उस प्रोटोकॉल में विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो।

अनुच्छेद 52 — प्रादेशिक इकाइयां

1. यदि एक संविदाकारी राष्ट्र की क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, जिसमें इस कन्वेंशन में निपटाए गए मामलों के संबंध में कानून कीविभिन्न प्रणालियाँ लागू होती हैं, तो यह अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता है कि इस कन्वेंशन का, अपनी सभी प्रादेशिक इकाइयों या उनमें से केवल एक या अधिक के लिए विस्तार किया जाना और किसी भी समय दूसरी घोषणा प्रस्तुत करके अपनी इस घोषणा को संशोधित कर सकता है।

2. ऐसी कोई भी घोषणा स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रीय इकाइयों को बताएगी, जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता है।

3. यदि एक संविदाकारी राष्ट्र ने पैराग्राफ 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की है, तो यह कन्वेंशन उस राष्ट्र की सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होगा।

4. जहां एक संविदाकारी राष्ट्र इस कन्वेंशन को अपनी एक या अधिक क्षेत्रीय इकाइयों तक विस्तारित करता है, इस कन्वेंशन के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की जा सकती हैं, और एक क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की गई घोषणाएं, किस अन्य क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की गई घोषणाओं से भिन्न हो सकती हैं।

5. यदि पैराग्राफ 1 के तहत एक घोषणा के आधार पर, यह कन्वेंशन एक संविदाकारी राष्ट्र की एक या अधिक क्षेत्रीय इकाइयों तक विस्तारित होता है:

(क) देनदार को एक संविदाकारी राष्ट्र में स्थित माना जाता है, यदि यह एक क्षेत्रीय इकाई में लागू कानून के तहत शामिल या गठित होता है, जिस पर यह कन्वेंशन लागू होता है या यदि उसका पंजीकृत कार्यालय या वैधानिक सीट, प्रशासन का केंद्र व्यापार या अभ्यस्त निवास का स्थान उस क्षेत्रीय इकाई में है जिस पर यह कन्वेंशन लागू होता है;

(ख) एक संविदाकारी राष्ट्र में वस्तु के स्थान का कोई भी संदर्भ उस क्षेत्रीय इकाई में वस्तु के स्थान को संदर्भित करता है जिस पर यह कन्वेंशन लागू होता है;

(ग) उस संविदाकारी राष्ट्र में प्रशासनिक अधिकारियों के किसी भी संदर्भ का अर्थ उस क्षेत्रीय इकाई में अधिकार क्षेत्र वाले प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में माना जाएगा, जिस पर यह कन्वेंशन लागू होता है।

अनुच्छेद 53 - न्यायालयों का निर्धारण

एक संविदाकारी राष्ट्र, प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 और अध्याय XII के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक "अदालत" या "अदालत" घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 54 — उपचारों के संबंध में घोषणाएं

1. एक संविदाकारी राष्ट्र, प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, यह घोषित कर सकता है कि जब चार्ज की गई वस्तु उसके क्षेत्र में स्थित है, या उसके क्षेत्र से नियंत्रित है, तो वह चार्जी, उस क्षेत्र में वस्तु का पट्टा प्रदान नहीं करेगा ।

2. एक संविदाकारी राष्ट्र, प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, यह घोषित करेगा कि इस कन्वेंशन के किसी प्रावधान के तहत लेनदार के पास कोई उपाय उपलब्ध है या नहीं, जो कि इसके लिए आवेदन की आवश्यकता के लिए व्यक्त नहीं है तथा न्यायालय की अनुमति से ही न्यायालय का प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 55 - अंतिम निर्धारण हेतु लंबित राहत के संबंध में घोषणाएं

एक संविदाकारी राष्ट्र, प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 43, या दोनों के प्रावधानों को पूर्ण या आंशिक रूप से लागू नहीं करेगा। घोषणा में निर्दिष्ट किया जाएगा कि किन शर्तों के तहत प्रासंगिक अनुच्छेद लागू किया जाएगा, अगर इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा, या अन्यथा अंतरिम राहत के अन्य रूपों को लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 56 - आरक्षण और घोषणाएं

1. इस कन्वेंशन के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है लेकिन अनुच्छेद 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 और 60 द्वारा अधिकृत घोषणाएं इन प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।

2. इस कन्वेंशन के तहत की गई किसी भी घोषणा या बाद की घोषणा या किसी घोषणा को वापस लेने की सूचना डिपॉजिटरी को लिखित रूप में दी जाएगी।

अनुच्छेद 57 - बाद की घोषणाएं

1. एक पक्षकार राष्ट्र उस तारीख के बाद किसी भी समय अनुच्छेद 60 के तहत अधिकृत घोषणा के अलावा बाद की घोषणा कर सकता है, उस प्रभाव के विषय में डिपॉजिटरी को सूचित करते हुए, जिस पर यह कन्वेंशन लागू हुआ है।

2. इस तरह की कोई भी बाद की घोषणा डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाप्ति के बाद के महीने के पहले दिन से प्रभावी होगी। जहां उस घोषणा को प्रभावी होने के लिए एक लंबी अवधि अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई है, यह डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने के बाद ऐसी लंबी अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगी।

3. पिछले पैराग्राफों के बावजूद, यह कन्वेंशन लागू होना जारी रहेगा, जैसे कि किसी भी बाद की घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में ऐसी कोई बाद की घोषणा नहीं की गई थी।

अनुच्छेद 58 - घोषणाओं को वापस लेना

1. कोई भी राष्ट्र पार्टी इस कन्वेंशन के तहत एक घोषणा कर चुकी है, अनुच्छेद 60 के तहत अधिकृत घोषणा के अलावा, डिपॉजिटरी को सूचित करके इसे किसी भी समय वापस ले सकती है। इस तरह की निकासी जमाकर्ता द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाप्ति के बाद के महीने के पहले दिन से प्रभावी होगी।

2. पिछले पैराग्राफ के बावजूद, यह कन्वेंशन लागू होना जारी रहेगा, जैसे कि ऐसी किसी भी वापसी की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में घोषणा की ऐसी कोई वापसी नहीं की गई थी।

अनुच्छेद 59 — प्रत्याख्यान

1. कोई भी पक्षकार राष्ट्र इस कन्वेंशन पर डिपोजिटरी को लिखित में अधिसूचना द्वारा आक्षेप कर सकता है।

2. इस तरह के कोई भी आक्षेप जमाकर्ता द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के बारह महीने की समाप्ति के बाद के महीने के पहले दिन से प्रभावी होंगे।

3. पिछले पैराग्राफों के बावजूद, यह कन्वेंशन लागू होना जारी रहेगा, जैसे कि ऐसी किसी भी आक्षेप की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया गया था।

अनुच्छेद 60 — परिवर्ती प्रावधान

1. जब तक किसी भी समय एक संविदाकारी राष्ट्र द्वारा अन्यथा घोषित नहीं किया जाता है, तब तक कन्वेंशन पहले से मौजूद अधिकार या हित पर लागू नहीं होता है, जो इस कन्वेंशन की प्रभावी तिथि से पहले लागू कानून के तहत प्राप्त प्राथमिकता को बरकरार रखता है।

1. अनुच्छेद 1(v) के प्रयोजनों के लिए और इस कन्वेंशन के तहत प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए:

(क) "इस कन्वेंशन की प्रभावी तिथि" का अर्थ है एक देनदार के संबंध में वह समय जब यह कन्वेंशन लागू होता है या वह समय जब वह राष्ट्र जिसमें देनदार स्थित होता है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बन जाता है, जो भी बाद में हो;

(ख) देनदार एक ऐसे राष्ट्र में स्थित है जहां उसका प्रशासन का केंद्र है या, यदि उसके पास प्रशासन का कोई केंद्र नहीं है, तो उसका व्यवसाय स्थान या, यदि उसके पास एक से अधिक व्यवसाय स्थान हैं, तो उसका मुख्य व्यवसाय स्थान है या, यदि उसके पास व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है, तो वह उसका अभ्यस्त निवास है।

3. एक संविदाकारी राष्ट्र अनुच्छेद 1 के तहत अपनी घोषणा में एक तारीख निर्दिष्ट कर सकता है, जो कि घोषणा के प्रभावी होने की तारीख के तीन साल से पहले की नहीं है, जब यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, जिसमें प्राथमिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से, जिसमें शामिल हैं किसी भी मौजूदा प्राथमिकता की सुरक्षा, पूर्व-मौजूदा अधिकारों या हितों के लिए एक समय में किए गए समझौते के तहत उत्पन्न होता है जब देनदार, घोषणा में निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक पिछले पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) में संदर्भित राष्ट्र में स्थित था।

अनुच्छेद 61 - समीक्षा सम्मेलन, संशोधन और संबंधित मामले

1. डिपॉजिटरी वार्षिक रूप से या ऐसे अन्य समय पर रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसा कि राज्यों के पक्षकारों के लिए परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, जिस तरीके से इस कन्वेंशन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवहार में संचालित होता है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में, डिपॉजिटरी अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली के कामकाज से संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।

2. स्टेट की पार्टियों के कम से कम पच्चीस प्रतिशत के अनुरोध पर, पर्यवेक्षी प्राधिकरण के परामर्श से डिपॉजिटरी द्वारा, इस पर विचार करने के लिए, समय-समय पर स्टेट की पार्टियों का समीक्षा सम्मेलन बुलाया जाएगा,:

(क) इस कन्वेंशन का व्यावहारिक संचालन और इसकी शर्तों द्वारा कवर की गई वस्तुओं के परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण और पट्टे पर देने की सुविधा में इसकी प्रभावशीलता;

(ख) इस कन्वेंशन और विनियमों की शर्तों के लिए दी गई न्यायिक व्याख्या और आवेदन;

(ग) पर्यवेक्षी प्राधिकरण की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली का कामकाज, रजिस्ट्रार का प्रदर्शन और पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा इसकी निगरानी; तथा

(घ) क्या इस कन्वेंशन में कोई संशोधन या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री से संबंधित व्यवस्था वांछनीय है।

3. पैराग्राफ 4 के अधीन, इस कन्वेंशन में किसी भी संशोधन को पिछले पैराग्राफ में संदर्भित सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर उन राज्यों के संबंध में लागू होगा,

जिन्होंने ऐसे संशोधन की पुष्टि की है और लागू होने से संबंधित अनुच्छेद 49 के प्रावधानों के अनुसार तीन राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित, स्वीकृत या अनुमोदित होने पर ऐसे संशोधन को स्वीकार या अनुमोदित किया गया है।

4. जहां इस कन्वेंशन में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य एक से अधिक श्रेणी के उपकरणों पर लागू होना है, वहां ऐसे संशोधन को प्रत्येक प्रोटोकॉल के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो पैराग्राफ 2 में संदर्भित कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं.

अनुच्छेद 62 - निक्षेपागार और उसके कार्य

1. निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) के पास अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के माध्यम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे इसके द्वारा डिपॉजिटरी नामित किया गया है।

1. जमाकर्ता:

(क) करार के सभी राज्यों को सूचित करेगा:

(i) प्रत्येक नए हस्ताक्षर अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के माध्यम, उसकी तारीख के साथ;

(ii) इस कन्वेंशन के लागू होने की तारीख;

(iii) इस कन्वेंशन के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख सहित;

(iv) किसी घोषणा को वापस लेना या उसमें संशोधन करना, उसकी तारीख सहित; तथा

(v) इस कन्वेंशन की किसी भी निंदा की अधिसूचना के साथ-साथ इसकी तारीख और जिस तारीख को यह प्रभावी होता है;

(ख) इस कन्वेंशन की प्रमाणित वास्तविक प्रतियां सभी अनुबंधित राज्यों को प्रेषित करें;

(ग) पर्यवेक्षी प्राधिकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के प्रत्येक साधन की एक प्रति, उसके जमा करने की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या वापसी या घोषणा के संशोधन और आपेक्ष की प्रत्येक अधिसूचना के साथ प्रदान करें, अधिसूचना की तारीख के साथ, ताकि उसमें निहित जानकारी आसानी से और पूरी तरह से उपलब्ध हो सके; तथा

(घ) जमाकर्ताओं के लिए व्यावहार्यक ऐसे अन्य कार्य करना।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, विधिवत रूप से अधिकृत होने के बाद, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नवंबर के सोलहवें दिन, दो हजार एक में केप टाउन में किया गया और अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषाओं में, मूलप्रति में तैयार किया गया, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, इस तरह की प्रामाणिकता सत्यापन द्वारा प्रभावी होने के लिए सम्मेलन के संयुक्त सचिवालय द्वारा नब्बे दिनों के भीतर सम्मेलन के अध्यक्ष के अधिकार के तहत, सभी पाठों की एक दूसरे के साथ अनुरूपता सत्यापित की जाएगी।

भारत गणराष्ट्र द्वारा केप टाउन कन्वेंशन के तहत, इसके परिग्रहण के साधन जमा करने के समय की गई घोषणाएं

भारत गणराष्ट्र द्वारा केप टाउन कन्वेंशन के तहत इसके सहमति के अभिकारक जमा करने के समय की गई घोषणाएं

(i) फॉर्म नंबर1 [अनुच्छेद 39(1)(ए) के तहत विशिष्ट घोषणा]

(क) वित्त या पट्टे और विमान ऑब्जेक्ट के अनुबंध के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोषित डिफ़ॉल्ट के समय से उत्पन्न होने वाली अवैतनिक मजदूरी के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के पक्ष में ग्रहणाधिकार;

(ख) करों या अन्य अवैतनिक शुल्कों से संबंधित भारत के एक प्राधिकरण के ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार, जो उस विमान वस्तु के उपयोग से उत्पन्न हुए हैं या उससे संबंधित हैंऔर उस विमान वस्तु के स्वामी या ऑपरेटर द्वारा बकाया है, जो डिफ़ॉल्ट के समय से उत्पन्न होता है, उस विमान ऑब्जेक्ट के वित्तपोषण या पट्टे पर देने के अनुबंध के तहत मालिक या ऑपरेटर; तथा

(ग) उनके कब्जे में एक विमान ऑब्जेक्ट की मरम्मत के पक्ष में सेवा या सेवाओं की सीमा तक और उस विमान ऑब्जेक्ट में मूल्य वर्धित मूल्य के पक्ष में ग्रहणाधिकार।

(ii) (ख) फॉर्म नंबर4 [अनुच्छेद 39(1)(बी) के तहत सामान्य घोषणा]

कन्वेंशन में कुछ भी, राशि के भुगतान के लिए इसके कानूनों के तहत एक विमान ऑब्जेक्ट को कब्जे में लेने या हिरासत में लेने के लिए उसके अधिकार या उसके किसी भी इकाई, या किसी भी अंतर सरकारी संगठन, जिसमें भारत एक सदस्य है, या भारत में सार्वजनिक सेवाओं के अन्य निजी प्रदाता को प्रभावित नहीं करेगा। भारत सरकार, किसी भी ऐसी संस्था, संगठन या प्रदाता के प्रति देय है जो सीधे उस ऑब्जेक्ट या किसी अन्य विमान वस्तु के संबंध में उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या सेवाओं से संबंधित है।

(iii) फॉर्म नंबर 6 (अनुच्छेद 40 के तहत घोषणा)

गैर-सहमति अधिकार या ब्याज की निम्नलिखित श्रेणियां, विमान ऑब्जेक्ट की किसी भी श्रेणी के संबंध में कन्वेंशन के तहत पंजीकरण योग्य होंगी जैसे कि अधिकार या हित एक अंतरराष्ट्रीय हित थे और तदनुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) एयरक्राफ्ट सामग्री के वित्तपोषण या पट्टे के अनुबंध के तहत, उस एयरलाइन द्वारा घोषित डिफ़ॉल्ट के समय से पहले उत्पन्न होने वाली अवैतनिक मजदूरी के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के पक्ष में ग्रहणाधिकार;

(ख) किसी विमान वस्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित करों या अन्य अवैतनिक शुल्कों से संबंधित भारत के एक प्राधिकरण के ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार और उस विमान वस्तु के स्वामी या ऑपरेटर द्वारा देय, जो उसके द्वारा घोषित डिफ़ॉल्ट के समय से पहले उत्पन्न होता है, उस विमान ऑब्जेक्ट को वित्तपोषण या पट्टे पर देने के अनुबंध के तहत ऑब्जेक्ट या ऑपरेटर; तथा

(ग) एक कानूनी निर्णय की आंशिक या पूर्ण संतुष्टि में एक विमान वस्तु को संलग्न करने की अनुमति देने वाला अदालत का आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार।

(iv) प्रपत्र संख्या10 (अनुच्छेद 52 के तहत सामान्य घोषणा)

कन्वेंशन इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होगा।

(v) फॉर्म संख्या11 (अनुच्छेद 53के तहत घोषणा)

कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 और अध्यायXII के प्रयोजनों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी उच्च न्यायालय,प्रासंगिक न्यायालय हैं।

(vi) फॉर्म नंबर13 [अनुच्छेद54 (2) के तहत अनिवार्य घोषणा]

कन्वेंशन के तहत लेनदार के लिए उपलब्ध कोई भी और सभी उपचार, जो अदालत में आवेदन की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक प्रावधान के तहत व्यक्त नहीं किए गए हैं, अदालत की कार्रवाई के बिना और अदालत की अनुमति के बिना प्रयोग किए जा सकते हैं।

*

* *

केप टाउन कन्वेंशन के तहत भारत गणराष्ट्र द्वारा दर्ज की गई घोषणाएं

दूसरी अनुसूची

विमान उपकरणों के लिए विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के लिए

प्रोटोकॉल

16 नवंबर 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षर किए गए

मूल के अनुरूप

होने पर प्रति प्रमाणित

महासचिव

जोस एंजेलो एस्ट्रेला फारिया

केप टाउन

16 नवंबर 2001

विमान उपकरणों से संबंधित विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के लिए

प्रोटोकॉल

राष्ट्र इस प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं,

मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन को लागू करना आवश्यक मानते हुए (इसे यहां आगे "कन्वेंशन" करा जाएगा) क्योंकि यह कन्वेंशन की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में, विमान उपकरण से संबंधित है,

विमान वित्तपोषण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कन्वेंशन को अनुकूलित करने और विमान उपकरणों की बिक्री के अनुबंधों को शामिल करने के लिए कन्वेंशन के अनुप्रयोग के क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता के प्रति सचेत,

7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सम्मेलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति सचेत,

विमान उपकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर सहमत हुए हैं:

अध्याय I

अनुप्रयोग का क्षेत्र और सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद I — परिभाषित शर्तें

1. इस प्रोटोकॉल में, जहां संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक है, इसके अलावा, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कन्वेंशन में निर्धारित किया गया है।

2. इस प्रोटोकॉल में निम्नलिखित शब्दों को नीचे दिए गए अर्थों में प्रयुक्त किया गया है:

(क) "एयरक्राफ्ट" का तात्पर्य शिकागो कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए परिभाषित विमान से है, जो या तो एयरफ्रेम हैं और जिसमें विमान इंजन या हेलीकॉप्टर स्थापित हैं;

(ख) "विमान इंजन" का अर्थ जेट प्रोपल्शन या टरबाइन या पिस्टन प्रौद्योगिकी द्वारा पावर्ड विमान इंजन (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले लोगों के अलावा) से है और:

(i) जेट प्रोपल्शन विमान इंजन के मामले में, कम से कम 1750 एलबी का थ्रस्ट या इसके समकक्ष हो;

(ii) टर्बाइन-पावर्ड या पिस्टन-पावर्ड विमान इंजनों के मामले में, कम से कम 550 रेटेड टेक-ऑफ शाफ्ट हॉर्सपावर या इसके समकक्ष, सभी मॉड्यूल और अन्य स्थापित, निगमित या संलग्न सहायक उपकरण, पुर्जे और उपकरण और उससे संबंधित सभी डेटा, मैनुअल व रिकॉर्ड के साथ;

(ग) "विमान वस्तुओं" का अर्थ है एयरफ्रेम, विमान के इंजन और हेलीकॉप्टर;

(घ) "विमान रजिस्टर" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए राष्ट्र या सामान्य चिह्न पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रजिस्टर से है;

(ड.) "एयरफ्रेम" का अर्थ है एयरफ्रेम (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले लोगों के अलावा) जो, जब उपयुक्त विमान इंजन स्थापित होते हैं, तो परिवहन के लिए सक्षम विमानन प्राधिकरण द्वारा टाइप सर्टिफाइड होते हैं:

(i) चालक दल सहित कम से कम आठ (8) व्यक्ति; या

(ii) ई2750 किलोग्राम से अधिक का माल,

एक साथ सभी स्थापित, निगमित या संलग्न सहायक उपकरण, पुर्जे और उपकरण (विमान इंजन के अलावा), और सभी डेटा, मैनुअल और उससे संबंधित रिकॉर्ड;

(च) "अधिकृत पार्टी" का अर्थ अनुच्छेद XIII (3) में निर्दिष्ट पार्टी है;

(छ) "शिकागो कन्वेंशन" का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के विषय में, 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित कन्वेंशन और इसके यथा संशोधित अनुबंध;

(ज) "सामान्य चिह्न पंजीकरण प्राधिकरण" का अर्थ है शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद-77 के अनुसार रजिस्टर बनाए रखने वाला प्राधिकरण, जैसा कि 14 दिसंबर 1967 को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद द्वारा

राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसियों द्वारा संचालित विमानों के पंजीकरण द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा लागू किया गया था;

(झ) "विमान का पंजीकरण रद्द करने" का अर्थ है शिकागो कन्वेंशन के अनुसार विमान के पंजीकरण को उसके विमान रजिस्टर से हटाना या मिटाना;

(ञ) "गारंटी अनुबंध" का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा गारंटर के रूप में किया गया अनुबंध;

(ट) "गारंटर" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो एक सुरक्षा समझौते या किसी समझौते के तहत सुरक्षित लेनदार के पक्ष में किसी भी दायित्वों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमानत या मांग गारंटी या क्रेडिट का स्टैंडबाय पत्र या क्रेडिट बीमा का कोई अन्य रूप देता है या जारी करता है;

(ठ) "हेलीकॉप्टर" का अर्थ है, हवा से भारी मशीन (सैन्य, सीमा शुल्क या पुलिस सेवाओं में उपयोग की जाने वाली मशीनों के अलावा) जो मुख्य रूप से वर्टिकल एक्सेस (ऊर्ध्वाधर अक्षों) पर एक या एक से अधिक पावर-संचालित रोटरों पर हवा की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में समर्थित हैं और जो परिवहन के लिए सक्षम विमानन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हैं:

i. चालक दल सहित कम से कम पांच (5) व्यक्ति;

(ii) 450 किलोग्राम से अधिक का माल, सभी स्थापित, निगमित या संलग्न सहायक उपकरण, पुर्जे और उपकरण (रोटार सहित), और सभी डेटा, मैनुअल और उससे संबंधित रिकॉर्ड सहित;

(ड) "दिवालियापन से संबंधित घटना" का अर्थ है:

i. दिवाला कार्यवाही की शुरुआत; या

(ii) देनदार द्वारा भुगतान को लटकाने या वास्तविक निलंबन का घोषित मंशा, जहां देनदार के विरूद्ध दिवालिया कार्यवाही शुरू करने या कन्वेंशन के तहत उपायों का प्रयोग करके लेनदार के अधिकार को कानून या राष्ट्र की कार्रवाई द्वारा रोका या निलंबित किया गया हो;

(द) "प्राथमिक दिवाला क्षेत्राधिकार" का अर्थ उस संविदाकारी राष्ट्र से है, जिसमें देनदार के मुख्य हितों का केंद्र स्थित है, जिसे इस उद्देश्य के लिए देनदार की वैधानिक सीट का स्थान माना जाएगा या यदि ऐसा नहीं है, तो वह स्थान,जहां देनदार निगमित या गठित है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो;

(ध) "रजिस्ट्री प्राधिकरण" का अर्थ राष्ट्रीय प्राधिकरण या सामान्य चिह्न पंजीकरण प्राधिकरण है, जो एक अनुबंधित राष्ट्र में विमान रजिस्टर बनाए रखता है और शिकागो कन्वेंशन के अनुसार एक विमान के पंजीकरण अथवा वि-पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है; तथा

(न) "रजिस्ट्री की स्थिति" का अर्थ है, विमान के संबंध में, जिस राष्ट्र के राष्ट्रीय रजिस्टर में एक विमान दर्ज किया गया है या विमान रजिस्टर को बनाए रखने वाले सामान्य चिह्न पंजीकरण प्राधिकरण के स्थान की स्थिति है।

अनुच्छेद II – एयरक्राफ़्ट ओब्जेक्टों के संबंध में कन्वेंशन का अनुप्रयोग

1. एयरक्राफ़्ट ओब्जेक्ट के संबंध में कन्वेन्शन लागू होगा,जैसा इस प्रोटोकॉल की शर्तों द्वारा प्रदान किया गया है।

2. कन्वेंशन और इस प्रोटोकॉल को मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाएगा, जैसा कि विमान के ऑब्जेक्ट पर लागू होता है।

अनुच्छेद III - बिक्री संबंधी कन्वेंशन का अनुप्रयोग

कन्वेंशन के निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं जैसे कि एक अंतरराष्ट्रीय हित बनाने या प्रदान करने वाले समझौते के संदर्भ,बिक्री के अनुबंध के संदर्भ थे और जैसे कि एक अंतरराष्ट्रीय हित के संदर्भ, एक संभावित अंतरराष्ट्रीय हित, देनदार और लेनदार के संदर्भ थे बिक्री, संभावित बिक्री, विक्रेता और खरीदार क्रमशः:

अनुच्छेद 3और4;

अनुच्छेद

16(1) (ए); अनुच्छेद

19(4);

अनुच्छेद 20(1) (बिक्री के अनुबंध या संभावित बिक्री के पंजीकरण के संबंध में); अनुच्छेद 25(2) (संभावित बिक्री के संबंध में); तथा

अनुच्छेद 30.

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अध्याय IV से VII, अनुच्छेद 29 (अनुच्छेद 29(3) के अलावा) जिसे अनुच्छेद XIV(1) और (2) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, अध्याय X, अध्याय XII (अनुच्छेद 43 के अलावा) , अध्याय XIII और अध्याय XIV (अनुच्छेद 60 के अलावा) द्वारा के सामान्य बिक्री और संभावित बिक्री के अनुबंधों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद IV - लागू होने का दायरा

1. कन्वेंशन के अनुच्छेद 3(1) के प्रति बिना किसी दुर्भावना के, कन्वेंशन हेलीकाप्टर के संबंध में या एक विमान से संबंधित एक एयरफ्रेम के संबंध में भी लागू होगा, जो संविदाकारी राष्ट्र के एक विमान रजिस्टर में पंजीकृत है जो रजिस्ट्री का राष्ट्र है, और जहां ऐसा पंजीकरण विमान के पंजीकरण के लिए एक करार के अनुसार किया जाता है, इसे करार के समय प्रभावी माना जाता है।

2. कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में "आंतरिक लेनदेन" की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए:

क. एक एयरफ्रेम, उस विमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र में स्थित होता है जिसका वह एक हिस्सा है;

ख. एक विमान इंजन उस विमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र में स्थित होता है जिस पर इसे स्थापित किया जाता है या, यदि यह किसी विमान पर स्थापित नहीं है, जहां यह फिजिकल रूप से स्थित है; और

ग. एक हेलिकॉप्टर रजिस्ट्री के राष्ट्र में स्थित है, हितों के सृजन अथवा प्रावधान के लिए करार के समापन के समय।

3. पक्षकार, लिखित रूप में समझौते द्वारा, अनुच्छेद XI के लागू किए जाने को हटा सकते हैं और, एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में, अनुच्छेद IX (2)-(4) को छोड़कर इस प्रोटोकॉल के किसी भी प्रावधान के प्रभाव को कम या बदल सकते हैं।

अनुच्छेद V — बिक्री के अनुबंधों की औपचारिकताएं, प्रभाव और पंजीकरण

1. इस प्रोटोकॉल के प्रयोजनों के लिए, बिक्री का अनुबंध वह है जो:

क. लिखित में हो;

ख. ऐसे विमान ऑब्जेक्ट से संबंधित है जिसका निपटान करने की शक्ति विक्रेता के पास है।

ग. इस प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान ऑब्जेक्ट को पहचानने में सक्षम बनाता है।

2. बिक्री का एक अनुबंध विमान ऑब्जेक्ट में विक्रेता के हित को उसकी शर्तों के अनुसार खरीदार को हस्तांतरित करता है।

3. बिक्री के अनुबंध की रजिस्ट्री अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। एक संभावित बिक्री का पंजीकरण में निर्दिष्ट अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति तक खारिज किए जाने तक अथवा प्रभावी रहता है।

अनुच्छेद VI - प्रतिनिधि क्षमता

एक व्यक्ति एक समझौता या बिक्री कर सकता है, अथवा एक अंतरराष्ट्रीय हित या बिक्री दर्ज कर सकता है और एक विमान ऑब्जेक्ट की बिक्री कर सकता है। ऐसे मामले में, वह व्यक्ति कन्वेंशन के तहत अधिकारों और हितों का दावा करने का हकदार है।

अनुच्छेद VII — वायुयान की वस्तुओं का विवरण

एक विमान वस्तु का विवरण जिसमें उसके निर्माता की क्रम संख्या, निर्माता का नाम और उसका मॉडल पदनाम शामिल है, इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7 (ग) और इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद V(1) (ग) के प्रयोजनों के लिए वस्तु की पहचान करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त है।

अनुच्छेद VIII — कानून का चयन

1. यह अनुच्छेद केवल वहीं लागू होता है जहां एक संविदाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेद XXX(1) के अनुसार एक घोषणा की है

2. एक करार, या बिक्री के अनुबंध, या संबंधित गारंटी अनुबंध या अधीनता करार के पक्षकार कानून पर सहमत हो सकते हैं जो उनके संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए है।

3. जब तक अन्यथा सहमति न हो, पार्टियों द्वारा चुने गए कानून के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट राष्ट्र के कानून के घरेलू नियमों का संदर्भ है और राष्ट्र जहां कई क्षेत्रीय इकाइयां शामिल हैं, नामित क्षेत्रीय इकाई के घरेलू कानून का संदर्भ है।

अध्याय II

त्रुटिपूर्ण उपाय, प्राथमिकताएं और असाइनमेंट

अनुच्छेद IX — त्रुटिपूर्ण उपचार प्रावधानों में संशोधन

1. कन्वेंशन के अध्याय III में निर्दिष्ट उपायों के अलावा, लेनदार उस सीमा तक जब तक कि देनदार किसी भी समय सहमत हो और उस अध्याय में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, निम्नलिखित कर सकता है

क. विमान के वि -पंजीकरण की खरीद; तथा

ख. उस क्षेत्र से विमान वस्तु के निर्यात और फिजिकल हस्तांतरण की खरीद करें जिसमें वह स्थित है।

2. लेनदार की वरीयता में, किसी भी पंजीकृत हितधारक की लिखित पूर्व सहमति के बिना लेनदार पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग नहीं करेगा।

3. कन्वेंशन का अनुच्छेद 8(3) विमान की वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। एक विमान वस्तु के संबंध में कन्वेंशन द्वारा दिए गए किसी भी उपाय का प्रयोग, व्यावसायिक रूप से उचित तरीके से किया जाएगा। एक उपाय को व्यावसायिक रूप से उचित तरीके से प्रयोग किया गया समझा जाएगा जहां यह समझौते के प्रावधान के अनुरूप प्रयोग किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुचित है।

4. इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्तावित बिक्री या लीज की दस या अधिक कार्य दिवसों की पूर्व लिखित सूचना देने वाले प्रभारी को कन्वेंशन के अनुच्छेद 8(4) में निर्दिष्ट "उचित पूर्व सूचना" प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करते हुए समझा जाएगा। पूर्वगामी किसी प्रभारी और प्रभारक या गारंटर को पूर्व नोटिस की लंबी अवधि के लिए सहमत होने से नहीं रोकेगा।

5. एक संविदाकारी राष्ट्र में रजिस्ट्री प्राधिकारी, किसी भी लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अधीन, विपंजीकरण रद्द करने और निर्यात करने के अनुरोध का सम्मान करेगा यदि:

(क) अनुरोध एक रिकॉर्ड किए गए अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण के तहत अधिकृत पक्ष द्वारा ठीक से प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) अधिकृत पार्टी रजिस्ट्री प्राधिकरण को प्रमाणित करती है, यदि उस प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो, तो लेनदार की प्राथमिकता में सभी पंजीकृत हितों की रैंकिंग, जिनके पक्ष में प्राधिकरण जारी किया गया है, का निर्वहन किया गया है या कि ऐसे हितों के धारकों ने वि-पंजीकरण और निर्यात के लिए सहमति दी है।

6. एक प्रभारी जो कोर्ट के आदेश के अनुसार पैरा 1 के तहत एक विमान के वि-पंजीकरण और निर्यात की खरीद का प्रस्ताव करता है, प्रस्तावित वि-पंजीकरण और निर्यात के लिए लिखित में उचित पूर्व सूचना देगा:

(क) कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(एम) और (ii) में निर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति; और

(ख) कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (एम) (iii) में निर्दिष्ट इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने पंजीकरण और निर्यात से पहले एक उचित समय के भीतर आरोपित को अपने अधिकारों की सूचना दी है।

अनुच्छेद X — अंतिम निर्धारण होने तक राहत के संबंध में प्रावधानों में संशोधन

1. यह अनुच्छेद केवल वहीं लागू होता है जहां एक संविदाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेद XXX(2) के तहत और इस तरह की घोषणा में बताई गई सीमा तक एक घोषणा की है ।

2. कन्वेंशन के अनुच्छेद 13(1), के प्रयोजनों के लिए, राहत प्राप्त करने के संदर्भ में "शीघ्र" का अर्थ है राहत के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि से कार्य दिवसों की इतनी संख्या के भीतर जैसा कि अनुबंधित स्थिति द्वारा की गई घोषणा में निर्दिष्ट है, जिसमें आवेदन किया जाता है।

3. कन्वेंशन का अनुच्छेद 13(1), उप-पैरा(घ) के तुरंत बाद निम्नलिखित जोड़े जाने के साथ लागू होता है:

"(ङ.) यदि किसी भी समय देनदार और लेनदार विशेष रूप से सहमत हैं, बिक्री और उससे प्राप्त आय को वहां से लागू कर सकते हैं।

और अनुच्छेद 43(2) "अनुच्छेद 13(1)(घ)" "और (ङ.)" शब्दों के बाद प्रविष्टि के साथ लागू होता है।

4. पिछले पैराग्राफ के तहत बिक्री पर जाने वाले देनदार का स्वामित्व, या कोई अन्य हित जो किसी भी अन्य ब्याज से मुक्त है, जिस पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 के प्रावधानों के तहत लेनदार के अंतर्राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है।

5. लेनदार और देनदार या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 (2) के लागू को किए जाने को बाहर करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकता है।

6. अनुच्छेद IX (1) में दिए गए उपायों के संबंध में:

(क) उन्हें रजिस्ट्री प्राधिकरण और अन्य प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा, जैसा लागू हो, एक संविदाकारी राष्ट्र में, लेनदार द्वारा ऐसे प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद पांच कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराना कि अनुच्छेद

IX(1) में निर्दिष्ट राहत दी गई है या, एक विदेशी अदालत द्वारा दी गई राहत के मामले में, जो संविदाकारी राष्ट्र की अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह कि लेनदार कन्वेंशन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करने का हकदार है; और

(ख) लागू प्राधिकरण, लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग में लेनदार के साथ अविलंब सहयोग और सहायता करेंगे।

7. पैराग्राफ 2 और 6, किसी भी लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद XI - दिवालिएपन का उपचार

1. यह अनुच्छेद केवल वहीं लागू होता है जहां एक संविदाकारी राष्ट्र जो प्राथमिक दिवालिया अधिकार क्षेत्र है, ने अनुच्छेद XXX(3) के अनुसार एक घोषणा की है।

वैकल्पिक क

2. दिवाला-संबंधी घटना के घटित होने पर, दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा कि लागू हो, पैरा 7 के शर्तों पर, लेनदार को विमान ऑब्जेक्ट का अधिकार, निम्नलिखित की तुलना में पहले परंतु बाद में नहीं देगा:

(क) प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति; तथा

(ख) यदि यह अनुच्छेद लागू नहीं होता है तो वह तिथि जिस पर लेनदार विमान वस्तु के अधिग्रहण का अधिकारी होगा।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु, ,"प्रतीक्षा अवधि" संविदाकारी राष्ट्र की घोषणा में निर्दिष्ट अवधि होगी जो प्राथमिक दिवालिया अधिकार क्षेत्र है।

4. इस अनुच्छेद में "दिवालिया प्रशासक" के संदर्भ उस व्यक्ति के शासकीय रूप में होंगे, न कि उसकी वैयक्ति क्षमता में।

5. जब तक कि लेनदार को पैराग्राफ 2 के तहत दखल लेने का अवसर नहीं दिया जाता है:

(क) दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा लागू हो, विमान ऑबजैक्ट को संरक्षित करेगा और समझौते के अनुसार इसे और इसके मूल्य को बनाए रखेगा; और

(ख) लेनदार लागू कानून के तहत उपलब्ध अंतरिम राहत के किसी अन्य रूप के करने का हकदार होगा।

6. पिछले पैराग्राफ का उप-पैराग्राफ (क), विमान की वस्तु को संरक्षित करने और इसे और उसके मूल्य को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई व्यवस्था के तहत, विमान वस्तु के उपयोग को नहीं रोकेगा।

7. दिवालिया प्रशासक या देनदार, जैसा कि लागू हो, पैरा 2 में निर्दिष्ट समय तक विमान वस्तु का कब्जा यथावत रख सकता है, , उसने दिवालिया कार्यवाही की शुरुआत में एक त्रुटि के अलावा अन्य सभी चूक को ठीक कर दिया है और करार तहत भविष्य के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। इस तरह के भविष्य के दायित्वों के प्रदर्शन में चूक के संबंध में दूसरी प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होगी।

8. अनुच्छेद IX(1) में उपाय से संबंधित:

(क) उन्हें एक संविदाकारी राष्ट्र में पंजीकरण प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस तिथि के बाद यथा लागू होने पर, उपलब्ध कराया जाएगा, पांच कार्य दिवसों के पश्चात नहीं, जिस पर लेनदार ऐसे अधिकारियों को सूचित करता है कि वह कन्वेंशन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करने का अधिकारी है; और

(ख) लागू प्राधिकरण, लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग में लेनदार के साथ अविलंब सहयोग और सहायता करेंगे।

9. कन्वेंशन या इस प्रोटोकॉल द्वारा अनुमत उपचारों की किसी भी कवायद को पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट तिथि के बाद रोका या विलंबित नहीं किया जा सकता है।

10. लेनदार की सहमति के बिना समझौते के तहत देनदार के किसी भी दायित्व को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

11. समझौते को समाप्त करने के लिए लागू कानून के तहत दिवालिया प्रशासक के प्राधिकरण, यदि कोई हो, को प्रभावित करने के लिए पूर्ववर्ती पैराग्राफ से कुछ भी आशय नहीं लिया जाएगा।

12. अनुच्छेद 39(1) के अनुसार अनुसरण में की गई घोषणा में समाविष्ट की गई श्रेणी के हितों को छोड़कर, गैर-सहमति वाले अधिकारों या किसी भी अधिकार या हितों को पंजीकृत हितों के संबंध में दिवालियेपन की कार्यवाही में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

13. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद IX द्वारा संशोधित कन्वेंशन इस अनुच्छेद के तहत किसी भी उपाय के प्रयोग पर लागू होगा।

वैकल्पिक ख

2. दिवाला-संबंधी घटना के घटित होने पर, दिवाला प्रशासक या देनदार, जैसा लागू हो, लेनदार के अनुरोध पर, लेनदार को अनुच्छेद XXX(3 के अनुसार एक संविदाकारी राष्ट्र की घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस देगा)) यदि ऐसा होगा:

(क) दिवालिया कार्यवाही के उद्घाटन द्वारा गठित एक चूक के अलावा सभी चूकों को ठीक करें और समझौते और संबंधित लेनदेन दस्तावेजों के तहत भविष्य के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत हों; या

(ख) लेनदार को लागू कानून के अनुसार विमान वस्तु पर अधिकार करने का अवसर दें।

3. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) में संदर्भित लागू कानून अदालत को कोई अतिरिक्त उपाय करने या किसी अतिरिक्त गारंटी के प्रावधान की आवश्यकता की अनुमति दे सकता है।

4. लेनदार अपने दावों का सबूत और प्रमाण देगा कि उसका अंतरराष्ट्रीय हित पंजीकृत किया गया है।

5. यदि दिवालिया प्रशासक या देनदार, जैसा लागू हो, अनुच्छेद 2 के अनुरूप सूचना नहीं देता है, या जब दिवालिया प्रशासक या देनदार ने घोषणा की है कि यह लेनदार को विमान ऑबजेक्ट पर कब्जा करने का अवसर देगा, लेकिन ऐसा करने में विफल रहता है इसलिए, अदालत लेनदार को ऐसी शर्तों पर विमान ऑब्जेक्ट का कब्जा लेने की अनुमति दे सकती है, जैसा कि अदालत आदेश दे सकती है और इसके लिए कोई अतिरिक्त कदम उठाने या किसी अतिरिक्त गारंटी के प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है।

6. दावे और अंतर्राष्ट्रीय हित के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय के लंबित रहने तक विमान ऑबजेक्ट को बेचा नहीं जाएगा।

अनुच्छेद XII — दिवालिया सहायता

1. यह अनुच्छेद केवल वहीं लागू होता है जहां एक संविदाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेद XXX(1) के अनुक्रम में एक घोषणा की है।

2. एक संविदाकारी राष्ट्र की अदालतें जिसमें एक विमान ऑबजेक्ट स्थित है, अनुबंधित राष्ट्र के कानून के अनुसार, अनुच्छेद XI के प्रावधानों को पूरा करने में विदेशी अदालतों और विदेशी दिवाला प्रशासकों के साथ यथासंभव सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद XIII — वि-पंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकारिता

1. यह अनुच्छेद केवल वहीं लागू होता है जहां एक संविदाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेद XXX(1) के अनुसार एक घोषणा की है।

2. जहां देनदार ने इस प्रोटोकॉल के साथ संलग्न रूप में एक अपरिवर्तनीय वि-पंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकारिता जारी की है और पंजीकरण प्राधिकरण को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा प्राधिकरण प्रस्तुत किया है, वह प्राधिकरण इस प्रकार दर्ज किया जाएगा।

3. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में प्राधिकरण जारी किया गया है ("अधिकृत पक्ष") या इसका प्रमाणित नामित व्यक्ति अनुच्छेद IX(1) में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग करने का हकदार एकमात्र व्यक्ति होगा और केवल प्राधिकरण और लागू विमानन सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुसार ऐसा कर सकता है। अधिकृत पक्ष की लिखित सहमति के बिना देनदार द्वारा इस तरह के प्राधिकरण को रद्द नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्री प्राधिकरण अधिकृत पार्टी के अनुरोध पर रजिस्ट्री से एक प्राधिकरण को हटा देगा।

4. अनुबंधित राष्ट्रों में रजिस्ट्री प्राधिकरण और अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण अनुच्छेद IX में निर्दिष्ट उपायों के प्रयोग में अधिकृत पार्टी के साथ शीघ्र से सहयोग और सहायता करेंगे।

अनुच्छेद XIV — प्राथमिकता प्रावधानों में संशोधन

1. एक पंजीकृत बिक्री के तहत एक विमान ऑबजेक्ट का एक खरीदार उस ऑबजेक्ट में अपना हित बाद में पंजीकृत हित से और एक अपंजीकृत हित से प्राप्त करता है, भले ही खरीदार को अपंजीकृत हित का वास्तविक ज्ञान हो।

2. एक विमान ऑबजेक्ट का खरीदार उस ऑबजेक्ट में अपनी रुचि प्राप्त करता है जो उसके अधिग्रहण के समय पंजीकृत हित के शर्तों के अधीन होता है।

3. किसी विमान के इंजन का स्वामित्व या कोई अन्य अधिकार या हित किसी विमान पर उसके अधिष्ठापन या हटाने से प्रभावित नहीं होगा।

4. कन्वेंशन का अनुच्छेद 29 (7) एक एयरफ्रेम, एयरक्राफ्ट इंजन या हेलीकॉप्टर पर स्थापित किसी ऑबजेक्ट के अलावा किसी अन्य सामग्री पर लागू होता है।

अनुच्छेद XV - असाइनमेंट प्रावधानों में संशोधन

कन्वेंशन का अनुच्छेद 33(1) लागू होता है जैसे कि उप-पैराग्राफ (ख) के तुरंत बाद निम्नलिखित जोड़े गए थे:

"और (ग) देनदार ने लिखित में सहमति दी है, चाहे असाइनमेंट के अग्रिम में सहमति दी गई हो या समनुदेशिती की पहचान की गई हो।"

अनुच्छेद XVI — देनदार संबंधी प्रावधान

1. कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 के अर्थ के भीतर एक चूक की अनुपस्थिति में, देनदार को समझौते के अनुसार ऑब्जेक्ट के निर्बाध अधिकार और उपयोग का हकदार होगा।

(क) इसका लेनदार और किसी भी हित का धारक जिससे देनदार कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 (4) के अनुसार बिना मूल्य के लेता है या,क्रेता की क्षमता में लेता है, इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIV(1), जब तक और उस सीमा तक जब तक कि देनदार ने अन्यथा सहमति नहीं दी है।

(ख) किसी भी हित धारक जिसके लिए देनदार का अधिकार या हित कन्वेंशन के अनुच्छेद 29(4) की शर्तों के अधीन है या क्रेता की क्षमता के अंतर्गत है लेकिन केवल उस सीमा तक, यदि कोई हो, तो ऐसे धारक ने सहमति व्यक्त की है।

2. कन्वेंशन या इस प्रोटोकॉल में कुछ भी लागू कानून के तहत समझौते के किसी भी उल्लंघन के लिए लेनदार की देयता को प्रभावित नहीं करता है, जहां तक कि करार एक विमान ऑबजेक्ट से संबंधित है।

अध्याय III

विमान ऑब्जेक्ट में अंतरराष्ट्रीय हितों से संबंधित रजिस्ट्री
प्रावधान

अनुच्छेद XVII - पर्यवेक्षी प्राधिकरण और रजिस्ट्रार

1. पर्यवेक्षी प्राधिकरण एक मोबाइल ईक्विपमेंट कॉनफेरेंस और एक विमान प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा नामित अंतरराष्ट्रीय इकाई होगी।

2. जहां पिछले पैराग्राफ में संदर्भित अंतरराष्ट्रीय संस्था पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में कार्य करने में सक्षम और इच्छुक नहीं है, एक अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण को नामित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंध करने वाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा।

3. पर्यवेक्षी प्राधिकरण और उसके अधिकारी और कर्मचारी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से ऐसे अधिकार का लाभ लेंगे जैसा कि एक अंतरराष्ट्रीय इकाई के रूप में या अन्यथा उन पर लागू नियमों के तहत दिया गया है।

4. पर्यवेक्षी प्राधिकरण हस्ताक्षरकर्ता और संविदाकारी राष्ट्रों द्वारा नामित व्यक्तियों और आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से विशेषज्ञों का एक आयोग स्थापित कर सकता है, और इसे अपने कार्यों के निर्वहन में पर्यवेक्षी प्राधिकरण की सहायता करने का कार्य सौंप सकता है।

5. पहला रजिस्ट्रार इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री का संचालन करेगा। तत्पश्चात, पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा नियमित पंचवर्षीय अंतराल पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की जाएगी।

अनुच्छेद XVIII - प्रथम विनियम

पहला विनियम, पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा ताकि इस प्रोटोकॉल के लागू होने पर प्रभावी हो सके।

अनुच्छेद XIX — निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु

1. पैराग्राफ 2 के अध्यधीन, एक संविदाकारी राष्ट्र किसी भी समय अपने क्षेत्र में एक इकाई या संस्थाओं को प्रवेश बिंदु या प्रवेश केंद्र के रूप में नामित कर सकता है या किसी अन्य राष्ट्र कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में राष्ट्रीय हित के नोटिस या अनुच्छेद 40 के तहत अधिकार या हित के पंजीकरण के अलावा पंजीकरण के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री जानकारी को प्रेषित किया जा सकता है।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत बनाया गया एक पदनाम विमान के इंजन के संबंध में पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु या प्रवेश बिंदुओं के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन विवश नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद XX — रजिस्ट्री प्रावधानों में अतिरिक्त संशोधन

1. कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 (6) के प्रयोजनों के लिए, एक विमान ऑब्जेक्ट के लिए खोज मानदंड, उसके निर्माता का नाम, उसके निर्माता का क्रम संख्या और उसका मॉडल पदनाम होगा, जो विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।ऐसी पूरक जानकारी विनियमों में निर्दिष्ट की जाएगी।

2. कन्वेंशन के अनुच्छेद 25(2) के प्रयोजनों के लिए और वहां वर्णित परिस्थितियों में, एक पंजीकृत संभावित अंतरराष्ट्रीय हित के धारक या एक अंतरराष्ट्रीय हित के एक पंजीकृत संभावित असाइनमेंट या वह व्यक्ति जिसके पक्ष में एक

संभावित बिक्री पंजीकृत की गई है, ऐसे पैराग्राफ में वर्णित मांग की प्राप्ति के बाद, वह ऐसे कदम उठाएगा जो पांच कार्य दिवसों के बाद पंजीकरण के निर्वहन को प्राप्त करने की उसकी शक्ति के भीतर हैं।

3. कन्वेंशन के अनुच्छेद 17(2)(एच) में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारित किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना, संचालन और विनियमन की उचित लागत और कार्यों के प्रदर्शन, शक्तियों के प्रयोग से जुड़े पर्यवेक्षी प्राधिकरण की उचित लागत वसूल की जा सके और कन्वेंशन के अनुच्छेद 17(2) द्वारा अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।

4. अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंद्रीकृत कार्यों को चौबीस घंटे के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा संचालित और अधिशासित किया जाएगा। विभिन्न प्रवेश बिंदुओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में कम से कम काम के घंटों के दौरान संचालित किया जाएगा।

5. कन्वेंशन के अनुच्छेद 28(4) में निर्दिष्ट बीमा या वित्तीय गारंटी की राशि, प्रत्येक घटना के संबंध में, पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विमान ऑब्जेक्ट के अधिकतम मूल्य से कम नहीं होगी।

6. कन्वेंशन में कोई भी बात रजिस्ट्रार को बीमा या वित्तीय गारंटी प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है, जिसके लिए रजिस्ट्रार कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के तहत उत्तरदायी नहीं है।

अध्याय IV

अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद XXI — अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों का संशोधन

कन्वेंशन के अनुच्छेद 43 के प्रयोजनों के लिए और कन्वेंशन के अनुच्छेद 42 के शर्तों के अंतर्गत, एक संविदाकारी राष्ट्र के न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र होता है, जहां ऑब्जेक्ट एक हेलीकॉप्टर है, या एक विमान से संबंधित एक एयरफ्रेम है, जिसके लिए वह राष्ट्र रजिस्ट्री का राष्ट्र है।

अनुच्छेद XXII — संप्रभु अधिकार का अधित्याग

1. पेराग्राफ़ 2 की शर्तों के अंतर्गत, कन्वेंशन के अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43 में निर्दिष्ट न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से या कन्वेंशन के तहत एक विमान ऑब्जेक्ट से संबंधित अधिकारों और हितों के प्रवर्तन से संबंधित संप्रभु अधिकार की छूट बाध्यकारी होगी और, यदि इस तरह के अधिकार क्षेत्र या प्रवर्तन के लिए अन्य शर्तों को पूरा कर लिया गया है, जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र प्रदान करने और प्रवर्तन की अनुमति देने के लिए प्रभावी होगा।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत छूट लिखित रूप में होनी चाहिए और इसमें विमान वस्तु का विवरण होना चाहिए।

अध्याय V

अन्य कन्वेन्शनों के साथ संबंध

अनुच्छेद XXIII - विमान में अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर कन्वेंशन के साथ संबंध

कन्वेंशन, एक संविदाकारी राष्ट्र के लिए, जो कि विमान में अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर कन्वेंशन जिस पर 19 जून 1948 को जेनेवा में हस्ताक्षर किए गए का एक पक्षकार है, उस कन्वेंशन का अधिक्रमण कर सकते हैं जैसा कि इस प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है, यह विमान और विमान ओबजेक्ट से संबंधित है। हालाँकि, वर्तमान कन्वेंशन द्वारा समाविष्ट या प्रभावित नहीं किए गए अधिकारों या हितों के संबंध में, जिनेवा कन्वेंशन का अधिक्रमण नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद XXIV — विमान की एहतियाती संयोजन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए कन्वेंशन के साथ संबंध

1. कन्वेंशन, विमान की एहतियाती संयोजन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए, एक संविदाकारी राष्ट्र के लिए, जो कि विमान में अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर कन्वेंशन जिस पर 29 मई, 1933 को रोम में हस्ताक्षर किए गए का एक पक्षकार है, जैसा कि इस प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है, उस कन्वेंशन का अधिक्रमण करता है क्योंकि यह विमान से संबंधित है।

2. उपरोक्त कन्वेंशन के लिए एक संविदाकारी राष्ट्र पक्ष, इस प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय घोषित कर सकती है कि यह इस अनुच्छेद को लागू नहीं करेगा।

अनुच्छेद XXV — अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पट्टे पर यूएनआइडीआरओआइटी कन्वेंशन के साथ संबंध

यह कन्वेंशन, 28 मई 1988 को ओटावा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लीज़ पर यूएनआइडीआरओआइटी कन्वेंशन का अधिक्रमण करेगी, क्योंकि यह विमान के ओबजेक्ट से संबंधित है।

अध्याय VI

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद XXVI — हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या स्वीकृति

1. यह प्रोटोकॉल केप टाउन में 29 अक्टूबर से 16 नवंबर 2001 तक केप टाउन में आयोजित एक मोबाइल उपकरण सम्मेलन और एक विमान प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा 16 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर के लिए खुला होगा। 16 नवंबर 2001 के बाद, यह प्रोटोकॉल, रोम में निजी कानून के एकीकरण (UNIDROIT) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के मुख्यालय में हस्ताक्षर के लिए सभी राष्ट्रों के लिए खुला रहेगा, जब तक कि यह अनुच्छेद XXVIII के अनुसार लागू नहीं हो जाता।

2. यह प्रोटोकॉल उन राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन की शर्तों पर आधारित होगा जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

3. कोई भी राष्ट्र जो इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं करता है, किसी भी समय इसे स्वीकार कर सकता है।

4. अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या स्वीकृति, जमाकर्ता के पास उस आशय के एक औपचारिक अभिकारक के जमा किए जाने से प्रभावित होगी।

5. एक राष्ट्र इस प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं बन सकता है जब तक कि वह कन्वेंशन का एक पक्ष नहीं हो या बना नहीं हो।

अनुच्छेद XXVII — क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन

1. एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जो संप्रभु राष्ट्रों द्वारा गठित किया गया है और इस प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित कुछ मामलों में समर्थ है, इसी तरह इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करता है, इसे स्वीकार कर सकता है, अनुमोदन कर सकता है या इसको स्वीकार कर सकता है। उस मामले में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के पास एक संविदाकारी राष्ट्र के अधिकार और दायित्व उस सीमा तक होंगे जितना कि उस संगठन के पास इस प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित मामलों पर सामर्थ्य है। जहां इस प्रोटोकॉल में संविदाकारी राष्ट्रों की संख्या प्रासंगिक है, वहां क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन को इसके सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त एक संविदाकारी राष्ट्र के रूप में नहीं गिना जाएगा जो संविदाकारी राष्ट्र हैं।

2. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, हस्ताक्षर, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय, इस प्रोटोकॉल द्वारा शासित मामलों को निर्दिष्ट करते हुए जमाकर्ता को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध में उसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा उस संगठन को क्षमता हस्तांतरित की गई है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, इस अनुच्छेद के तहत घोषणा में निर्दिष्ट योग्यता के नए हस्तांतरण सहित सक्षमता के वितरण में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत डिपॉजिटरी को सूचित करेगा।

3. इस प्रोटोकॉल में "साँविदाकारी राष्ट्र " या "संविदाकारी राष्ट्रों " या "राष्ट्रीय पक्ष " या "राष्ट्रीयपक्षों " का कोई भी संदर्भ, एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन पर समान रूप से लागू होता है जहाँ ऐसा करना अपेक्षित हो।

अनुच्छेद XXVIII — लागू होना

1. यह प्रोटोकॉल अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अनुमति की आठवें अभिकारक के जमा करने की तारीख के तीन महीने की समाप्ति के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से उन राष्ट्रों के बीच लागू होता है, जिन्होंने ऐसे अभिकारक जमा किए हैं।

2. अन्य राष्ट्रों के संबंध में यह प्रोटोकॉल, उनके अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के अभिकारक के जमा करने की तारीख के तीन महीने की समाप्ति के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से लागू होता है।

अनुच्छेद XXIX — क्षेत्रीय इकाइयाँ

1. यदि एक संविदाकारी राष्ट्र की क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जिनमें इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत व्यवस्थित किए गए मामलों के संबंध में कानून की विभिन्न प्रणालियाँ लागू होती हैं, तो यह अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के समय, यह घोषणा कर सकता है कि यह प्रोटोकॉल सभी या एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होंगे तथा किसी भी समय दूसरी घोषणा प्रस्तुत करके अपनी घोषणा को संशोधित कर सकता है।

2. ऐसी कोई भी घोषणा स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रीय इकाइयों का उल्लेख करेगी जिन पर यह प्रोटोकॉल लागू होता है।

3. यदि किसी संविदाकारी राष्ट्र ने पैरा 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की है, तो यह प्रोटोकॉल उस राष्ट्र की सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होगा।

4. जहां कोई संविदाकारी राष्ट्र इस प्रोटोकॉल को अपनी एक या अधिक क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू करता है, इस प्रोटोकॉल के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की जाएगी, तथा एक क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की गई घोषणाएं, अन्य क्षेत्रीय इकाई से संबंधित घोषणाओं से भिन्न हो सकती हैं।

5. यदि पैरा 1 के तहत किसी घोषणा के आधार पर, यह प्रोटोकॉल एक संविदाकारी राष्ट्र की एक या अधिक क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होता है:

क. देनदार को किसी संविदाकारी राष्ट्र में स्थित तभी माना जाता है, यदि वह किसी क्षेत्रीय इकाई में लागू कानून के तहत निगमित या गठित हो, जिस पर यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू होता है, अथवा यदि उसका पंजीकृत कार्यालय या सांविधिक सीट, प्रशासन का केंद्र, व्यापार या अभ्यस्त निवास का स्थान किसी ऐसे क्षेत्रीय इकाई में हो, जिस पर यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू होता है;

ख. किसी संविदाकारी राष्ट्र में वस्तु के स्थान से संबंधित कोई भी संदर्भ, क्षेत्रीय इकाई में वस्तु के स्थान को संदर्भित करता है, जिस पर यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू होता है; तथा

ग. उस संविदाकारी राष्ट्र में प्रशासनिक प्राधिकारणों से संबंधित किसी भी संदर्भ का अर्थ उस क्षेत्रीय इकाई में अधिकार क्षेत्र वाले प्रशासनिक प्राधिकारणों के संदर्भ में समझा जाएगा, जिस पर यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू होता है एवं उस संविदाकारी राष्ट्र में राष्ट्रीय रजिस्टर या रजिस्ट्री प्राधिकरण से संबंधित किसी भी संदर्भ को लागू विमान रजिस्टर अथवा क्षेत्रीय इकाई या इकाइयों में अधिकार क्षेत्र वाले रजिस्ट्री प्राधिकरण से संबंधित संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिस पर यह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू होता है।

अनुच्छेद XXX — कुछ प्रावधानों से संबंधित घोषणाएं

1. कोई संविदाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के समय, यह घोषणा कर सकता है कि वह इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद VIII, XII और XIII में से किसी एक या अधिक को लागू करेगा।

2. कोई संविदाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के समय, यह घोषणा कर सकता है कि वह इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद X को, पूर्ण या आंशिक रूप से लागू करेगा। यदि वह अनुच्छेद X(2) के संबंध में ऐसे घोषणा करता है, तो वह इसके लिए आवश्यक समय-अवधि निर्दिष्ट करेगा।

3. कोई संविदाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के समय, घोषणा कर सकता है कि वह विकल्प क को संपूर्ण रूप से, या अनुच्छेद XI के विकल्प ख को संपूर्ण रूप से लागू करेगा और, यदि ऐसा है, तो दिवालिया कार्यवाही के प्रकार निर्दिष्ट करेगा, यदि कोई हो, जिस पर वह विकल्प क लागू करेगा और दिवालिया कार्यवाही के प्रकार जिस पर वह विकल्प ख लागू करेगा, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करेगा। इस पैरा के अनुसार घोषणा करने वाला कोई संविदाकारी राष्ट्र अनुच्छेद XI के तहत, आवश्यक समय-अवधि निर्दिष्ट करेगा।

4. संविदाकारी राष्ट्रों के न्यायालय, संविदाकारी राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अनुच्छेद XI लागू करेंगी, जो प्राथमिक दिवालिया क्षेत्राधिकार है।

5. कोई संविदाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के समय, यह घोषणा कर सकता है कि वह अनुच्छेद XXI के प्रावधानों को पूर्ण या आंशिक रूप से लागू नहीं करेगा। घोषणा में निर्दिष्ट किया जाएगा कि किन शर्तों के तहत प्रासंगिक अनुच्छेद लागू किया जाएगा, यदि इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा, या अन्यथा अंतरिम राहत के अन्य कौन से रूपों को लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद XXXI - **कन्वेंशन के तहत घोषणाएं**

कन्वेंशन के अनुच्छेद 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 और 60 के तहत की गई घोषणाओं सहित, कन्वेंशन के तहत की गई घोषणाओं को इस प्रोटोकॉल के तहत भी घोषित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

अनुच्छेद XXXII — **सीमितताएँ और घोषणाएं**

1. इस प्रोटोकॉल को सीमित नहीं किया जा सकता, परंतु इन प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII और XXXIV द्वारा अधिकृत घोषणाएं की जा सकती हैं।

2. इस प्रोटोकॉल के तहत कोई भी घोषणा या अनुवर्ती घोषणा अथवा किसी भी घोषणा को वापस लेने की सूचना डिपॉजिटरी को लिखित रूप में दी जाएगी।

अनुच्छेद XXXIII — **अनुवर्ती घोषणाएं**

1. कोई राष्ट्र पक्ष, कन्वेंशन के अनुच्छेद 60 के तहत अनुच्छेद XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलावा अनुवर्ती घोषणा, उस तारीख उपरांत किसी भी समय, उस प्रभाव के लिए डिपॉजिटरी को सूचित करके कर सकती है, जब से यह प्रोटोकॉल लागू हुआ है।

2. इस तरह की कोई भी अनुवर्ती घोषणा, डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाप्ति के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से प्रभावी होगी। जहां अधिसूचना में उस घोषणा के प्रभावी होने के लिए लंबी अवधि निर्दिष्ट की गई हो, वहाँ यह डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने के उपरांत ऐसी लंबी अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगी।

3. पिछले पैराओं में किसी भी बात के होने के बावजूद, यह प्रोटोकॉल लगातार लागू रहेगा, जैसे कि एसी कोई भी अनुवर्ती घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में, ऐसी कोई अनुवर्ती घोषणा नहीं की गई थी।

अनुच्छेद XXXIV - **घोषणाओं को वापस लेना**

1. कन्वेंशन के अनुच्छेद 60 के तहत अनुच्छेद XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलावा, किसी भी राष्ट्र पक्ष द्वारा इस प्रोटोकॉल के तहत की गई घोषणा को डिपॉजिटरी को सूचित करके किसी भी समय वापस लिया जा सकता

है। इस तरह की वापसी डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाप्ति के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से प्रभावी होगी।

2. पिछले पैरा में किसी भी बात के होने के बावजूद, यह प्रोटोकॉल लगातार लागू रहेगा, जैसे कि ऐसी किसी भी वापसी की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में, की गई घोषणा की ऐसी कोई वापसी नहीं की गई थी।

अनुच्छेद XXXV — **निंदा प्रस्ताव**

1. कोई भी राष्ट्र पक्ष, डिपॉजिटरी को लिखित में अधिसूचना के माध्यम से इस प्रोटोकॉल के लिए निंदा प्रस्ताव जारी कर सकती है।

2. इस तरह का कोई भी निंदा प्रस्ताव, डिपॉजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के बारह महीने की समाप्ति के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा।

3. पिछले पैराओं में किसी भी बात के होने के बावजूद, यह प्रोटोकॉल लगातार लागू रहेगा, जैसे कि ऐसी किसी भी निंदा की प्रभावी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और हितों के संबंध में, ऐसी कोई निंदा नहीं की गई थी।

अनुच्छेद XXXVI - समीक्षा सम्मेलन, संशोधन और संबंधित मामले

1. डिपॉजिटरी, पर्यवेक्षी प्राधिकरण के परामर्श से, राष्ट्र पक्षों के लिए वार्षिक रूप से, या ऐसे अन्य समय पर जब परिस्थिति की मांग हो, रिपोर्ट तैयार करेगा कि कन्वेंशन के माध्यम से स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र, जैसा इस प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है, को किस तरह से संचालित किया गया है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करते समय, डिपॉजिटरी, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली के कामकाज से संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण की रिपोर्टों को ध्यान में रखेगा।

2. कम से कम पच्चीस प्रतिशत राष्ट्र पक्षों के अनुरोध पर, पर्यवेक्षी प्राधिकरण के परामर्श से डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निम्न मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्र पक्षों का समीक्षा सम्मेलन बुलाया जाएगा, पर:

(क) इस प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित कन्वेंशन का व्यावहारिक संचालन और इसकी शर्तों के अंतर्गत वस्तुओं के परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण और पट्टे पर देने की सुविधा में इसकी प्रभावशीलता;

(ख) की गई न्यायिक व्याख्या, और इस प्रोटोकॉल तथा विनियमों की शर्तों को लागू किया जाना।;

(ग) पर्यवेक्षी प्राधिकरण की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली का कामकाज, रजिस्ट्रार का कार्य निष्पादन एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा इसकी निगरानी; तथा

(घ) क्या इस प्रोटोकॉल या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री से संबंधित व्यवस्था में कोई संशोधन वांछनीय है।

3. इस प्रोटोकॉल में किसी भी संशोधन को पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्र पक्षों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और तत्पश्चात ही उन राष्ट्रों के संबंध में लागू होगा जिन्होंने इस तरह के संशोधन की पुष्टि, स्वीकार या अनुमोदन किया था, जब यह इसके लागू होने से संबंधित अनुच्छेद XXVIII के प्रावधानों के अनुसार आठ राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित, स्वीकृत या अनुमोदित किया गया था।

अनुच्छेद XXXVII — **डिपॉजिटरी और उसके कार्य**

1. अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के उपकरण निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान (यूएनआईडीआरओआईटी) के पास जमा किए जाएंगे, जिसे एतद् द्वारा डिपॉजिटरी नामित किया गया है:

2. डिपॉजिटरी:

(क) सभी संविदाकारी राष्ट्रों को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगा:

(i) अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति के साधन के प्रत्येक नए हस्ताक्षर या जमा किए जाने के विषय में, उसकी तारीख के साथ;

(ii) इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख;

(iii) इस प्रोटोकॉल के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख के साथ; तथा

(iv) किसी घोषणा को वापस लेने या उसमें किए गए संशोधन के विषय में, उसकी तारीख के साथ;

(v) इस प्रोटोकॉल की किसी भी निंदा प्रस्ताव की अधिसूचना, उसकी तारीख के साथ एवं जिस तारीख को यह प्रभावी होगा;

(ख) इस प्रोटोकॉल की प्रमाणित वास्तविक प्रतियां सभी संविदाकारी राष्ट्रों को प्रेषित करना;

(ग) पर्यवेक्षी प्राधिकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अनुमति के प्रत्येक अभिकारक की प्रति, उसके जमा किए जाने की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या वापसी या घोषणा के संशोधन और निंदा प्रस्ताव की प्रत्येक अधिसूचना, उसकी तारीख के साथ प्रदान करना, ताकि उसमें निहित जानकारी आसानी से और पूरी तरह से उपलब्ध हो; तथा

(घ) डिपोसिटरियों के लिए प्रथागत ऐसे अन्य कार्य करना।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, विधिवत रूप से अधिकृत होने के पश्चात, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

केप टाउन में, सोलह नवंबर, दो हजार एक, को अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषाओं में एक ही मूल में, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, ऐसी प्रामाणिकता, सम्मेलन के अध्यक्ष की अधिकारिता के तहत, सम्मेलन के संयुक्त सचिवालय द्वारा सत्यापन के नब्बे दिनों के भीतर, इन सभी भाषाओं के पाठ की अनुरूपता के साथ, प्रभावी होगा।

अनुलग्नक

अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुच्छेद XIII में संदर्भित अनुबंध

[दिनांक]

प्रति: [रजिस्ट्री प्राधिकरण का नाम डाले]

विषय: अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकार पत्र

अधोहस्ताक्षरी [एयरफ्रेम/हेलीकॉप्टर विनिर्माता का नाम और मॉडल नंबर डालें] का पंजीकृत [संचालक] [स्वामी]* है, जिसका विनिर्माता क्रम संख्या [विनिर्माता का क्रम संख्या डालें] और पंजीकरण [संख्या] [चिह्न] [पंजीकरण संख्या/चिह्न डालें] (साथ में सभी स्थापित, निगमित या संलग्न सहायक उपकरण, पुर्जे और उपकरण, "विमान") है।

यह अभिकारक, विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपकरण में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIII के अधिकार के तहत [लेनदार का नाम डालें] ("अधिकृत पक्ष") के पक्ष में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी एक अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकार पत्र है। उस अनुच्छेद के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा अनुरोध करते हैं:

(i) कि प्राधिकृत पक्ष या वह व्यक्ति जिसे वह अपने नामिती के रूप में प्रमाणित करते हैं, जिसे यह मान्यता दी जाए कि वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो:

(क) 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित *अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सम्मेलन* के अध्याय III के प्रयोजनों के लिए [रजिस्ट्री प्राधिकरण का नाम डालें] द्वारा बनाए गए [विमान रजिस्टर का नाम डालें] विमान का विपंजीकरण प्राप्त करने का हकदार होगा, तथा

(ख) [देश का नाम डालें] से विमान के निर्यात और भौतिक हस्तांतरण प्राप्त करने का हकदार होगा; तथा

(ii) पुष्टि करे कि प्राधिकृत पक्ष या वह व्यक्ति जिसे वह इसके नामिती के रूप में प्रमाणित करता है, अधोहस्ताक्षरी की सहमति के बिना लिखित मांग पर उपरोक्त खंड (i) में निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकता है और ऐसी मांग पर, [देश का नाम डालें], में अधिकारी इस तरह की कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से प्राधिकृत पक्ष के साथ सहयोग करेंगे।

इस साधन द्वारा स्थापित प्राधिकृत पक्ष के पक्ष में प्रदान किए गए अधिकार, अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत पक्ष की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं किया जा सकते हैं।

कृपया नीचे दिए गए स्थान में उपयुक्त नोटेशन द्वारा इस अनुरोध और इसकी शर्तों के लिए अपनी सहमति स्वीकार करें और इस साधन को [रजिस्ट्री प्राधिकरण का नाम डालें] में दर्ज करें।

* उस शब्द का चयन करें जो प्रासंगिक राष्ट्रीयता पंजीकरण मानदंड को दर्शाता है।

[संचालक/स्वामी का नाम डालें]

सहमत और दर्ज किया गया है द्वारा: [हस्ताक्षरकर्ता का नाम डालें]

[दिनांक डालें]

[हस्ताक्षरकर्ता का शीर्षक डालें]

[प्रासंगिक संकेतन विवरण डालें]

भारत गणराज्य द्वारा विमान प्रोटोकॉल के तहत अपनी सहमति के साधन जमा करने के समय दर्ज की गई घोषणाएँ

(i) फॉर्म संख्या 19 [अनुच्छेद XXX(1) के तहत अनुच्छेद VIII के संबंध में घोषणा]

भारत अनुच्छेद VIII लागू करेगा।

(ii) अनुच्छेद X को सम्पूर्ण रूप से लागू करने के लिए फॉर्म संख्या 21 [अनुच्छेद X के संबंध में अनुच्छेद XXX(2) के तहत घोषणा]

भारत प्रोटोकॉल के अनुच्छेद X को पूर्ण रूप से लागू करेगा और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद X(2) में निर्धारित समय सीमा के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्य दिवसों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं के बराबर होगी:

(क) कन्वेंशन के अनुच्छेद 13(1)(क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में दस (10) कार्य दिवस (क्रमशः, विमान की वस्तुओं का संरक्षण और उनका मूल्य; विमान की वस्तुओं का कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा; और, विमान की वस्तुओं का स्थिरीकरण); तथा

(ख) कन्वेंशन के अनुच्छेद 13(1)(घ) और (ङ) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में तीस (30) कार्य दिवस (क्रमशः, विमान की वस्तुओं को पट्टे पर देना या उनका प्रबंधन और उनकी आय; एवं, बिक्री और विमान की वस्तुओं से आय तथा उसका प्रयोग)।

(i) सभी प्रकार की दिवालिया कार्यवाही के लिए विकल्प क लागू करने के लिए फॉर्म संख्या 23 [अनुच्छेद XI के संबंध में अनुच्छेद XXX(3) के तहत सामान्य घोषणा],

भारत प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XI, विकल्प क, को पूर्ण रूप से सभी प्रकार की दिवालिया कार्यवाही पर लागू करेगा, और उस विकल्प के अनुच्छेद XI(3) के प्रयोजनों के लिए प्रतीक्षा अवधि दो (2) महीने होगी।

(iv) फॉर्म संख्या 26 [अनुच्छेद XII के संबंध में अनुच्छेद XXX(1) के तहत घोषणा]

भारत अनुच्छेद XII लागू करेगा।

(v) फॉर्म संख्या 27 [अनुच्छेद XIII के संबंध में अनुच्छेद XXX(1) के तहत घोषणा]

भारत अनुच्छेद XIII लागू करेगा।

एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत गणतन्त्र द्वारा दर्ज घोषणाएँ

तीसरी अनुसूची

(भाग क)

*कन्वेंशन के अनुच्छेद **39(1)(क)** के तहत विशिष्ट घोषणा के अनुसार गैर-सहमति अधिकार या हित की श्रेणियां*

गैर-सहमति अधिकार या हित की निम्नलिखित श्रेणियों को पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय हित के समकक्ष विमान के ऑब्जेक्ट में हित पर प्राथमिकता है और एक पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय हित पर प्राथमिकता होगी, चाहे वह दिवालिया कार्यवाही में या उससे परे हो, नामतः :-

(क) विमान की वस्तु का वित्तपोषण या उसे पट्टे पर देने के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोषित डिफ़ाल्ट के समय से उत्पन्न होने वाली अवैतनिक मजदूरी के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के पक्ष में ग्रहणाधिकार;

(ख) करों या अन्य अदा नहीं किए गए शुल्कों से संबंधित भारत के प्राधिकरण के ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार, जो किसी विमान की वस्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित हैं और उस विमान की वस्तु के स्वामी या ऑपरेटर द्वारा देय हैं, जो उसके द्वारा घोषित डिफ़ाल्ट के समय से पहले उस विमान की वस्तु के वित्तपोषण या उसे पट्टे पर देने के करार के तहत उत्पन्न होते हैं; तथा

(ग) एक विमान की वस्तु के मरम्मतकर्ताओं के पक्ष में, उनके कब्जे में सेवा या सेवाओं की सीमा तक और उस विमान की वस्तु में जोड़ा गया वर्धित मूल्य के संबंध में ग्रहनाधिकार।

(भाग ख)

कन्वेंशन के अनुच्छेद 40 के तहत घोषणा के अनुसरण में पंजीकरण योग्य गैर-सहमति अधिकार या हित की श्रेणियां

गैर-सहमति अधिकार या हित की निम्नलिखित श्रेणियां, विमान की वस्तु की किसी भी श्रेणी के संबंध में कन्वेंशन के तहत पंजीकरण योग्य होंगी जैसे कि अधिकार या हित अंतरराष्ट्रीय हित के थे और तदनुसार विनियमित किए जाएंगे, नामतः :-

(क) विमान की वस्तु के वित्तपोषण या उसे पट्टे पर देने के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोषित डिफ़ाल्ट के समय से पहले उत्पन्न होने वाली अवैतनिक मजदूरी के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के पक्ष में ग्रहणाधिकार;

(ख) करों या अन्य अदा नहीं किए गए शुल्कों से संबंधित भारत के प्राधिकरण के ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार, जो किसी विमान की वस्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित हैं और उस विमान की वस्तु के स्वामी या ऑपरेटर द्वारा देय हैं, जो उसके द्वारा घोषित डिफ़ाल्ट के समय से पहले उस विमान की वस्तु के वित्तपोषण या उसे पट्टे पर देने के करार के तहत उत्पन्न होते हैं; तथा

(ग) कानूनी निर्णय की आंशिक या पूर्ण संतुष्टि में, किसी विमान की वस्तु की कुर्की करने की अनुमति देने वाला न्यायालय का आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार।

[फा. सं. एवी-11012/4/2020-ए-एमओसीए]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

G.S.R. 296(E).—The Ministry of Civil Aviation proposes to introduce the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022 to implement the provisions of the Convention on International Interests in Mobile Equipment ("Convention") and Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment ("Protocol") adopted with a view to discharging the treaty obligations and to avail full benefits of the Indian accession to the treaty.

As a part of the pre-legislative consultation, the following draft bill, along with explanatory note, the text of the Convention, the text of the Protocol and the respective declarations deposited by India under the Convention and Protocol are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Anup Pant, Under Secretary, Ministry of Civil Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi or emailed at soa.moca@nic.in. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft bill before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Explanatory note

At a Diplomatic Conference held in Cape Town in November, 2001 under the auspices of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), two international law instruments were adopted, namely, the Convention on International Interests in Mobile Equipment (the Cape Town Convention) and the Protocol to the Convention on Matters Specific to Aircraft Equipment (the Cape Town Protocol). The Convention is general in nature and is meant to be applied to three sectors, viz. Aviation, Railways and Space Equipment. A separate Protocol has been adopted for each sector, and the Convention together with the sector specific Protocol constitutes the legal regime for each sector. The Aircraft protocol was adopted at Cape Town itself in 2001 along with the base Convention, while the Protocols for the Railways and Space sectors were adopted subsequently.

2. The principal objective of the Convention/Protocol is to achieve efficient financing of high value mobile equipment, like airframes, helicopters and engines, in order to make the operations as cost effective and affordable as possible. The Convention and the Protocol are designed to fulfill thefollowing objectives:

(a) Creation of an International Interest in aircraft objects which will be recognized in all Contracting States;

(b) Establishment of an electronic International Registry for registration of international interests, accessible online on H+24 basis and providing a search certificate to any person seeking such a certificate in respect of a particular aircraft object giving details of various registered interests in order of priority in that aircraft object;

(c) Provision of certain basic default remedies for the creditor, such as deregistration and export of aircraft, as a measure of speedy interim relief;

(d) Creation of a legal regime which is applicable universally and administers justice to both parties in case of a dispute; and

(e) By these means, to reduce the level of risk for the intending creditors/lessors, leading to reduction in the cost of aircraft financing/leasing and eventually to reduction in cost of operation. The benefits will finally be passed on to the end user i.e. the passenger and/or shipper.

3. India deposited the Instruments of Accession with the depositary (UNIDROIT) on 31.03.2008 along with the Declarations and became a Party to the Cape Town Convention/Protocol on 01.07.2008 in accordance with Article 49 of the Convention and Article XXVIII of the Protocol. The Ministry of Civil Aviation after holding

extensive consultations with the stakeholders, decided that for achieving full implementation of the Convention/Protocol in India, there is a need for separate Legislation as there are certain provisions of the Convention/Protocol that are in conflict with the provisions of some other laws, such as, the Civil Procedure Code, 2008, the Specific Relief Act, 1963, the Companies Act, 2013 and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which fall outside the jurisdiction of Civil Aviation Ministry. A separate Legislation is also necessary in view of the fact that the international financial institutions are not giving due weightage to accession to the Cape Town Convention/ Protocol by any country unless it is accompanied by an implementing legislation. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) has set a norm that 10% discount will be given in the processing fee for a loan to acquire aircraft to airlines of any country party to the Cape Town Convention/Protocol provided an implementing legislation has been passed by that country.

4. Further, an Act of Parliament would also provide greater confidence to the intending creditors resulting in reduction of the risk applicable to asset-based financing and leasing transactions. The risk reduction will result in reduction in the cost of aviation credit and will also bring down the lease rentals. This will be of immense help to the Indian aviation industry. It will also benefit the passengers and other end users by pass-through price reductions and increased levels of service.

5. Therefore, it is proposed to enact a specific legislation titled "**Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022"** to implement the Cape Town Convention/Protocol in India with a view to discharging the treaty obligations and to avail benefits of the Indian accession to the treaty. The main feature of theBill is that the provisions of Cape Town Convention and Protocol, and respective declarations deposited by India there under, have been given the force of law in India and have been appended to the Bill as First and Second Schedule respectively and Non-consensual rights or interests declared by India under Article 39 of Convention and Registrable Non-consensual rights or interest declared by India under Article 40 of Convention as Third Schedule. The Bill also contains a provision that will accord primacy to the provisions of the instant legislation in case of conflict with any other law in force in India. It also empowers the Central Government to make rules, if necessary, for implementing the Convention and the Protocol in India.

Draft Bill

CHAPTER I

PRELIMINARY

Sections

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

CHAPTER II

APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST

3. Applicability.

4. Recognition and validity of an international interest.

5. Application to sale and prospective sale.

6. Representative capacities.

7. Priority of competing interests.

8. Rights having priority without registration.

9. Registrable non-consensual rights or interests.

CHAPTER III

DEFAULT AND REMEDIES

10. Meaning of ‘default’ and declared default.

11. Manner of exercising remedies.

12. Remedies of chargee.

13. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.

14. Remedies of a conditional seller or lessor.

15. De-registration and export of aircraft.

16. Requirement of commercial reasonableness.

17. Relief pending final determination.

18. Effects of insolvency.

19. Remedies on insolvency.

20. Additional remedies available to a creditor.

21. Exclusions and modifications by agreement.

CHAPTER IV

ASSIGNMENT AND SUBROGATION

22. Assignment of associated rights and international interest.

23. Subrogation of associated rights and effects thereof.

CHAPTER V

RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR

24. Debtor's rights and duties.

CHAPTER VI

JURISDICTION AND CHOICE OF LAW

25. Jurisdiction.

26. Choice of Law.

27. Exclusion of insolvency proceedings.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

28. Designated Entry Point.

29. Removal of difficulties.

30. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol and their implementation.

31. Savings and Provisions of this Act to override other laws.

FIRST SCHEDULE – TEXT OF CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT AND RELEVANT DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CONVENTION

SECOND SCHEDULE – TEXT OF PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT AND RELEVANT DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE PROTOCOL

THIRD SCHEDULE –

Part (A) – *Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 39(1)(a)) of the Convention*

Part (B) – *Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of the Convention*

The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022

AN ACT TO PROVIDE A MECHANISM FOR PROTECTION AND ENFORCEMENT OF INTERESTS IN AIRCRAFT OBJECTS AND GIVING FORCE OF LAW TO THE PROVISIONS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT AND THE PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, EACH SIGNED AT CAPE TOWN ON 16TH NOVEMBER, 2001 AND TO THE EXTENT ACCEEDED TO BY THE REPUBLIC OF INDIA ON 31st March 2008 (WITH ENTRY INTO FORCE ON 1st July 2008).

BE IT ENACTED BY PARLIAMENT IN THE SEVENTY THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS FOLLOWS :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

2. **Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the meanings as set out below—

(1) **"agreement"** means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

(2) **"aircraft"** means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(3) **"aircraft engines"** means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

(a) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or itsequivalent; and

(b) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,

together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;

(4) **"aircraft objects"** means airframes, aircraft engines and helicopters;

(5) **"aircraft register"** means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purpose of the Chicago Convention;

(6) **"airframes"** means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

(a) at least 8 (eight) persons including crew; or

(b) goods in excess of 2750 kilograms together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

(7) **"assignment"** means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

(8) **"associated rights**" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the aircraft object;

(9) **"authorised party"** means the party referred to in section 15;

(10) **"Chicago Convention"** means the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7th December, 1944, as amended, and its Annexes;

(11) **"Code"** means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(12) **"commencement of the insolvency proceedings"** means the insolvency commencement date, bankruptcy commencement date or liquidation commencement date as defined in the Code, or commencement of the insolvency proceedings under any other law for the time being in force in India;

(13) **"conditional buyer"** means a buyer under a title reservation agreement;

(14) **"conditional seller"** means a seller under a title reservation agreement;

(15) **"contract of sale"** means an agreement for the sale of an aircraft object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in sub-sections (1) of section 2;

(16) **"Contracting State"** means a State party to the Convention on International Interests in Mobile Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001 and Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001;

(17) **"Convention"** means the Convention on International Interests in Mobile Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001, the text of which is set out in the First Schedule;

(18) "**court**" for the purposes of the Act means, the High Court having respective territorial jurisdiction;

(19) **"creditor**" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(20) "**debtor**" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an aircraft object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(21) **"de-registration of the aircraft"** means cancellation, deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention under the provisions of, or any rules framed under this Act read with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and the Aircraft Rules, 1937;

(22) **Directorate General of Civil Aviation or "DGCA"** means the Directorate General of Civil Aviation constituted under Section 4A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), or its successor entity or any other entity discharging the same or substantially similar functions, whether under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) or any legislation that replaces the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

(23) **"guarantee contract"** means a contract entered into by a person as guarantor;

(24) **"guarantor"** means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(25) **"helicopter"** means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

(a) at least 5 (five) persons including crew; or

(b) goods in excess of 450 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

(26) **"insolvency administrator"** means a person authorised to administer the reorganization or liquidation or bankruptcy or insolvency resolution of a debtor, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

(27) "**insolvency proceedings**" means bankruptcy or insolvency resolution, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court or tribunal under the Code or any other law for the time being in force, for the purposes of insolvency resolution, reorganization or liquidation;

(28) "**interested persons**" means:

(a) the debtor;

(b) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(c) any other person having rights in or over the aircraft object;

(29) "**internal transaction"** means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) of the Convention where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant aircraft object located, in India at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in the national registry of India;

(30) **"international interest"** means an interest held by a creditor to which Article 2 of the Convention applies;

(31) **"International Registry**" means the international registration facilities established under Article 16 of the Convention;

(32) "**leasing agreement**" means an agreement by which one person (the "**lessor**") grants a right to possession or control of an aircraft object, with or without an option to purchase, to another person (the "**lessee")** in return for a rental or other payment;

(33) **"national interest"** means an interest held by a creditor in an aircraft object and created by an internal transaction in India;

(34) **"non-consensual right or interests"** means the categories of rights or interests declared and deposited by India under Article 39 of the Convention, text of which declaration is set out in Part A of the Third Schedule and will include any rights or interests declared by India in any amendment to such declaration;

(35) "**notice of a national interest"** means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

(36) "**prescribed**" means prescribed by rules made by the Central Government;

(37) "**proceeds**" means money or non-money proceeds of an aircraft object arising from the total or partial loss or physical destruction of the aircraft object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

(38) **"prospective assignment"** means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(39) **"prospective international interest**" means an interest that is intended to be created or provided for in an aircraft object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event, which may include the debtor's acquisition of an interest in the aircraft object, whether or not the occurrence of the event is certain;

(40) **"prospective sale"** means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(41) **"Protocol"** means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001, the text of which is set out in the Second Schedule;

(42) **"registered**" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V of the Convention and in accordance with the Protocol and regulations made thereunder;

(43) **"registered interest"** means an international interest including registrable non- consensual rights or interests, or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V of the Convention;

(44) **"registrable non-consensual rights or interests"** means the categories of rights or interests declared and deposited by India under Article 40 of the Convention, , the text of which declaration is set out in Part B of Third Schedule, and will include any rights or interests declared by India in any amendment to such declaration;

(45) "**regulations**" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

(46) **"sale"** means a transfer of ownership of an aircraft object pursuant to a contract of sale;

(47) **"secured obligation"** means an obligation secured by a security interest;

(48) **"security agreement**" means an agreement by which a "**chargor**" grants or agrees to grant to a **"chargee"** an interest, including an ownership interest, in or over an aircraft object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(49) **"security interest"** means an interest created by a security agreement;

(50) **"Supervisory Authority**" means the Supervisory Authority referred to in Article 17(1) of the Convention;

(51) **"title reservation agreement"** means an agreement for the sale of an aircraft object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

(52) **"unregistered interest"** means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 of the Convention applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under the Convention;

(53) **"writing"** means a record of information (including information communicated by tele transmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record;

(54) words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Convention and the Protocol or any regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those texts or regulations; and

(55) In interpreting the provisions of this Act recourse may be had to the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment and the respective declarations deposited by India under the Convention and Protocol, the texts of which are set out in the Schedules to this Act or as may be amended from time to time.

CHAPTER II

APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST

3. Applicability.— (1) The provisions of this Act shall apply—

(a) to a debtor who, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for an international interest in an aircraft object, is situated in India;

(b) to a seller who, at the time of the conclusion of the contract of sale creating or providing for sale of an aircraft object, is situated in India; and

(c) to an aircraft object, having an international interest, which is located in India or pertains to an aircraft registered in India.

(2) The provisions of this Act shall be applicable to an internal transaction, in so far as they are not inconsistent with the provisions of other laws for the time being in force governing such transactions.

***Explanation* I.**— A debtor or seller is situated in India—

(a) where it is incorporated or registered under any law in force in India; or

(b) where it has its registered office in India; or

(c) where it has its centre of administration in India; or

(d) where it has its place of business, or if it has more than one place of business, its principal place of business in India, or if it has no place business, its habitual residence in India.

***Explanation* II.**—The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State shall not affect the applicability of this Act.

4. Recognition and validity of an international interest.—

(1) The international interest as provided for by Articles 2 to 7 of the Convention is recognized under this Act in relation to aircraft objects and shall have effect where the conditions of the Convention and Protocol are satisfied.

(2) An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered with the International Registry complying with conditions as specified in the Convention, Protocol and regulations issued by the Supervisory Authority pursuant to Article 17(2)(d) of the Convention and Article XVIII of the Protocol and shall remain effective for the duration of validity of such registration.

(3) Registration of an international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest or other matters in accordance with the Convention, including any amendment, extension or discharge, shall have effect for the purposes of this Act only if and to the extent that it complies with the provisions of the Convention as modified or supplemented by the Protocol and regulations issued thereunder and the declarations deposited by India under the Convention or the Protocol.

(4) If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7 of the Convention:

Provided that this section shall apply with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

(5) Registration of an international interest shall remain effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

5. Application to sale and prospective sale.—

(1) The provisions of the following sections shall apply in relation to a sale or a prospective sale of aircraft objects—

(a) Section 3 in so far as it implements Articles 3 and 4 of the Convention;

(b) Section 31(2) in so far as it implements Article 16(1)(a) of the Convention;

(c) Section 4(4) in so far as it implements Article 19(4) of the Convention;

(d) Section 4(2) in so far as it implements Article 20(1) of the Convention (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);

(e) Section 4(3) in so far as it implements Article 25(2) of the Convention (as regards discharge); and

(f) Section 18.

(2) In the application of those provisions under sub-section (1) to sales and prospective sales—

(a) references to an agreement creating or providing for an international interest are references to a contract of sale; and

(b) references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor are references to a sale, prospective sale, the seller and the buyer respectively.

(3) In addition, the general provisions of the following sections shall apply generally to contracts of sale and prospective sales—

(a) Section 2 in so far as it implements Article 1 of the Convention;

(b) Sections 2 and 3 in so far as they implement Article 5 of the Convention;

(c) Section 4 and Section 31(2) in so far as they implement Chapter IV-VII of the Convention;

(d) Sections 7, 8 and 9;

(e) Sections 25 and 27 in so far as they implement Chapter XII of the Convention (other than Article 43 of the Convention);

(f) Section 31(2) in so far as it implements Chapter XIII of the Convention; and

(g) Section 31(2) in so far as it implements Chapter XIV (other than Article 60) of the Convention.

(4) For the purposes of this Act, a contract of sale as provided for by Article V of the Protocol is recognized under this Act.

(5) A contract of sale shall transfer the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

(6) Registration of a contract of sale shall remain effective indefinitely, unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

6. Representative capacities.— A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity and such person shall be entitled to assert rights and interests under this Act.

7. Priority of competing interests.—(1) Subject to section 8, a registered interest, shall have priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

(2) The priority of the registered interest under sub-section (1) applies—

(a) even if the interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

(b) even as regards value given by the holder of the interest with such knowledge.

(3) The buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in it subject to any interest previously registered at the time of its acquisition.

(4) The buyer of an aircraft object under a registered sale or a registered prospective sale acquires its interest in that aircraft object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

(5) The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that aircraft object—

(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

(b) free from an interest not so registered at that time, even if it has actual knowledge of that interest.

(6) The priority of competing interests or rights under this section may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

(7) Any priority given by this Act to an interest in an aircraft object extends to proceeds of such aircraft object.

(8) Nothing in this Act—

(a) affects the rights of a person in an item, other than an aircraft object, held prior to its installation on an aircraft object if under the law for the time being in force those rights continue to exist after the installation; and

(b) prevents the creation of rights in an item, other than an aircraft object, which has previously been installed on an aircraft object, where under the law for the time being in force those rights are created.

(9) Ownership of or another right or interest in an aircraft engine is not affected by its installation on or removal from an aircraft.

(10) Section 77 of the Companies Act, 2013 shall not apply to an international interest constituted under the Convention.

8. Rights having priority without registration.— (1) The categories of non-consensual right and interest listed in Part A of the Third Schedule shall—(a) have priority over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest, and (b) have priority over a registered international interest (whether in or outside insolvency proceedings).

(2) Nothing in this Act or the Convention shall affect the rights of the Central Government or that of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which India is a member, or other private provider of public services in India, to arrest or detain an aircraft object under the law for the time being in force in India for payment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of.that aircraft object.

(3) This section applies to categories of rights and interests whether created before or after the deposit by Republic of India of the declaration under Article 39 of the Convention to which this section gives effect.

(4) A right or interest which has priority or is preserved by virtue of this section has priority irrespective of whether the relevant international interest was registered before or after—

(a) any action taken by India in respect of the Convention, or

(b) the enactment or commencement of this Act.

(5) The debtor shall maintain and submit to the Directorate General of Civil Aviation records of details of dues paid and payable by such debtor in respect of the taxes or any other amounts, charges or dues arising from, related to or owed in respect of the ownership or use of the owner or operator of the aircraft object under international interest to the Government of India or the Central Government, the State Government or any other entity, as may be notified by the Central Government, and shall be so maintained and submitted till the time such aircraft object is in the possession of such debtor.

9. Registrable non-consensual rights or interests.— The categories of non-consensual rights and interest listed in Part B of the Third Schedule shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly.

CHAPTER III

DEFAULT AND REMEDIES

10. Meaning of "default" and "declared default".—(1) The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the event(s) that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in this Chapter.

(2) Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of this Chapter shall mean a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

(3) A creditor shall not be entitled to exercise any remedy as provided in this Chapter unless that creditor declares the occurrence of such default by notifying Directorate General of Civil Aviation, in the manner as prescribed, and the date on which it is so notified shall constitute the date of declared default, and the expression "declared default" shall be construed accordingly.

11. Manner of exercising remedies.— (1) The remedies under this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure as prescribed:

Provided that the provisions of this Chapter including those pertaining to rights and remedies and manner of exercise thereof shall have effect and not be limited or affected by, anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.

12. Remedies of chargee.— (1) In the event of default, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed, take any one or more of the following remedies, namely—

(a) to take possession or control of the aircraft object charged to it;

(b) to sell or grant a lease of such aircraft object; or

(c) to collect or receive any income or profits arising from the management or use of such aircraft object.

(2) The remedy under clause (b) of sub-section (1) shall not be exercised unless a notice in writing, of not less than 10 (ten) days, prior to the proposed sale or lease, has been served upon interested persons as specified in—

(a) sub-clauses (a) and (b) of sub-section (28) of section 2; and

(b) sub-clause (c) of sub-section (28) of section 2 who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease:

Provided that a chargee and a chargor or a guarantor may agree on a longer period of notice.

(3) The chargee may alternatively apply to the court for an order authorizing or directing any of the remedies provided in sub-section (1).

(4) Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies under sub-section (1) or sub-section (3)—

(a) shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations; and

(b) where such sum exceeds the amount secured by the security interest, and any reasonable costs incurred in such exercise, then unless otherwise ordered so by the court, the chargee shall distribute the surplus amongst holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

13. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.—

(1) At any time after default, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of, or any other interest of the chargor in, any aircraft object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

(2) The court may on the application of the chargee order that ownership of, or any other interest of the chargor in, any aircraft object covered by the security interest is to vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

(3) The court shall pass an order under sub-section (2) only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the aircraft object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

(4) At any time after default but before sale of the charged aircraft object or passing of an order under sub-section (2), the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under clause (b) of sub-section (1) of section 12 or so ordered by the court under sub-section (3) of section 12 and where such payment is made by an interested person other than a debtor such interested person shall be subrogated to the rights of the chargee.

(5) The ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under clause (b) of sub-section (1) of section 12 or passing under sub-sections (1) or (2) of this section shall be free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of section 7.

14. Remedies of a conditional seller or lessor.—In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may—

(a) terminate the agreement and take possession or control of the aircraft object to which the agreement relates; or

(b) alternatively, apply to the court for an order authorising or directing either of the acts as specified in clause (a).

15. De-registration and export of aircraft.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Sections 7 and 8 of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963), the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the event of default —

(a) procure the de-registration of the aircraft; and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated;

(2) The creditor shall not exercise the remedies specified in sub-section (1) without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

(3) The Directorate General of Civil Aviation shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations, honour the request for de-registration and export, as prescribed—

(a) if the request under sub-section (1) is submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorization with DGCA, and the authorised party certifies to the DGCA, in conformity with the rules as prescribed, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorization has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de- registration and export alongwith a priority search report from the International Registry regarding all registered interests ranking in priority; or

(b) upon receipt of an order from the court for the remedies specified in sub- section (1).

(4) A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under sub- section (1) otherwise than pursuant to a court order must give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration and export to—

(a) interested persons specified in section sub-clauses (a) and (b) of sub-section (28) of section 2; and

(b) interested persons specified in sub-clause (c) of sub-section (28) of section 2 who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

(5) Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorization substantially in the form annexed to the Protocol and where such authorization has been submitted for record to the DGCA, the said authorization shall be so recorded.

(6) An authorised party, or its certified designee, is the only person entitled to exercise the remedies specified in sub-section (1) and the remedies shall be exercised only in accordance with the authorization and in the manner prescribed by the Central Government in this regard.

(7) The authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party.

(8) The DGCA shall remove an authorization from the registry at the request of the authorised party.

(9) The DGCA shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in this section in conformity with applicable aviation safety laws and regulations.

Explanation.— For the purposes of this section an "authorised party" means a person in whose favour the irrevocable de-registration and export request authorization has been issued or its certified designee.

(10) The remedy as provided in sub-section (1) shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations, be made available by the DGCA, no later than 5 (five) working days, in the manner prescribed in this regard, from the date on which the creditor notifies DGCA that the relief specified in sub-section (1) is granted, or in the case of a relief granted by a foreign court, recognized by the court, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Act.

(11) The remedy available to a creditor under sub-section (1) shall be in addition to other remedies available to the creditor under this Chapter.

16. Requirement of commercial reasonableness.— **(**1) Any remedy granted under this Act in relation to an aircraft object must be exercised in a commercially reasonable manner.

(2) A remedy is deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

17. Relief pending final determination.— (1) Notwithstanding anything contained in Order XXXIX of the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), a creditor adducing evidence of default by the debtor may, pending final adjudication of its claim and to the extent that the debtor has any time so agreed, apply to the court to obtain such one or more of the following remedies, as the creditor requests—

(a) preservation of the aircraft object and its value;

(b) possession, control or custody of the aircraft object;

(c) immobilization of the aircraft object;

(d) lease or, except where covered by clauses (a) to (c), management of the aircraft object and the income therefrom;

(e) sale and application of proceeds therefrom, if at any time the debtor and the creditor specifically agree.

(2) The court before passing any order under sub-section (1) may require notice of such application to be given to any of the interested persons.

(3) Unless the creditor and the debtor or any other interested person have agreed in writing to exclude the applicability of this sub-section, the court while passing an order under sub-section (1) may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor—

(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Act; or

(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

(4) An application filed under sub-section (1) shall be heard and disposed of by the court within—

(a) 10 (ten) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) has been sought; and

(b) 30 (thirty) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under clause (d) or (e) of sub-section (1) has been sought.

(5) Nothing in this section affects the application of section 16 or limits the availability of forms of relief other than those set out under sub-section (1).

(6) Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under sub-section (1) shall be free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of section 7.

18. Effects of insolvency.— (1) In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in accordance with the Convention and the Protocol:

Provided that nothing in this section impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the law for the time being in force in India:

Provided further that nothing in this section affects—

(a) any rules of law applicable in the insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud or otherwise; or

(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

19. Remedies on insolvency.— (1) The provisions of this section shall apply upon the commencement of the insolvency proceedings in respect of a debtor where—

(a) the debtor,—

(i) if it is a body corporate or firm, is incorporated or registered in India; or

(ii) if he is a natural person, domiciled in or has his principal place of business in India;

(b) the international interest of the agreement has been registered in conformity with the Convention and the Protocol; and

(c) the debtor and creditor, have not in writing excluded the application of this section in writing.

(2) Subject to sub-section (5), and notwithstanding anything to the contrary contained in Section 14 read with Section 12 or other provisions of the Code relating to moratorium or interim- moratorium, upon the commencement of the insolvency proceedings, the debtor or the insolvency administrator, whosoever has actual or constructive custody of the aircraft object, shall, no later than such time specified in sub-section (7), give possession of the aircraft object to the creditor.

(3) Unless and until the creditor is given the opportunity by the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, to exercise his right to take possession of the aircraft object under sub-section (2) —

(a) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, and notwithstanding any powers relating to sale or disposal of assets conferred upon such administrator under the Code, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the law for the time being in force.

Explanation.— Clause (a) of sub-section (3) shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

(4) The insolvency administrator shall be indemnified by the creditor for all reasonable costs incurred in complying with clause (a) of sub-section (3).

(5) The insolvency administrator or the debtor, as the case may be, may retain the possession of the aircraft object where, by the time specified in sub-section (7) —

(a) all defaults under the agreement, other than a default constituted by the commencement of the insolvency proceedings have been cured; and

(b) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, has agreed to perform all future obligations of the debtor under the agreement:

Provided that where the insolvency administrator or the debtor fails to perform all future obligations of the debtor as agreed under clause (b) of sub-section (5) by the time so specified in sub-section (7), the creditor may immediately exercise his right to take possession of the aircraft object as well as exercise other remedies provided under this Act.

(6) Without prejudice to the rights of the insolvency administrator to terminate such agreement under the law for the time being in force, no obligation of the debtor under the agreement may be modified except with the consent of the creditor.

(7) The time-period referred to in sub-sections (2) and (5) is the earlier of —

(a) 2 (two) calendar months from the date of the commencement of the insolvency proceedings; and

(b) the date on which the creditor would have been entitled to take possession of the aircraft object but for this section.

(8) The remedy as provided in sub-section (1) of section 15 shall be made available by the DGCA subject to aviation safety laws and regulations, in a manner as prescribed within 5 (five) working days after the date on which the creditor notifies DGCA that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Act.

(9) The other provisions of the Act shall apply to the exercise of any remedies under this section.

(10) Notwithstanding anything contained in any other law, no rights or interests, except for non-consensual rights or interests as listed in Part A of Third Schedule, shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

(11) The courts, when an aircraft object is situated in India, shall, in accordance with the laws for the time being in force in India, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI of the Protocol.

20. **Additional remedies available to a Creditor.**— (1) Nothing in this Act shall be construed to affect the remedies available to a creditor under the law for the time being in force or agreed upon by the parties, save in so far as they are inconsistent with provisions of section 11, sub-sections (2) and (4) of section 12, sub-sections (3) and (4) of section 13, and section 16.

21. **Exclusions and modifications by agreement.**— (1) The parties may, by agreement in writing, exclude the application of section 19, and in relations with each other, derogate from or vary the effect of the Protocol except sub-section (2) of section 12, sub-section (2) of section 15, and section 16.

(2) In their relations with each other, any two or more parties may at any time, by agreement in writing derogate from or vary the effect of sub-sections (1) and (2) of section 10, sub-sections (1) and (3) of section 12, sub-sections (1), (2) and (5) of section 13, section 14, section 17 and section 20.

CHAPTER IV

ASSIGNMENT AND SUBROGATION

22. **Assignment of Associated Rights and international interest.**— (1) Save as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights shall also transfer to the assignee the related international interest and all the interests and priorities of the assignor under this Act provided such an assignment—

(a) is in writing;

(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured:

Provided that an assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

(2) Nothing in this Act shall apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

(3) The assignor and assignee may agree for a partial assignment of associated rights and their respective rights, subject to the extent so as not to adversely affect the debtor without its consent, concerning the related international interest assigned.

(4) Subject to sub-section (5) below, the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee shall be governed by the law for the time being in force.

(5) Where the assignment is by way of security, the assigned associated rights shall re-vest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, upon discharge of the obligations secured by the assignment.

(6) The debtor may at any time in writing agree to waive all or any of the defences and right of set-off available to such debtor against the assignee, other than the defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

(7) In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, then sections 10, 11, 12, 13, 16, 17 and 20 shall apply in the relations between the assignor and the assignee, and in relation to associated rights, insofar as those provisions are capable of application to intangible property, as if references—

(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

(d) to the aircraft object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

(8) Where there are competing assignments of associated rights, and

(a) at least one of the assignments includes the related international interest, and

(b) the assignment of the international interest is registered, the provisions of section 7 shall apply as if references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

(9) The provisions of section 18 shall apply to—

(a) an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest; and

(b) insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

(10) The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment is registered shall have priority under sub-section (8) over another assignee of the associated rights—

(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the aircraft object; and

(b) to the extent that the associated rights are related to an aircraft object.

***Explanation* I.**— For the purposes of clause (b), associated rights are related to an aircraft object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to—

(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the aircraft object;

(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another aircraft object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

(c) the price payable for the aircraft object;

(d) the rentals payable in respect of the aircraft object; or

(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of sub-paragraphs (a) to (d).

***Explanation* II.**— In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the law for the time being in force.

23. Subrogation of associated rights and effects thereof.—

(1) Subject to sub-section (2), nothing in this Act shall affect the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under any law for the time being in force in India.

(2) The priority between any interest within sub-section (1) and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of respective interests but an assignee ofa subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

CHAPTER V

RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR

24. Debtor's rights and duties.— (1) In the absence of a default within the meaning of section 10, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the aircraft object in accordance with the agreement as against—

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes ownership or other interest pursuant to sub-section (5) of section 7 or, in the capacity of buyer under sub-section (4) of section 7, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to sub-section (5) of section 7 or, in the capacity of buyer under sub-section (3) of section 7 but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

(2) Nothing in this Act shall affect the liability of a creditor for any breach of the agreement under any law for the time being in force in India insofar as that agreement relates to an aircraft object.

(3) To the extent that associated rights and the related international interest is transferred in accordance with section 22, the debtor shall be bound by the assignment and shall be under a duty to make payment or give other performance to the assignee, provided:

(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor,

(b) the notice identifies the associated rights, and

(c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee.

Explanation.— Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance is effective for this purpose if made in accordance with sub-section (3).

(4) Nothing in this section shall affect the priority of competing assignments.

CHAPTER VI

JURISDICTION AND CHOICE OF LAW

25. Jurisdiction.—

(1) Where the parties to a transaction agree in writing or otherwise in accordance with the formal requirements of the law for the time being in force in India choose that the courts of India are to have jurisdiction in respect of any claim brought under the Convention, the court shall have jurisdiction in accordance with this Act.

Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that jurisdiction under sub-section (1) shall—

(a) apply whether or not India has a connection with the parties or the transaction; and

(b) be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

(2) The court may grant remedy in respect of an aircraft object—

(a) under clauses (a), (b), (c) of sub-section (1) of section 17 and sub-section (4) of section 17, if such court is so chosen by the parties or within whose jurisdiction the aircraft object is situated; and

(b) under clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 17 or any other interim reliefs under sub-section (5) of section 17, if such court is so chosen by the parties or in whose jurisdiction debtor is situated, where the relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in India.

(3) Sub-section (2) shall apply even if the final determination of the claim referred to in section 17(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

(4) Nothing in this section affects the jurisdiction of any tribunal from exercising jurisdiction in relation to any insolvency proceedings under any law for the time being in force in India.

(5) Where the parties to a transaction, to whom this Act applies, make a written choice that courts of another Contracting State shall have jurisdiction in accordance with Article 42 of the Convention, whether or not the chosen court has a connection with the parties or the transaction, the courts in India shall give effect to such choice of jurisdiction:

Provided where no such choice of jurisdiction is made by such parties, the courts in India shall have jurisdiction in accordance with this Act.

(6) Without prejudice to the jurisdiction vested in the Commercial Courts under the Commercial Act, 2015 (4 of 2016), the court shall, save as otherwise expressly provided in sub-section (4), have exclusive jurisdiction to entertain and decide any claim, suit or proceeding in respect of any matter which it is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

26. Choice of Law.— The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part, and unless otherwise agreed, the reference to the law chosen by the parties shall be the domestic laws of India without regard to the conflict of law rules.

27. Exclusion of insolvency proceedings.— Sections 25 and 26 of this Chapter shall not apply during insolvency proceedings.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

28. Designated Entry Point.—

(1) The Central Government, may by notification in the Official Gazette, appoint or designate an entity or entities within India as the entry point or entry points through which the information required for registration other than registration of a notice of national interest, or a right or interest under Part A of Third Schedule in either case arising under the laws of another State shall or may be transmitted to the International Registry.

(2) A designation made under sub-section (1) above may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

29. Removal of difficulties.—

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall made be after the expiry of a period of five years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

30. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol and their implementation.—

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make such further rules for implementation of the provisions of this Act as may be considered necessary and expedient.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Central Government may—

(a) make declarations or amend the declarations already made under the Convention and Protocol; and

(b) by notification in the Official Gazette, give effect to the declarations made and amend the categories of rights or interest under the Third Schedule.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made before each House of Parliament while it is in session, for a total period of 30 (thirty) days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

31. Savings and Provisions of this Act to override other Laws.—

(1) In the case of any inconsistency between a provision of this Act and any other law for the time being in force in India, the former shall prevail to the extent of such inconsistency.

(2) Subject to the provisions of the Act on matters specifically provided under the Act, the provisions of the Convention and the Protocol providing for the International Registry, the Supervisory Authority and the Registrar shall apply and be given effect to.

(3) This Act shall be in addition to, and not in derogation of any other law for the time being in force in India, save insofar as the provisions of the other laws for the time being in force are not inconsistent with the provisions of this Act.

THE FIRST SCHEDULE

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

Signed at Cape Town on 16 November 2001

COPY CERTIFIED AS BEING

IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL

THE SECRETARY GENERAL

JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA

CAPE TOWN

16 NOVEMBER 2001

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

HAVE AGREED upon the following provisions:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article 1 — Definitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasingagreement;

(b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

(c) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;

(d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

(e) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;

(f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;

(g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

(h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;

(i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

(l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

(m) "interested persons" means:

(i) the debtor;

(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligationsin favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having rights in or over the object;

(n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

(o) "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

(p) "International Registry" means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;

(q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

(r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

(s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

(t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

(u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies;

(v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);

(w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

(x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

(z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;

(bb) "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

(cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

(dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

(ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

(ff) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

(gg) "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale; (hh) "secured obligation(s)" means an obligation secured by a security interest;

(ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(jj) "security interest" means an interest created by a security agreement;

(kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);

(ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

(mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

(nn) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record.

Article 2 — The international interest

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

(a) granted by the chargor under a security agreement;

(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).

3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:

(a) airframes, aircraft engines and helicopters;

(b) railway rolling stock; and

(c) space assets.

4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph.

5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.

Article 3 — Sphere of application

1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

Article 4 — Where debtor is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

(a) under the law of which it is incorporated or formed;

(b) where it has its registered office or statutory seat;

(c) where it has its centre of administration; or

(d) where it has its place of business.

2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no placeof business, its habitual residence.

Article 5 — Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

5. a reference to a clause, section, sub-section, Annexure or Schedule is, unless indicated to the contrary, a reference to a clause, section, sub-section, annexure or schedule to this Deed;

Article 6 — Relationship

betweenthe Convention and the

Protocol

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

Chapter II

Constitution of an international interest

Article 7 — Formal requirements

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:

(a) is in writing;

(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power todispose;

(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and

(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, butwithout the need to state a sum or maximum sum secured.

Chapter III

Default remedies

Article 8 — Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

(a) take possession or control of any object charged to it;

(b) sell or grant a lease of any such object;

(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and

(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested personsmay agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interestof the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) orpassing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 29.

Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided inArticle 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

Article 11 — Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

Article 12 — Additional remedies

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Article 13 — Relief pending final determination

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

(a) preservation of the object and its value;

(b) possession, control or custody of the object;

(c) immobilisation of the object; and

(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the objectand the income therefrom.

2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations tothe debtor under this Convention or the Protocol; or

(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of formsof interim relief other than those set out in paragraph 1.

Article 14 — Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

Article 15 — Derogation

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Chapter IV

The international registration system

Article 16 — The International Registry

1. An International Registry shall be established for registrations of:

(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

(b) assignments and prospective assignments of international interests;

(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

(d) notices of national interests; and

(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

2. Different international registries may be established for different categories of object andassociated rights.

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

2. The Supervisory Authority shall:

(a) establish or provide for the establishment of the International Registry;

(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;

(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;

(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;

(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;

(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;

(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and

(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of itsfunctions, including any agreement referred to in Article 27(3).

4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.

5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform thefunctions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

Chapter V

Other matters relating to registration

Article 18 — Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:

(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);

(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;

(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.

3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.

5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

Article 19 — Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20 — Consent to registration

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

Article 21 — Duration of registration

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

Article 22 — Searches

1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.

2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.

3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

Article 23 — List of declarations and declared non-consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

Article 24 — Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

(a) that it has been so issued; and

(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Article 25 — Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.

3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at itsaddress stated in the registration.

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

Article 26 — Access to the international registration facilities

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

Chapter VI

Privileges and immunities of

the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27 — Legal personality; immunity

1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privilegesas may be provided by agreement with the host State.

(b) For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Authority is situated.

4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.

5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

Chapter VII

Liability of the Registrar

Article 28 — Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-upand systems security and networking.

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

Chapter VIII

Effects of an international interest as against third parties

Article 29 — Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:

(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge ofthe other interest; and

(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with suchknowledge.

3. The buyer of an object acquires its interest in it:

(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and

(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.

4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of thatinterest.

5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

7. This Convention:

(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist afterthe installation; and

(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

Article 30 — Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

3. Nothing in this Article affects:

(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests;rights of subrogation

Article 31 — Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

(a) the related international interest; and

(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.

Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so asadversely to affect the debtor without its consent.

2. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.

3. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

4. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

Article 32 — Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

(a) is in writing;

(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement isnot valid unless some or all related associated rights also are assigned.

3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

Article 33 — Debtor's duty to assignee

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

(b) the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

Article 34 — Default remedies in respect of assignmentby way of security

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisionsare capable of application to intangible property) as if references:

(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

Article 35 — Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and therelated registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references toa registered or unregistered assignment.

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

Article 36 — Assignee's priority with respect to associated rights

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:

(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

(b) to the extent that the associated rights are related to an object.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are relatedto an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;

(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignorheld another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

(c) the price payable for the object;

(d) the rentals payable in respect of the object; or

(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

Article 37 — Effects of assignor's insolvency

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to thedebtor were references to the assignor.

Article 38 — Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

Chapter X

Rights or interests subject to declarations by Contracting States

Article 39 — Rights having priority without registration

A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically

(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State's law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.

4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

Chapter XI

Application of the Convention to sales

Article 41 — Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

Chapter XII

Jurisdiction

Article 42 — Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 43 — Jurisdiction under Article 13

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

(a) by the courts chosen by the parties; or

(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

Article 44 — Jurisdiction to make orders against the Registrar

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Chapter XIII

Relationship with other Conventions

Article 45 *bis* — Relationship with the *United Nations Convention on theAssignment of Receivables in International Trade*

This Convention shall prevail over the *United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade*, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

Article 46 — Relationship with the *UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing*

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*, signed at Ottawa on 28 May 1988.

Chapter XIV

Final provisions

Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

Article 48 — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approveor accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competenceover matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article 49 — Entry into force

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:

(a) as from the time of entry into force of that Protocol;

(b) subject to the terms of that Protocol; and

(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.

2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

Article 50 — Internal transactions

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.

2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to aninternal transaction.

3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

Article 51 — Future Protocols

1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non- governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.

2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol onthe basis of such a preliminary draft Protocol.

3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments onthe text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.

6. Article 45 *bis* of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.

Article 52 — Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

Article 53 — Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant "court" or "courts" for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.

Article 54 — Declarations regarding remedies

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court.

Article 55 — Declarations regarding reliefpending final determination

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Article 56 — Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

Article 57 — Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, bynotifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article 58 — Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawalis to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article 59 — Denunciations

1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article 60 — Transitional provisions

1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:

(a) "effective date of this Convention" means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and

(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

4.

Article 61 — Review Conferences, amendments and related matters

1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferencesof States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset- based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two- thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraphand shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

Article 62 — Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;

(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the datethereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof;and

(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the datethereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof,of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic,such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CAPE TOWN CONVENTION AT THE TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION

DECLARATIONS

LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CAPE TOWN CONVENTION AT THE TIME OF THEDEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION

(i) Form No. 1 [Specific declaration under Article 39(1)(a)]

The following categories of non-consensual right or interest have priority under its laws over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings, namely:-

(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default by that airline under a contract to finance or lease and aircraft object;

(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of that aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object, arising since the time of a defaultby that owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft object; and

(c) liens in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or services performed on and value added to that aircraft object.

(ii) Form No. 4 [General declaration under Article 39(1)(b)]

Nothing in the Convention shall affect its right or that of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which India is a member, or other private provider of public services in India, to arrest or detain an aircraft object under its laws forpayment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of that object or another aircraft object.

(iii) Form No. 6 (Declaration under Article 40)

The following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly, namely:-

(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising prior to the time of a declared default by that airline under a contract to finance or lease an aircraft object;

(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of an aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object, arising prior to the time of a declareddefault by that owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft object; and

(c) rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full satisfaction ofa legal judgment.

(iv) Form No. 10 (General declaration under Article 52)

The Convention shall apply to all its territorial units.

(v) Form No. 11 (Declaration under Article 53)

All the High Courts within their respective territorial jurisdiction are the relevant courts for the purposes of Article 1 and Chapter XII of the Convention.

(vi) Form No. 13 [Mandatory declaration under Article 54(2)]

Any and all remedies available to the creditor under the Convention which are not expressed under the relevant provision thereof to require application to the court may be exercised without court action and without leave of the court.

*

* *

Declarations lodged by the Republic of India under the Cape Town Convention

THE SECOND SCHEDULE

PROTOCOL

TO THE CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ONMATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

Signed at Cape Town on 16 November 2001

COPY CERTIFIED AS BEING

IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL

THE SECRETARY GENERAL

JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA

CAPE TOWN

16 NOVEMBER 2001

PROTOCOL

TO THE CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ONMATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

CONSIDERING it necessary to implement the *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (hereinafter referred to as "the Convention") as it relates to aircraft equipment, in the lightof the purposes set out in the preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraftequipment,

MINDFUL of the principles and objectives of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article I — Defined terms

1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have themeanings set out in the Convention.

2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent, together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, partsand equipment and all data, manuals and records relating thereto;

(c) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters;

(d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;

(e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 2750 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

(f) "authorised party" means the party referred to in Article XIII(3);

(g) "Chicago Convention" means the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;

(h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International CivilAviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;

(i) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of theair craft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;

(j) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor;

(k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on oneor more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least five (5) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment(including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

(m) "insolvency-related event" means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and

(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.

Article II — Application of Convention as regards aircraft objects

1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.

2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.

Article III — Application of Convention to sales

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:

Articles 3 and 4;Article 16(1)(a);Article 19(4);

Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale); Article 25(2) (as regards a prospective sale); and

Article 30.

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.

Article IV — Sphere of application

1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.

2. For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Convention:

(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;

(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installedor, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and

(c) a helicopter is located in its State of registry,

at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.

3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocolexcept Article IX (2)-(4).

Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale

1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:

(a) is in writing;

(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and

(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.

2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospectivesale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

Article VI — Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

Article VII — Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.

Article VIII — Choice of law

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

Chapter II

Default remedies, priorities and assignments

Article IX — Modification of default remedies provisions

1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:

(a) procure the de-registration of the aircraft; and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestlyunreasonable.

4. A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor ora guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorisation; and

(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

Article X — Modification of provisions regarding relief pending final determination

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.

2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub- paragraph (d):

"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom",

and Article 43(2) applies with the insertion after the words "Article 13(1)(d)" of the words "and (e)".

4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraphis free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.

6. With regard to the remedies in Article IX(1):

(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

Article XI — Remedies on insolvency

1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdictionhas made a declaration pursuant to Article XXX(3).

Alternative A

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

(a) the end of the waiting period; and

(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

a. the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

b. the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a defaultconstituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performanceof such future obligations.

8. With regard to the remedies in Article IX(1):

a. they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

b. the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

Alternative B

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.

3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.

5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.

Article XII — Insolvency assistance

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordancewith the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.

Article XIII — De-registration and export request authorisation

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordationto the registry authority, that authorisation shall be so recorded.

3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1)and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws andregulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.

4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specifiedin Article IX.

Article XIV — Modification of priority provisions

1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free froman interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registeredat the time of its acquisition.

3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.

4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.

Article XV — Modification of assignment provisions

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph(b):

"and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee."

Article XVI — Debtor provisions

1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.

Chapter III

Registry provisions relating to international interests in aircraft objects

Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar

1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.

2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.

3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.

4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.

5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

Article XVIII — First regulations

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.

Article XIX — Designated entry points

1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of anational interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.

2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

Article XX — Additional modifications to Registry provisions

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.

2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.

3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.

4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.

5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.

6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

Chapter IV

Jurisdiction

Article XXI — Modification of jurisdiction provisions

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

Article XXII — Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

Chapter V

Relationship with other conventions

Article XXIII — Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.

Article XXIV — Relationship with the Convention for

the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft

1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.

2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.

Article XXV — Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing

The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.

Chapter VI

Final provisions

Article XXVI — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

Article XXVII — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article XXVIII — Entry into force

1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.

2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIX — Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

Article XXX — Declarations relating to certain provisions

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.

2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.

3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.

4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Article XXXI — Declarations under the Convention

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

Article XXXII — Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

Article XXXIII — Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article XXXIV — Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article XXXV — Denunciations

1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article XXXVI — Review Conferences, amendments and related matters

1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

Article XXXVII — Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof;

and

(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof

and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

Annex

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATIONAND EXPORT REQUEST AUTHORISATION

Annex referred to in Article XIII

[Insert Date]

To: [Insert Name of Registry Authority]

Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the "aircraft").

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under the authority ofArticle XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests:

(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to:

(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of ChapterIII of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago, on 7 December 1944, and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and

(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may takethe action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action.

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revokedby the undersigned without the written consent of the authorised party.

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].

---

* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.

[insert name of operator/owner]

Agreed to and lodged this

[insert date]

By: [insert name of signatory]

Its: [insert title of signatory]

[insert relevant notational details]

DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE AIRCRAFT PROTOCOL AT THE TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION

DECLARATIONS

LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE AIRCRAFT PROTOCOL AT THE TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION

(i) Form No. 19 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII]

India will apply Article VIII.

(ii) Form No. 21 [Declaration under Article XXX(2) in respect of Article X providing for the application of the entirety of Article X]

India will apply Article X of the Protocol in its entirety and the number of working days to be used for the purposes of the time limit laid down in Article X(2) of the Protocol shall be that equal to no more than:

(a) ten (10) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1)(a), (b) and (c) of the Convention (respectively, preservation of aircraft objects and their value; possession, control or custody of aircraft objects; and, immobilization of aircraft objects); and

(b) thirty (30) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1)(d) and (e) of the Convention (respectively, lease or management of aircraft objects and the income thereof; and, sale and application of proceeds from aircraft objects).

(i) Form No. 23 [General declaration under Article XXX(3) in respect of Article XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insolvency proceeding]

India will apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety to all types of insolvency proceedings, and that the waiting period for the purposes of Article XI(3) of that Alternative shall be two (2) calendar months.

(iv) Form No. 26 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII]

India will apply Article XII.

(v) Form No. 27 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII]

India will apply Article XIII.

*

* *

Declarations lodged by the Republic of India under the Aircraft Protocol

THE THIRD SCHEDULE

(Part A)

Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 39(1)(a)) of the Convention

The following categories of non-consensual right or interest have priority over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings, namely:-

(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default by that airline under a contract to finance or lease and aircraft object;

(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of that aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object, arising since the time of a default by that owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft object; and

(c) liens in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or services performed on and value added to that aircraft object.

(Part B)

Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of the Convention

The following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly, namely:-

(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising prior to the time of a declared default by that airline under a contract to finance or lease an aircraft object;

(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of an aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object, arising prior to the time of a declared default by that owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft object; and

(c) rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object inpartial or full satisfaction of a legal judgment.

[F.No. AV-11012/4/2020-A-MOCA]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.16 17:27:34 +05'30'